

1

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2021

श्रीमती निशा पवार

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह है शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय भोपाल 2. वर्तमान धारण पर पंजीकृत लेख/पंजीकृति

3. वर्तमान मूल्य 50,200/- अगली मूल्यवृद्धि की तारीख 1.7.2021.....

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलावें कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिष्ठित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अधिष्ठित की तारीख और जिससे अधिष्ठित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरे	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अधिपुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
उज्जैन	रक्त फ्लैट भोपाल में	30 X 50	45 लाख	स्वयं	जर्जी 2008 से उज्जैन विकास प्राधिकरण से किराते पर कृषक किरात जमा	---	

* जहां लागू न हो बत कर दें।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के आधार में लागू मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें शासकीय पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : नभारदेश शासकीय सेवा (आचार्य) नियम, 1959 के नियम 10(3) के अधीन प्रथम सेवा, द्वितीय सेवा तथा तृतीय सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार पहली की अवधि के समाप्त या परिवर्तन पर पर कर उपलब्ध करें और इसमें वह उनके सम्पत्ति की तथा उसके द्वारा अधिष्ठित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे हैं।

दिनांक 3/3/2021
 श्रीमती निशा पवार
 पंजीकृत लेख/पंजीकृति
 विभाग शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय भोपाल

फॉर्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020-2021

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूर) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह है **मानवी पत्रा** 2. वर्तमान धारित पद **प्रकाशन सहायक**
3. वर्तमान वेतन **46100 + D.A.** .. अगली वेतनवृद्धि की तारीख **21-7-2021**

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा खीर		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बताइये कि यह किसके नाम पर धारित है और उसका सामग्रीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिष्ठित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अधिन की तारीख और जिससे अधिष्ठित की गई हो उसका नाम तथा खीर	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अधिपुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Nil				

* जहां लागू न हो वहां टिकिए।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का जही-जही विधायक द्वारा संशोधन न हो, वहां वर्तमान तिथि के मूल्य में लागू मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : कथ्यवर्तित सामग्रीय सेवा (आधार) नियम, 1959 के नियम 10(3) के अधीन प्रथम सेवी, द्वितीय सेवी तथा तृतीय सेवी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अधिष्ठित है कि वह सेवा में प्रवेशी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार नवीने की अवधि के समाप्त पर वीरगा-पत्र या का प्रस्तुत करें और उसमें वह उसके स्वाधिन की तथा उसके द्वारा अधिष्ठित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य अधिष्ठित के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के खीर हैं।

हस्ताक्षर **[Signature]**
 नाम **मानवी पत्रा**
 पद **प्रकाशन सहायक**
 जिला **उप विधेअड, मा.के. मु. जेपल**

फॉर्म

"प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020-2021

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो अजय श्रीवास्तव 2. वर्तमान धारिता पर वरिष्ठ भंडारी
 3. वर्तमान पेंशन अगली पेंशनवृद्धि की तारीख 1-7-2021.....

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा धरती		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलावने कि वह किसके नाम पर धारिता है और उसका सामंतीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिष्ठित किया गया **"खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अधिष्ठन की तारीख और जिससे अधिष्ठित की गई हो उसका नाम तथा धरती	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अधिपुस्तिका
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
① - ग्राम बंजारा	पुराना कुएँवाड़ा 800 Sq. ft	-	लगभग 40 लाख	स्वयं एवं पत्नी के नाम	वर्ष 2006 में खरीदा ₹ 25,00,000/- में किया गया। बैंक बचत ₹ 3,50,000 स्वयं की बचत ₹ 1,75,000 <u>₹ 25,00,000</u>	₹ 20,000	
② -	पुराना कर्मिठ बंगला	-	लगभग 40 लाख	पत्नी अलका पत्नी - जीवन, स्थायी	₹ 5,89,000 में बैंक - 5,00,000 होम लोन 89,000 स्वयं की ₹ 5,89,000	1,74,000	पत्नी एवं जाने की काय
③ कानपुरी कोलाही	पुराना कुएँवाड़ा 800 Sq. ft	-	लगभग 40 लाख	स्वयं एवं पत्नी के नाम	वर्ष 2015 में RHB LON - ₹ 22,00,000 बैंक सिविलेस से ₹ 6,00,000	2,50,000	पत्नी को काय

* जहाँ लागू न हो वार धरित।
 ** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, जहाँ वर्तमान स्थिति के आधार में लागू मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।
 टिप्पणी: मध्यप्रदेश सामंतीय सेवाक (आधारन) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम सेवा, द्वितीय सेवा तथा तृतीय सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अधिष्ठित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार पहली की अवधि के पारभात या चौथवा-पाठ या का प्रसृत की और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अधिष्ठित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक या उसके द्वारा धरित बतला अचल सम्पत्ति के धरती हैं।
 लोकसूची-747-अधिसूची-18-1-13-20,000.

वर्ष 2020-2021
 अजय श्रीवास्तव
 वरिष्ठ भंडारी
 निवासी अजय मिहिरा शाह
 मोबाइल

4

फार्म

"प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20-20

1. अधिकारी/कार्यचारी का (पूर्व) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो मिलियानी लक्ष्मी 2. वर्तमान धारित पद मुख्य लिपिक
3. वर्तमान वेतन ₹: 51000/- अगली वेतनबृद्धि की तारीख 1-7-2024

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा स्थिति		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलावने कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका राजस्वीय कार्यचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिष्ठित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अधिन की तारीख और जिससे अधिष्ठित की गई हो उसका नाम तथा स्थिति	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अधिपुत्रिता
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Nil			

* जहां लागू न हो कार खींचिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करने संबंध न हो, जहां वर्तमान स्थिति के अन्वय में लागू मूल्य बतलाया जाए।

*** इनमें आनुवंशिक पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : सम्बन्धित राजस्वीय सेवा (आवक) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम केपी, द्वितीय केपी तथा तृतीय केपी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अधिष्ठित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार बदले की अवधि के पश्चात् वह पौजना-पत्र या का प्रस्तुत करें और उसमें वह उसके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अधिष्ठित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के स्थिति दें।

हस्ताक्षर मिलियानी लक्ष्मी

नाम मिलियानी लक्ष्मी

पद मुख्य लिपिक

स्थान उप-निदेशक, राजस्वीय केन्द्रीय इकाई, अजमेर

फार्म

“प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. अधिकारी/कार्यकारी का (पुरु) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो अविश्व सुभाष चंद्रम 2. वर्तमान धारित पद मुख्य लेखांक
3. वर्तमान वेतन 4,68,000/- अगली वेतनबृद्धि की तारीख 1/7/2021

उस जिले, उस संभाग, जालुका तथा ज्ञान का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा खीर		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलावने कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका राजस्वोप कार्यकारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिष्ठित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अधिष्ठित की तारीख और जिससे अधिष्ठित की गई हो उसका नाम तथा खीर	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अधिपुक्ति
	पूर तथा अन्य धारण	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
भोपाल	—	एए 2 मि 25' 30" के ल पट्टा	1,50,000/-	जयं के नाम	जैसू भासदी से प्राप्त लॉगि एवं जयं की वयन लॉगि लखनपुर में श्री दुर्गा प्रसाद दुर्गा की संकल्प 3 रोड 30/ भोपाल ल 27 डिमा/	—	मुख्यालय के पंक्त नुमां 1221 डिमा 7-296 काग अनुमति प्राप्त।
भोपाल	एए	—	50,00,000/-	जयं एवं राजी के नाम	बैंक से अन्त शास्त्र लखनपुर 27 डिमा से अधिक प्राप्त 37-38 2005 में मेसर्स दीप आर्योमा/अर्पण कागि धारण की तारीख 27 डिमा/ भोपाल ल 27 डिमा/	—	मुख्यालय के पंक्त नुमां 1190 डिमा 7-6-2005 काग अनुमति प्राप्त।

* जहां लानु न हो क्या दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का जही-जही निर्धारण करने संभव न हो, जहां वर्तमान स्थिति के अन्तर्ध में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : सम्पत्तिका राजस्वोप सेवा (आधार) नियम, 1959 के नियम 13(3) के अधीन प्रथम डेवी, द्वितीय डेवी तथा तृतीय डेवी सेवा के प्रत्येक चरण से यह अधिष्ठित है कि वह सेवा में पुरानी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार धारिणी की अवधि के आरम्भ पर पुराना-पुराने या का प्रस्तुत की और इसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उनके द्वारा अधिष्ठित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उनके द्वारा धारित सम्पत्त अचल सम्पत्ति के खीर हैं।

हस्ताक्षर अविश्व सुभाष चंद्रम
 पद अविश्व सुभाष चंद्रम
 पद मुख्य लेखांक
 तिथि 21/6/2021

6

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20 20

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो गंगाराम किरेंद्र 2. वर्तमान धारिता पर कुख्या परीक्षक

3. वर्तमान वेतन ₹. 49,500/- + 5940/- पी.ए. जुलाई 2021 अगली वेतनबृद्धि की तारीख

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा भूति		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिष्ठित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अधिन की तारीख और जिससे अधिष्ठित की गई हो उसका नाम तथा भूति	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अधिपुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
क्र.नं. 105, ईश्वर नगर, ओयात्र.	गृह	—	5,00,000/-	स्वयं के नाम पर	राजीव गौधी आश्रय योजना के अन्तर्गत पट्टा जमीन. (15x30=450 वर्ग फीट)	—	—

* जहां लागू न हो स्पष्ट दर्शाएं।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें शासकीय पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : गणराज्य शासकीय सेवा (आचार्य) विधन, 1954 के विधन 10(3) के अधीन प्रथम सेनी, द्वितीय सेनी तथा तृतीय सेनी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में प्रवेशी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार नवीनी की अवधि के समाप्त या परिवर्तन पर या का प्रस्तुत करें और इसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अधिष्ठित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य अधिष्ठित के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के भूति दें।

हस्ताक्षर गंगाराम किरेंद्र
 नाम गंगाराम किरेंद्र
 पद कुख्या परीक्षक
 विभाग आ.के.कु. ओयात्र
 5/2/2021

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. अधिकारी/कार्यकारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह है **किशोर कुमार कुवारी** 2. वर्तमान धरति पर **जोबरी सियर**
 3. वर्तमान वेतन **57,400 + DA** अगली वेतनबृद्धि की तारीख **1 जुलाई 2021**

उस जिले, उप बंधन, सातुका तथा ज़ान का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा धरति		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलावने कि वह किसके नाम पर धरति है और उसका शासकीय कार्यकारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिष्ठित किया गया ***खरीद, चट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अधिष्ठन की तारीख और जिससे अधिष्ठित की गई हो उसका नाम तथा धरति	सम्पत्ति से संबंधित अन्य	अधिपुक्ति
	गृह तथा अन्य-भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<p>मोपाल (मण्डल) 148 प्रैस कॉलोनी जानंद नगर (मोपाल)</p>	भवन	<p>जानंद बाजार मण्डल तीरुल्लस</p>	30,00,000	स्वयं के नाम	<p>केनरा बैंक से लोन 27-7-2013 में भवन खरीदा प्रीति शुजाता कुमारी प्रैस कॉलोनी जानंद नगर मोपाल</p>	NIL	अनुमति प्राप्त

* जहाँ लागू न हो कर टिकें।
 ** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन चट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : राष्ट्रीय शासकीय सेवक (अध्याय) नियम, 1959 के नियम 13(3) के अधीन प्रथम सेनी, द्वितीय सेनी तथा तृतीय सेनी सेवा के प्रारंभिक सदस्य से वह अधिष्ठित है कि वह सेवा में प्रथम नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार प्रमोशन की अवधि के परभाव पर योग्यता-पत्र पर कर उठाए जाएं और इसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अधिष्ठित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर चट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धरति समस्त अचल सम्पत्ति के धरति हैं।

हस्ताक्षर **किशोर**
 नाम **किशोर कुमार कुवारी**
 पद **जोबरी सियर**
 विभाग **शा. के. म. मोपाल**



फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह है **कमलेश सोनोरे** 2. वर्तमान धारित पद **ओवरसियर**
 3. वर्तमान वेतन **50,000/- DA** अगली वेतनवृद्धि की तारीख **01/7/2021**

उस जिले, उप संभाग, जिलुका तथा राज्य का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि यह किसके नाम पर धारित है और उसका राजस्वीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिष्ठित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अधिन की तारीख और जिससे अधिष्ठित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरे	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
ओंधक	सोना	X	140000	स्वयं	PNB से ख़रीदा जिला 1	Nil	

* जहां लागू न हो वार्य दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करने संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के अनुरूप में सतर्कता मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी: सम्बन्धित राजस्वीय सेवा (आचार्य) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम सेवा, द्वितीय सेवा तथा तृतीय सेवा के प्रत्येक स्तर से यह अधिष्ठित है कि यह सेवा में पारसी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार पारसि की अधिष्ठी के पारसि या पौषण-पत्र पर कर प्रस्तुत की और उसमें यह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अधिष्ठित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य ब्यौरे के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे हैं।

हस्ताक्षर **PS**
 नाम **कमलेश सोनोरे**
 पद **ओवरसियर**
 विभाग **आठ के मु ओपान**

फॉर्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पुरु) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो शिवराज पेन्डाम हृतीय अंगी 2. वर्तमान धरित पर सेवान होल्डर
 3. वर्तमान वेतन 51500/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1 फुब्रार्इ 2020

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा खती		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धरित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिष्ठित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, वेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अधिष्ठन की तारीख और जिससे अधिष्ठित की गई हो उसका नाम तथा खती	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अधिपुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<p>————— X ————— निष्ठ ————— X —————</p>							

* जहां लागू न हो काट दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, जहां वर्तमान स्थिति के आधार में लागू मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें शासकीय पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवा (आचारण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम सेवी, द्वितीय सेवी तथा तृतीय सेवी सेवा के प्रत्येक सरदार से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार न्यूनतम की अवधि के सम्पूर्ण या बीच-बीच पर का प्रस्तुत करें और इसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उनके द्वारा अधिष्ठित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धरित अथवा अचल सम्पत्ति के खती दें।

हस्ताक्षर [Signature]
 नाम शिवराज पेन्डाम
 पद सेवान होल्डर
 विभाग शासकीय केंद्रीय सुदुरासथ भोपास

10

फार्म

"प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20-20-21

1. अधिकारी/कार्यकारी का (पूर्व) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

रविन्द्र कुमार

2. वर्तमान पद पर

सीनियर रीडर

3. वर्तमान वेतन

₹. 44000 + D.A.

आवृत्ति वेतनबृद्धि की तारीख

1-7-21

उस विद्या, उच्च संस्थान, संस्थान तथा प्रांत का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा श्रेणी		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका राजस्वीय कार्यकारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिष्ठित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अधिष्ठित की तारीख और जिससे अधिष्ठित की गई हो उसका नाम तथा श्रेणी	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अधिपति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Nil			

* यहाँ लागू न होकर बतलाइये।

** ऐसे मामलों में जहाँ मूल्य का कोई-कोई निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के आधार में लागू मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश राजस्वीय सेवा (आधार) विनियम, 1959 के विनियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के उपरोक्त सदस्य से यह अधिष्ठित है कि वह सेवा में पदावधि नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार पदावधि की अवधि के पर्यायत्तः एक पंचवर्ष-एक या एक दशक की और उसमें वह उनके स्वाधिन्य की सेवा उसके द्वारा अधिष्ठित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित अथवा अचल सम्पत्ति के अधीन हैं।

संकेतपूर्वी-747-अवकाशिक-18-1-13-20,000.

हस्ताक्षर

Ravindra Kumar

नाम

रविन्द्र कुमार

पद

सीनियर रीडर

विभाग

शा. केन्द्रीय मुद्रणालय

भोपाल (म.प्र.)

11

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20 21

1. अधिकारी/कार्यकारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह है महम लाल शीर, सी.डी.ओ. 2. वर्तमान धारित पर सी.डी.ओ.
 3. वर्तमान वेतन 336000/- अगली वेतनबृद्धि की तारीख July 2021

उस जिले, उस संभाग, जिल्ला तथा टाउन का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति का नाम तथा खेती		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलायें कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका सामग्रीय कार्यकारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिष्ठित किया गया ** खरीद, चट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अपने की तारीख और जिससे अधिष्ठित की गई हो उसका नाम तथा खेती	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
ओपल्ल	गृह	-	40,00,000	-	खरीद का प्रमाण पत्र	-	-

* जहां लागू न हो वहाँ खाली छोड़ें।
 ** ऐसे मामलों में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, जहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें सामग्रीय चट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी: सम्बन्धित सामग्रीय सेवाक (अथवा) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन उभय द्वैत, द्वितीय द्वैत तथा तृतीय द्वैत सेवा के उभय द्वैत से यह अधिष्ठित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद उसके कार्यकारी की अल्पकालीन सेवा के प्रारम्भ पर प्रयुक्त करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अधिष्ठित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर चट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के खेती हैं।
 लोकप्रति-767-अवसरानि-18-1-13-20,000.

हस्ताक्षर महम लाल शीर
 नाम महम लाल शीर
 पता सी.डी.ओ.
 जिला बा.ने.पु. ओपल्ल

12

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20१०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो कुसुम मालवीय 2. वर्तमान धारित पद सी. रीडर
 3. वर्तमान वेतन ५६१०० + D.A अगली वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई 2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा भूमि		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिष्ठित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विपणन, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अधिष्ठन की तारीख और जिससे अधिष्ठित की गई हो उसका नाम तथा पता	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अधिपुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
भोपाल	फ्लैट जंशु कामादेव भोपाल	-	20 लाख स्वयं		गृह खरीद	Nil	Nil

* जहां लागू न हो बात छोड़िये।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के अन्वय में लागू मूल्य बतलाया जाय।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।
 टिप्पणी : अध्यादेश शासकीय सेवक (आचार्य) नियम, 1959 के नियम 19(3) के अधीन प्रथम सेनी, द्वितीय सेनी तथा तृतीय सेनी सेवा के प्रारंभिक सदस्य से यह अधिष्ठित है कि वह सेवा में प्रवेशी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार पदोन्नति की अवधि के परभाव यह घोषणा-पत्र पर काट प्रस्तुत करें और इसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अधिष्ठित अथवा उसे विपणन में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर [Signature]
 नाम कुसुम मालवीय
 पद सी. रीडर
 विभाग शा. के. उ. भोपाल



फार्म

प्रथम विद्युक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह है उमेश कुमार मानवीर 2. वर्तमान धरित घर श्रीनिधई सीड
 3. वर्तमान वेतन 48900 अपनी वेतनवृद्धि की तारीख 1-7-21

उस जिले, उप बंधन, सामुदायिक तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा धरित		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धरित है और उसका सामुदायिक कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिष्ठित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, श्रेय या अन्य किसी प्रकार से तथा अपने की तारीख और जिससे अधिष्ठित की गई हो उसका नाम तथा धरित	सम्पत्ति से धरितक आय	अधिपुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
① हाथवेडा म.हा.प.सी. नगर कोल्हा 25/1	अ. 2005	अ. 2005 40160	90,00,000 म.हा.प.सी.	2-बंम	विरासत/अधिष्ठात पेट्टा	-	
② सी. 46 का. 242201 म.हा.प.सी. मोपल	म.का.क	-	65,00,000	म.हा.प.सी. कर्मचारी	सी.सी. सं. सं. 2005 का 95 विरासत	-	
③ इ.का.क. 5 21421 का. 2-25 को. 11	इ.का.क	-	40,00,000	अधिष्ठात पेट्टा	पेट्टा	-	
④ का. 32 21445 सी.सी. इ.का.क.	अ. 2005 40160	अ. 2005	3,00,000	अधिष्ठात क. का.क.	श्री. मे. कु. अ. 216 का. का. 2-25 को. 11 अ. का. क. वि. का. क.	-	

* जहां लागू न हो बंद टिकित।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का छोटी-छोटी विधेयक करण संबंध न हो, जहां वर्तमान विधि के अन्तर्गत में लागू मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : सम्पत्ति सामुदायिक सेवा (आधार) विधेयक, 1959 के विधेयक 10(3) के अधीन प्रथम सेनी, द्वितीय सेनी तथा तृतीय सेनी सेवा के अंतर्गत सराफ से वह अधिष्ठित है कि वह सेवा में पुरानी विद्युक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक कार्य करने की अवधि के सम्बन्ध में धारणा-पत्र पर का प्रस्तुत करें और इसमें वह अपने स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अधिष्ठित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धरित सम्पत्ति अचल सम्पत्ति के धरित हैं।

हस्ताक्षर U. Malviya
 नाम उमेश कुमार मानवीर
 पता सी. सी.
 विधान श्री. का. कु. मोपल

फार्म

"प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2021

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पुरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो संतोष राघवकार, शासकीय केन्द्रीय मुख्यालय, भोपाल 2. वर्तमान धारित पद सीनियर टीडर

3. वर्तमान वेतन 42,000/- अगली वेतनबृद्धि की तारीख 1-7-2020

उस जिले, उस संभाग, कालुका तथा उस का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा धरि		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **"खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा धरि	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गुह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
भोपाल महामील-दुन्दु	भवन	—	वर्तमान मूल्य 75,00,000/- लगभग	स्वयं के नाम पर	सेन्ट्रल बैंक से ऋण लेकर	—	—

* जहां लागू न हो बाट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अलग-अलग पट्टे भी शामिल हैं।

टिप्पणी : पञ्चदशे शासकीय सेवा (आवण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अन्वये प्रथम सेनी, द्वितीय सेनी तथा तृतीय सेनी सेवा के उल्लेख संदर्भ से यह अर्पित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद उल्लेख कानून महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के धरि हैं।

हस्ताक्षर

नाम : संतोष राघवकार

पद : सीनियर टीडर

विभाग : शासकीय केन्द्रीय मुख्यालय, भोपाल

15

फार्म

प्रथम विद्युत् के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह है ... विन्डु शिवारी ... 2. वर्तमान धारित पद ... सी.एस.डी.सी. ...
 3. वर्तमान वेतन ... 46100/- ... अगली वेतनबृद्धि की तारीख ... जुलाई 2021

उस जिले, उप बंधन, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा बंदी		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलावने कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका सामग्रीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिष्ठित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अधिष्ठन की तारीख और जिससे अधिष्ठित की गई हो उसका नाम तथा बंदी	सम्पत्ति से संबंधित अन्य	अधिपुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<u>None</u>							

* यहाँ खाली न हो बरत दीजिए।
 ** ऐसे मामले में यहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, यहाँ वर्तमान स्थिति के आधार में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी: महाभारत सामग्रीय सेवा (आचार्य) विनियम, 1959 के विनियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के उपरिष्ठ सदस्य से यह अधिष्ठित है कि वह सेवा में पुरानी विद्युत् के समय और उसके बाद प्रत्येक बार यूपीसी की अधिष्ठित के पश्चात् वह योग्यता-पत्र पर काय प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके अधिष्ठित की तथा उसके द्वारा अधिष्ठित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित कबला अथवा सम्पत्ति के बंदी हैं।

हस्ताक्षर ... Pinche
 नाम ... विन्डु शिवारी
 पद ... सी.एस.डी.सी.
 विभाग ... उप. सि.मं.जसु.अप. सिन्धीपु
उदवालय गाँव

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2021

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो शमोद रामचन्द्र गर्ग 2. वर्तमान धारित पद मेकेनिक

3. वर्तमान वेतन 44800/- अग्र श्रेणी अगली वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई 2021

उस जिले, उप संभल, जालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा धरि		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाने कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका सामग्रीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिष्ठ किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अधिष्ठ की तारीख और जिससे अधिष्ठ की गई हो उसका नाम तथा पता	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<u>उन्कषपुर (नयापुर) कोराल रोड भोपाल (M-3)</u>	<u>आवासीय</u>	<u>2400/- वर्ग फुट</u>	<u>₹. 70 लाख/- लगभग</u>	<u>स्वयं के नाम पर</u>	<u>24000/- रु विरासत में मेरे पिताजी द्वारा</u>	<u>- nil -</u>	<u>- X -</u>

* जहां लागू न हो वार टीकित।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, जहां वर्तमान स्थिति के अन्तर्ग में लागू मूल्य बतलाना पार।
 *** इनमें आन्तरिकीय चूटो भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : सम्बन्धित सामग्रीय सेवाक (आवाम) नियम, 1955 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक स्तरम से वह अधिष्ठित है कि वह सेवा में पदवी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक चार पदवी की अवधि के पश्चात् वह शीर्षक-पद पर का प्रस्ताव करें और उसमें वह उनके सम्पत्ति की तथा उसके द्वारा अधिष्ठ अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य अधिष्ठ के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित अथवा अचल सम्पत्ति के धरि हैं।

हस्ताक्षर B. Rajeev
 नाम शमोद रामचन्द्र गर्ग
 पद मेकेनिक
 विभाग का-के: गुडगाहप भोपाल (M-5)

13

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूर) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह है **किशोर कुमार साहू** 2. वर्तमान धारित पद **वेब पेड आ. ऑपरेटर**
 3. वर्तमान वेतन **52,500** अगली वेतनवृद्धि की तारीख **जुलाई 2021**

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा धरि		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका राजस्वीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिष्ठित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अधिष्ठित की तारीख और जिससे अधिष्ठित की गई हो उसका नाम तथा धरि	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अधिपुक्ति
	पट्ट तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				NIL			

* जहां लागू न हो कर टिकि।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के अन्तर्ध में लगभग मूल्य बतलाया जाय।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 दिवाणी : बम्बार्देस राजस्वीय सेवक (आधार) नियम, 1959 के नियम 13(3) के अधीन प्रथम सेवी, द्वितीय सेवी तथा तृतीय सेवी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अधिष्ठित है कि वह सेवा में पदवी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार पदवी की अवधि के परभाव पर पौजना-पत्र पर कर उम्तुत करें और उसमें वह अपने अधिष्ठित की तथा उसके द्वारा अधिष्ठित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के धरि हैं।

हस्ताक्षर **किशोर कुमार साहू**
 नाम **किशोर कुमार साहू**
 पद **वेब पेड आ. ऑपरेटर**
 विभाग **शा. के. सु. ओपाल (अधिसूचना)**


फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूर) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह है **श्री किशन लाल उमरिया (नृत्तश)** 2. वर्तमान स्थिति पर **वेव आर्परेटर**
3. वर्तमान वेतन **30,000 + DA** अगली वेतनवृद्धि की तारीख **जुलाई 2021**

उस स्थिति, उस संभाग, कालुका तथा छान का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा खेती		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बताइए कि वह किसके नाम पर धरित है और उसका सामग्रीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिष्ठित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अधिन की तारीख और जिससे अधिष्ठित की गई हो उसका नाम तथा खेती	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अधियुक्ति
	गुड तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<i>nil</i>							

* जहां लागू न हो वहां टिकिए।
 ** ऐसे मामलों में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लागू मूल्य बताइएगा।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश सामग्रीय सेवाक (आचार्य) नियम, 1958 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम सेनी, द्वितीय सेनी तथा तृतीय सेनी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार पहली की अवधि के पर्यन्त वह घोषणा-पत्र पर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अधिष्ठित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धरित समस्त अचल सम्पत्ति के खेती हैं।
 लॉकेनुमो-747-असमाहति-18-1-13-20,000.

हस्ताक्षर 
श्री किशन लाल उमरिया
वेव आर्परेटर
 निम्न आसुधीय केंद्रीय अफ़्साइय
 जोपल

फार्म

"प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2021"

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो दुर्गा ठाकुर शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल 2. वर्तमान धारित पद फोटो सेटिंग ऑपरेटर

3. वर्तमान वेतन 73,200/- अगली वेतनबृद्धि की तारीख 1-7-2021

उस जिले, उस संघान, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा वर्गी		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वर्ग के नाम पर न हो तो बतलाने कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिष्ठित किया गया **"खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अधिष्ठित की तारीख और जिसमें अधिष्ठित की गई हो उसका नाम तथा वर्गी	सम्पत्ति से धारित आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
जिला-भोपाल ताहनील-दुन्दु नगर पालिका कोलार, भोपाल	अचल 29, ट्रेस बालोनी आनन्द नगर भोपाल	भवन	वर्तमान मूल्य ₹. 45,00,000/- सराभरा	स्वर्ग के नाम पर	एम. पी. आई. द्वारा खून लेकर एवं स्वर्ग की वफात से भवन का निर्माण किया	निल	कार्यालय से अनुमति प्राप्त
ग्राम-सेहतराज जिला रायसेन,	—	30*40 घर	वर्तमान मूल्य ₹. 3,00,000/- सराभरा	पति के नाम पर	12-6-2000 को मुजरील खान से क्रय किया गया.	निल	कार्यालय से अनुमति प्राप्त

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, जहाँ वर्तमान स्थिति के कारण में सराभरा मूल्य बतलाना पड़े।

*** इसमें आनकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : कर्मचारी शासकीय सेवा (आवृत्त) विधम, 1954 के विधम 18(3) के अधीन प्रथम सेवा, द्वितीय सेवा तथा तृतीय सेवा सेवा के प्रत्येक स्तर से यह अधिष्ठित है कि यह सेवा में पारसी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक स्तर पर जाने की अवधि के पश्चात् यह संरक्षण पर भी काय प्रस्तुत करें और इसमें यह उनके सम्पत्ति की तथा उसके द्वारा अधिष्ठित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित अथवा अचल सम्पत्ति के प्रति हैं।

आदिपुत्री-767-अवकाश-18-1-13-20,000.

हस्ताक्षर

नाम : दुर्गा ठाकुर

पद : फोटो सेटिंग ऑपरेटर.

विभाग : शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020-21

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो **आर. आर. पद्मामिषा** 2. वर्तमान धारित पद **फो. 2 से आप.**
3. वर्तमान वेतन **₹ 66,400 + D.A.** अगली वेतनबृद्धि की तारीख **जुलाई, 2021.**

21

उस जिले, उप-संभाग, जिल्ला तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा खेती		**वर्तमान मूल्य	यदि वर्णों के नाम पर न हो तो बतलाइए कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिष्ठित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अधिष्ठित की गई हो उसका नाम तथा खेती	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गुह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
भोपाल	" भवन "	—	₹. 20 लाख लगभग	स्वयं	स्वयं की आवश्यकता एवं SBI Housing Loan Scheme द्वारा	—	शासकीय अनुमति प्राप्त

* जहाँ लागू न हो वहाँ टिकित।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, जहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाए।

*** इनमें शासकीय पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : कथ्यजित शासकीय सेवाक (अचल) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम सेवे, द्वितीय सेवे तथा तृतीय सेवे सेवा के प्रत्येक वर्ग से वह अनधिकृत है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार पहली की अवधि के पारंपार्य या योग्य-पद पर वह प्रयुक्त कीं और इसमें वह उसके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अधिष्ठित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के खेती हैं।

संकेत-767-असहायि-18-1-13-30,000.

हस्ताक्षर **P. Sakshy A.**
 नाम **आर. आर. पद्मामिषा**
 पद **फो. 2 से आप.**
 जिला **आ. के. सु. भोपाल A-5**

22

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अथवा सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20-21

1. अधिकारी/कार्यकारी का (पुरु) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो जे. सी. शुक्ला 2. वर्तमान धारित पर मोनों आफरेंट
 3. वर्तमान वेतन 80,000 + डी.ए. अगली वेतनबृद्धि की तारीख 1 जुलाई 2021

उस जिले, उप-संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा धरति		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धरित है और उसका राजस्वीय कार्यकारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधन, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा धरति	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अधिपुस्तिका
	पट्ट तथा अन्य धवन	धूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
NIL							

* जहां खाल्य न हो वहां टिकिचु।
 ** ऐसे मामलों में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, जहां वर्तमान स्थिति के आधार में लगभग मूल्य बतलाया जाय।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश राजस्वीय सेवाक (आयतन) विनियम, 1939 के विनियम 18(3) के अन्तर्गत प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के उपलब्ध सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में प्रवेश करने के समय और उसके बाद उसके कार्य करने की अवधि के सम्बन्ध में घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर करें और उसमें वह उसके सम्पत्तिक की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधन पर उसके द्वारा धरित समस्त अथवा सम्पत्ति के धरति हैं।
 राजपुस्तक-747-आयतनवि-18-1-19-20,000.

हस्ताक्षर
 नाम जे. सी. शुक्ला
 पद मोनों आफरेंट
 विभाग श्रीसुन्दर के डीके सुदामाजी
भोपाल (म.प्र.)

फार्म

"प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020-21"

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पुरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो आशुतोष गुप्ते, शासकीय केन्द्रीय मुख्यालय, भोपाल 2. वर्तमान धारित पद स्टाईनो आर्चरेटर

3. वर्तमान वेतन 64,000/-**डी.ए.** अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1-7-2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा स्थिति		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिष्ठित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अधिष्ठित की तारीख और जिसमें अधिष्ठित की गई हो उसका नाम तथा स्थिति	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अधियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
जिला-भीपाल तहसील-दुबूर नगर पालिका कोलार, भीपाल	प्लॉट नं. 33-बी डी.के.-5, राजिदा कुंज, कोलार, भीपाल	भवन	वर्तमान मूल्य ₹. 70,00,000/- लगभग	स्वयं के नाम पर	एल. बी. आई. द्वारा जून सेक्टर एवं स्वयं की बचत से भवन का निर्माण किया	निल	कार्यलय से अनुमति प्राप्त

* जहां लागू न हो बतल दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के आधार में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवा (आचार्य) नियम, 1959 के नियम 12(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अधिष्ठित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार पहली की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अधिष्ठित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित अथवा अचल सम्पत्ति के स्थिति दें।

हस्ताक्षर

नाम : आशुतोष गुप्ते

पद : स्टाईनो आर्चरेटर

विभाग : शासकीय केन्द्रीय मुख्यालय, भोपाल

कार्य

“प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020-2021

अधिकारी/कर्मचारी का (पुरु) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो मुन्दा लाल रामकवार , सहायक डेपू-2
 1. वर्तमान वेतन 44800/- की दर

2. वर्तमान धारित पद :- सहायक डेपू-2
 अगली वेतन वृद्धि की तारीख:- 01.07.2021

उस जिले, उस संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि बंदों के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया "खरी, पट्टे, बंधक, विरासत, भेज या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरे	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभिपुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि	निरंक	-	-	-	-

* जहां लागू न हो काट दीजिए ।

* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए ।

** इसमें अल्पकालीन पट्टे की सम्मिलित है ।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अर्जित प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने के अवधि के पर्याय यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें

हस्ताक्षर 
 नाम- मुन्दा लाल रामकवार
 पद- सहायक डेपू-2
 विभाग-शासकीय मुद्रा बोधाल

25

1-1-20 से 31-12-20 की तिथि के

कार्य

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूर्व) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो मीरा सिरवानी 2. वर्तमान धारित पर अहाल सेवा
 3. वर्तमान वेतन 54100/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1-7-20

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा धरि		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलावने कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका सामंतीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिष्ठ किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अपने की तारीख और जिससे अधिष्ठ की गई हो उसका नाम तथा धरि	सम्पत्ति से संबंधित अन्य	अधिपुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
58, राजा नगर पिपलानी पोस्टोफिस के पास, जोपाल	गावन 30x50 वर्गमीटर	-	3500000	स्वयं के नाम पर	खरीद करवाया	मिल	

* जहां लागू न हो वहां खाली रखें।
 ** ऐसे मामलों में जहां मूल्य का सही-सही विवरण बताना संभव न हो, जहां वर्तमान स्थिति के आधार में लागू मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें आनुवंशिक पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी: मध्यप्रदेश सामंतीय सेवाक (आचार्य) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम कैदी, द्वितीय कैदी तथा तृतीय कैदी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अधिष्ठित है कि वह सेवा में प्रवेशी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार प्रवेशी की अवधि के परीक्षा पर प्रवेश-पत्र पर का प्रस्तुत करें और उसमें वह अपने स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अधिष्ठित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित बतलाए अचल सम्पत्ति के धरि हैं।
 लोकसूची-747-असाधारण-18-1-13-20,000.

हस्ताक्षर Miravani
 नाम मीरा सिरवानी
 पद अहाल सेवा
 जिला जोधपुर

26

फार्म

"प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20 20-21

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो अशोक कुमार कुंभे 2. वर्तमान धारिता पर नि.साम.क. 333-आ
 3. वर्तमान वेतन १३:५.६७.५९/० अगली वेतनवृद्धि की तारीख ०७/२१.....

उस जिले, उस संभाग, जिल्ला तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा धरती		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलावें कि वह किसके नाम पर धारिता है और उसका सम्बन्धी कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिष्ठित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, धेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अधिष्ठित की तारीख और जिससे अधिष्ठित की गई हो उसका नाम तथा धरती	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अधिष्ठाता
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
मोहारा शेड, मोहारा, मोहारा (क-५)	खेती 21x50 1050 वर्ग फीट	-	9.50 लाख का	स्वयं का पत्नी के नाम	LIC HFL से खरीदा, स्वयं का धन से खरीदा।	निरंतर	बाप की धरती पर 2827 कि. 7/8/19 ग्राहक मोहारा-उप की अनुमति प्राप्त की गई है।

* जहां लागू न हो वार टिकिट।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, जहां वर्तमान धरिता के सम्बन्ध में लागू मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी: सम्बन्धित सम्बन्धी कर्मचारी (आयदा) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम सेवी, द्वितीय सेवी तथा तृतीय सेवी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अधिष्ठित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार पहली की अवधि के परामर्श या घोषणा-पत्र पर का प्रस्ताव करें और उसमें वह उसके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अधिष्ठित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धरिता सम्पत्ति अचल सम्पत्ति के धरिता हैं।
 लोकसूची-747-असमाप्त-18-1-13-20,000.

हस्ताक्षर अशोक कुमार कुंभे
 नाम अशोक कुमार कुंभे
 पद नि.साम.क. 333-आ
 जिला मिर्जापुर, बागलपुर, मुंगेर तथा लेखन सामग्री मोहारा (क-५)

27

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020-21

1. अधिकारी/कार्यकारी का (पूर्व) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह है **रघुवीर सिंह शर्मा** 2. वर्तमान धारिता पर **अधीन सेवा-3**
3. वर्तमान वेतन **43500** अगली वेतनवृद्धि की तारीख **1-7-2021**

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा खेति		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलायें कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कार्यकारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिष्ठित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अधिष्ठित की तारीख और जिससे अधिष्ठित की गई हो उसका नाम तथा खेति	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अधिपुत्रिता
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
मालती सिद्धार्थ आम-कोटवा मिर्जा-गोपाल	लॉन्ड नं० 328	23x40	4,00,000	रघुवीर सिंह शर्मा (स्वयं)	खरीदा गया वर्ष 2014	-	

* जहां लागू न हो कार्ड देखिए।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के आधार में लागू मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी: सम्बन्धित शासकीय सेवाक (आचार्य) नियम, 1954 के नियम 18(3) के अधीन उभय हेतु, द्वितीय हेतु तथा तृतीय हेतु सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में प्रवेश नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार प्रवेश करने की अवधि के परीक्षा या प्रवेश-पत्र पर का प्रस्तुत करें और इसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अधिष्ठित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के खेति दें।
 लोकप्रति-727-अवकाश-18-1-13-20,000.

हस्ताक्षर **रघुवीर सिंह शर्मा**
 नाम **रघुवीर सिंह शर्मा**
 पद **अधीन सेवा-3**
 विभाग **आम-कोटवा, मिर्जा-गोपाल**

28

फॉर्म

"प्रथम नियुक्ति के समय अथवा सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020, 2021"

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो **श्रीमती शकुन्ता लाला भोसले** 2. वर्तमान धरित पर **सहायक ग्रेड-3**
 3. वर्तमान वेतन **42,200K.D.A** अगली वेतनबृद्धि की तारीख **1-7-2020**

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा धरि		**वर्तमान मूल्य	यदि धरिये के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धरित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिगत किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अधिगत की तारीख और जिससे अधिगत की गई हो उसका नाम तथा धरि	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	घर तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
NIL							

* यहाँ लागू न होकर दीजिए।
 ** ऐसे मामलों में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, यहाँ वर्तमान स्थिति के आधार में अनुमान मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें शासकीय पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : सम्बन्धित शासकीय सेवा (आचार्य) नियम, 1959 के नियम 15(3) के अधीन प्रथम सेनी, द्वितीय सेनी तथा तृतीय सेनी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अधिगत है कि वह सेवा में पारसी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार नई नई अधिगत के सम्बन्ध में पारसी-पार या का प्रस्तुत करें और इसमें वह उनके स्वधर्म से तथा उसके द्वारा अधिगत अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धरित समस्त अथवा सम्पत्ति के धरि हैं।

हस्ताक्षर **[Signature]**
 नाम **शकुन्ता लाला भोसले**
 पद **सहायक ग्रेड-3**
 विभाग **शा. के.सी.म. मुकुन्दलाल म. के.पार**

29

फॉर्म

प्रथम विद्युति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पुरु) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह है श्रीमति सरिता मुरलिधर 2. वर्तमान धारित पद Asst. G-III
 3. वर्तमान वेतन 4 आयी वेतनवृद्धि की तारीख 01.07.21

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा धरि		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिष्ठ किया गया ***खरीद, पट्टे, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्थों की तारीख और जिससे अधिष्ठ की गई हो उसका नाम तथा धरि	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अधिष्ठित
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
—	—	—	निल	—	—	निल	—

* जहां लागू न हो वहां टिकिद।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवाक (आचार्य) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक वर्गमें से वह अधिष्ठित है कि वह सेवा में पहाली विद्युति के समय और उसके बाद प्रत्येक वर्ग में वर्धित की अवधि के सम्बन्ध में पौज्या-पत्र या का प्रस्तुत की और उसमें वह उसके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अधिष्ठ अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक या उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के धरि हैं।

हस्ताक्षर Sarita
 नाम Smt. Sarita Mullin
 पद Asst G-III
 विभाग Revenue

30

फार्म

"प्रथम नियुक्ति के समय अवल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पुरु) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो हरिकान्त सिन्हा 2. वर्तमान धारित पर

3. वर्तमान वेतन 39850/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई 2021

उस जिले, उप बंधन, राज्य का तथा उस का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा धारि		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका राजस्वीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधन, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा धारि	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अधिपुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
ग्राम अफसरपुर राष्ट्रीय इण्डिया जिला-भोजपुर	आबाल कामेक्स कान्चनपुर जोगापुर भोजपुर	—	12,50,000/- स्वयं		खेक से गणेशचंदर शान्तिपुर विश्रा शांत से	Nic	Nic

* जहां लागू न हो वहां डीकेड।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही विवरण 'कारण संबंध न हो, जहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में सतर्क मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें राजस्वीय पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 विवरण: सभापति राजस्वीय सेवा (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम सेवा, द्वितीय सेवा तथा तृतीय सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार पहली की अवधि के पर्याप्त वह योग्यता-पत्र या का प्रस्तुत करें और उसमें वह अपने स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधन पर उसके द्वारा धारित बतलाव अवल सम्पत्ति के धारि हैं।

हस्ताक्षर Maha
 नाम हरिकान्त सिन्हा
 पद उप-सचिव
 जिला मुहुप तथा मेखन काशी
भोजपुर

31

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20 20-21

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पुरु) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो मो० मोहानिन 2. वर्तमान धारित घर रहाड़ ग्रो-III
3. वर्तमान वेतन ₹ 38400/- अगली वेतनबृद्धि की तारीख 1-7-2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा गांव का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा भूमि		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलावने कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका सामग्रीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसी किस प्रकार अधिगत किया गया ***खरीद, पट्टे, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अधिगत की तारीख और जिससे अधिगत की गई हो उसका नाम तथा पता	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अधिपुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
←				रिक्त	→		

* जहां लागू न हो काट दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के आधार में लागू मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : अध्यादेश सामग्रीय सेवा (आचार्य) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम सेवी, द्वितीय सेवी तथा तृतीय सेवी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार पदोन्नति की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और इसमें वह उनके अधिगत की तथा उसके द्वारा अधिगत अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के बतौ हैं।

हस्ताक्षर मो० मोहानिन
 नाम मो० मोहानिन
 पद रहाड़ ग्रो-III
 विभाग उप निरीक्षक, आठ के० गु०, मोपल

32

फार्म

"प्रथम नियुक्ति के समय अद्यतन सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020-2021"

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूर) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह है ... आशु जी गोत्र 2. वर्तमान धारित पद ... सहायक डी३-३
3. वर्तमान वेतन ... 4.0302/- ... अगली वेतनवृद्धि की तारीख ... 1-7-21

उस जिले, उप संभाग, कालुका तथा घान का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति का नाम तथा स्वरि		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलावने कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका सामग्रीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिभूत किया गया ** "खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अधिभूत की तारीख और जिससे अधिभूत की गई हो उसका नाम तथा स्वरि	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अधिभूत
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<u>आंध्रप्रदेश</u>	<u>गृह</u>	<u>-</u>	<u>लक्ष्मण इन्द्र नाथ</u>	<u>बच्चों के नाम पुत्र का</u>	<u>वसीयत</u>	<u>कुछ नहीं</u>	

* जहाँ लागू न हो वहाँ टिकित।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के आधार में लागू मूल्य बतलावना चाहें।

*** इसमें आन्तरिक धारित भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : पञ्चदशेक सामग्रीय सेवाक (आवक) नियम, 1954 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम सेवे, द्वितीय सेवे तथा तृतीय सेवे के प्रारंभिक सदस्य से यह अधिभूत है कि वह सेवा में पुरानी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार पुरानी की अवधि के परभाव या परिवर्तन-पर या कर प्रयुक्त की और उसमें वह उनके अधिभूत की तथा उसके द्वारा अधिभूत अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अद्यतन सम्पत्ति के स्वरि हैं।

हस्ताक्षर

नाम आशु जी गोत्रपद सहायक डी३-३स्थान उप वि. के. आ. के. डी. प. कुलुम्प

33

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2021

1. अधिकारी/कार्यकारी का (पूर) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो **रणवीर सिंह रावत** 2. वर्तमान धरित पर **सहायक ग्रेड III**
3. वर्तमान वेतन **36,000/- + DA** अगली वेतनबृद्धि की तारीख **जुलाई**

उस जिले, उप-संभाग, जलसुका तथा डाम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा खी		**वर्तमान मूल्य	यदि वर्तमान के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धरित है और उसका शासकीय कार्यकारी से क्या संबंध है	उस किस प्रकार अधिष्ठित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा वर्तमान की तारीख और जिससे अधिष्ठित की गई हो उसका नाम तथा खी	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गुह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				निरंक			

* जहां खाल्य न हो वहां धरित।

** ऐसे मामलों में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाय।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यजंतेत शासकीय सेवाक (आचार्य) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम सेवी, द्वितीय सेवी तथा तृतीय सेवी सेवा के इच्छुक सदस्य से यह अधिष्ठित है कि वह सेवा में पुरानी नियुक्ति के समय और उसके बाद इच्छुक बराह महीने की अवधि के अन्तर्गत वह बंधक-पत्र या का उम्मुद करी और उसमें वह उसके सम्पत्तिक की तथा उसके द्वारा अधिष्ठित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धरित समस्त अचल सम्पत्ति के खी हैं।

संकेतपत्र-747-अन्यथादि-18-1-13-20,000.

हस्ताक्षर Ranveer Singhनाम **रणवीर सिंह रावत**पर **सहायक ग्रेड III**विभाग **शासकीय केंद्रीय मुख्यालय,**
गोपाल, (म.प्र.)

34

फार्म

प्रथम विधुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020-21

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह है रुकमाजत पांडेय 2. वर्तमान धरित पर सहायक वजी III
 3. वर्तमान मूल्य 35,100/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1-7-2021

उन जिले, उन संघ, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा खेती		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो ब्यक्तियुक्त कि वह किसके नाम पर धरित है और उसका राजस्वगत कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिष्ठ किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अधिष्ठ की तारीख और जिससे अधिष्ठ की गई हो उसका नाम तथा खेती	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अधिपुक्ति
	गुह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	NIL			NIL		NIL	

* जहां लागू न हो काट दें।
 ** ऐसे मामलों में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, जहां वर्तमान विधुक्ति के सन्दर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें आन्ध्रप्रदेश पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश राजस्वगत सेवा (आचार्य) विनियम, 1959 के विनियम 18(3) के अधीन प्रथम सेनी, द्वितीय सेनी तथा तृतीय सेनी सेवा के वर्गीकृत वर्गों से वह अधिष्ठित है कि वह सेवा में पुरानी विधुक्ति के समय और उसके बाद वर्गीकृत कराए जाने की अवधि के पश्चात् वह योग्यता-पत्र पर का प्रस्तुत की और इसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अधिष्ठ अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धरित समस्त अचल सम्पत्ति के खेती हैं।

हस्ताक्षर
 नाम रुकमाजत पांडेय
 पद सहायक वजी III
 स्थान उप निदेशक मातृ केंद्र, भोपाल

35

फार्म

"प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20-26

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो हेमन्ता पारमधुर 2. वर्तमान धारित पद सहायक उद्देगी
3. वर्तमान वेतन 34,000/- आगामी वेतनवृद्धि की तारीख 1-7-2026

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा खेति		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलावने कि यह किसके नाम पर धारित है और उसका सामंतीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिष्ठित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अधिष्ठित की तारीख और जिससे अधिष्ठित की गई हो उसका नाम तथा खेति	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अधिपुस्तिका
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
NIL							

* जहां लागू न हो वार धरिचिह्न।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, जहां वर्तमान विधि के अन्वये में लागू मूल्य बतलाना पड़े।
 *** इनमें आनुवांशिक पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : सभापति सामंतीय सेवा (आवयन) विधम, 1959 के विधम 18(3) के अधीन प्रथम सेवा, द्वितीय सेवा तथा तृतीय सेवा के प्रत्येक स्तर से यह अधिष्ठित है कि यह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार पहिले की अवधि के पश्चात् यह अधिष्ठित-पद या का प्रत्युक्त की और इसमें का उसके अधिष्ठित की तथा उसके द्वारा अधिष्ठित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित अथवा अचल सम्पत्ति के खेति हैं।

हस्ताक्षर [Signature]
 नाम हेमन्ता पारमधुर
 पद सहायक उद्देगी
 जिला सहायक उद्देगी

फार्म

“प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो नीरू रामनवार 2. वर्तमान धारिता पर अहायक वर्ग III
 3. वर्तमान वेतन 33100/- अगली वेतनबृद्धि की तारीख दुलाई 2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा बर्ण		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलावने कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, धेरा या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा बर्ण	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<u>औधाल</u>	<u>मकान</u>	<u>-</u>	<u>अनुमानित 7,00,000/-</u>	<u>स्वयं</u>	<u>जिम्मेदारी से लार्ज लेकर एवं लैंड से अहायक</u>	<u>MIL</u>	

* जहां लागू न हो वार टिकित।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, जहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।
 टिप्पणी : अध्यादेश शासकीय सेवक (आवक) नियम, 1954 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम हेतु, द्वितीय हेतु तथा तृतीय हेतु सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अनुरोध है कि वह सेवा में प्रवेश नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार प्रवेश करने की अवधि के परभाव या परिवर्तन पर वह का प्रमाण पत्र और इसमें वह उसके स्थानित की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित अथवा अचल सम्पत्ति के बर्ण हैं।
 लोकसूची-747-अवकाश-18-1-13-20,000.

सहका... नीरू रामनवार
 पर नीरू रामनवार
 पर अहायक वर्ग III
 निवास उप-निवांच शासकीय केन्द्रीय
 मुद्रमालय औधाल

37

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20 20

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह है कुमारी श्रीमती मोदी 2. वर्तमान धारित पर का 33 15
3. वर्तमान वेतन 45340 आयी वेतनवृद्धि की तारीख 1.7.2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा धरि		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि यह किसके नाम पर धारित है और उसका राजस्वीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिष्ठित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, शेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अधिष्ठन की तारीख और जिससे अधिष्ठित की गई हो उसका नाम तथा धरि	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अधिपुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<u>का 33 15 का 33 15</u> <u>का 33 15 का 33 15</u> <u>का 33 15</u>	-	-	<u>220114</u>	<u>अन</u>	<u>नी</u>	<u>नी</u>	

* जहां लागू न हो वार रोजिद।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करने संभव न हो, जहां वर्तमान स्थिति के आधार में लागू मूल्य बतलाया जाए।
 *** इनमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : सशस्त्र राजस्वीय सेवा (आधार) विनियम, 1959 के विनियम 18(3) के अधीन उभय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के उपरोक्त सदस्य से यह अधिष्ठित है कि वह सेवा में प्रथम नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार प्राप्ति की अवधि के पर्याप्त यह घोषणा-पत्र या कर उपलब्ध करें और इसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अधिष्ठित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के धरि हैं।
 लोकपुत्री-747-अवकाश-18-1-13-20,000.

हस्ताक्षर नी
 नाम कु. श्रीमती मोदी
 पर का 33 15
 तिथि 20 मार्च 2021

38

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूर) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह है श्री राकेश मेवाडे 2. वर्तमान धारित पद सहा वर्ग - III
 3. वर्तमान वेतन 33100 + DA ... अगली वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई 2020

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा खति		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका राजस्वीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिष्ठित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अधिन की तारीख और जिससे अधिष्ठित की गई हो उसका नाम तथा खती	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अधिपुक्ति
	पट्ट तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
मि. 1	X	X	X	X	X		

* जहां लागू न हो वहां खाली रखें।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के आधार में लागू मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।
 टिप्पणी : सशस्त्र हिंसक राजस्वीय सेवाक (आधार) विनियम, 1959 के विनियम 18(3) के अधीन उभय क्षेत्री, द्वितीय क्षेत्री तथा तृतीय क्षेत्री सेवा के उपरिष्ठ सदस्य से यह अधिष्ठित है कि वह सेवा में पदवी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार पदवी की अवधि के परभाव पर पदोन्नति-पत्र या पद प्रत्युत्तर करें और इसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उनके द्वारा अधिष्ठित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के खती हैं।

हस्ताक्षर श्री राकेश मेवाडे
 श्री राकेश मेवाडे
 सहा वर्ग - III
 विभाग उप निदेशक शा. क. शुभोपाल

3

फार्म

“प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो स्वामी कुमार डूवे 2. वर्तमान धारित पर 6/5/10 3/15-3
 3. वर्तमान वेतन 34,100/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1-7-2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा खेति		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलायें कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका राजस्वीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिष्ठित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अधिष्ठन की तारीख और जिससे अधिष्ठित की गई हो उसका नाम तथा खेति	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अधिपुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

* जहां लागू न हो वहां टिकिए।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के आधार में लागू मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।
 टिप्पणी: सशस्त्र राजस्वीय सेवाक (आयुक्त) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम सेवा, द्वितीय सेवा तथा तृतीय सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अधिष्ठित है कि वह सेवा में प्रवेश के समय और उसके बाद प्रत्येक बार प्रवेश की अवधि के परभाव पर प्रवेश-पत्र पर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अधिष्ठित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के खेति हैं।

हस्ताक्षर [Signature]
 नाम Sudhakar D. D. D.
 पद Officer
 विभाग G.E.D. Bhopal

जार्न

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020 (दिनांक 1-1-2020 से 31-12-2020)

1. अधिकारी/कार्यकारी का (पूर्व) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो श्रीधर सिंह सिरोदिया ... 2. वर्तमान धारिता पर सहायक ग्रेड-2 ...
3. वर्तमान वेतन 48,100/- + DA, अगली वेतनबृद्धि की तारीख 1-7-2021 ..

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कार्यकारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिष्ठित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अधिष्ठित की तारीख और जिससे अधिष्ठित की गई हो उसका नाम तथा पता	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अधिपुत्रिता
	प्लॉट तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
भोपाल जिला ग्राम- हतात्रिसेड़ा आनन्द नगर भोपाल।	बट्टा 25'x40' प्लॉट पर निर्मित	-	25 लाख	स्वयं के नाम	स्वयं की कम्पन, जी.पी.एच. एस. नि.स.लेख स्वयं पिताजी से प्राप्त राशि से।	-	-

* जहाँ खाल्य न हो वहाँ डी.के.ए.

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण कार्य संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के आधार में लागू मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकार्यालय पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : महादेश शासकीय सेवा (आचार्य) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन उभय दिशि, द्वितीय दिशि तथा तृतीय दिशि सेवा के उभयपक्षों से यह अधिष्ठित है कि वह सेवा में पदवी नियुक्ति के समय और उसके बाद उभयपक्षों के पदवी के अधिष्ठित के पश्चात् यह अधिष्ठित-पत्र या कर उभयपक्षों और उभयपक्षों के स्वामित्व की सेवा उनके द्वारा अधिष्ठित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके जीवन के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित अथवा अचल सम्पत्ति के ब्यौरे हैं।

लोकप्रति-747-अनवरति-18-1-13-20,000.

हस्ताक्षर Sirodia

नाम श्रीधर सिंह सिरोदिया

पर सहायक ग्रेड-2

विभाग शासकीय केन्द्रीय मुख्यालय,
भोपाल।

41

फार्म

"प्रथम विपुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20

1. अधिकारी/कार्यकारी का (पुरु) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो वी.एस. कुमार मिश्र 2. वर्तमान धारिता पर A5.11
 3. वर्तमान पेंशन आरती पेंशनबुद्धि की तारीख 1-7-2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा खीर		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलावने कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका सामंतीय कार्यकारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिष्ठित किया गया ** "खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अपने की तारीख और जिससे अधिष्ठित की गई हो उसका नाम तथा खीर	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अधिपुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<u>राय</u>	<u>मी</u>	<u>खेत</u>	-	<u>माता + स्वयं के नाम 20417.9</u>	-	-	<u>परवीशत 2020 25 नोव 20 25</u>

* जहां लागू न हो कार देखिए।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही विवरण कार्यालय संभव न हो, जहां वर्तमान स्थिति के अन्तर्भ में लागत मूल्य बतलाया जाए।
 *** इनमें आनुसंधान चट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : सम्बन्धित सामंतीय सेवा (आवरण) नियम, 1959 के नियम 19(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के इत्येक सदस्य से यह अधिष्ठित है कि वह सेवा में पहली विपुक्ति के समय और उसके बाद इत्येक बार धारिता की अवधि के परभाव यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करे और इसमें वह अपने स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अधिष्ठित अपना उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित कालत अचल सम्पत्ति के खीर हैं।

हस्ताक्षर T. S. ...
 नाम वी.एस. कुमार मिश्र
 पद A5.11
 विभाग पिस. डी. डी. ...

42

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पुरु) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह है Sanje Mishra 2. वर्तमान धारित पद Asst. Secy. Genl. Secy.
 3. वर्तमान वेतन 30300 अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01/01/21

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा स्थिति		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका सामंतीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिगत किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, शेर या अन्य किसी प्रकार से तथा अधिन की तारीख और जिससे अधिगत की गई हो उसका नाम तथा स्थिति	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभिप्रेक्षा
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

* जहां लागू न हो वहां धारित।
 ** ऐसे मामलों में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के आधार में लागू मूल्य बतलाना चाहें।
 *** इनमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश सामंतीय सेवा (आचार्य) विनियम, 1959 के विनियम 18(3) के अधीन प्रथम सेवा, द्वितीय सेवा तथा तृतीय सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार पहली की अवधि के पश्चात् वह पौजना-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उसके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अधिगत अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित अचल सम्पत्ति के स्थिति दें।

हस्ताक्षर [Signature]
 नाम Sanje Mishra
 पद Asst. Secy.
 विभाग आ.सं.सु. मंत्रालय

43

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20 21

1. अधिकारी/कार्यकारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो अजित कुमार 2. वर्तमान धारिता पर इ.आ.जी. 3
3. वर्तमान वेतन 31200 अगली वेतनबृद्धि की तारीख 1.7.2021

उस जिले, उप बंधन, कालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा बर्ण		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बताइयें कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कार्यकारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधन, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा पता	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<u>श्रीपान</u>	<u>गृह</u>	<u>-</u>	<u>27,00,000</u>		<u>स्वयं की बचत, जिसे डिपोजिट से माड एवं ऋण द्वारा</u>		

* जहां लागू न हो वहां खाली रखें।
 ** ऐसे मामलों में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, जहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लागू मूल्य बताया जाय।
 *** इनमें शासकीय पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवा (आचार्य) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम सेवी, द्वितीय सेवी तथा तृतीय सेवी सेवा के उल्लेख करण से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद उल्लेख किये गये नियमों की अवधि के पारपाल या बीसवा-या या का उपरुक्त की और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधन पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के बर्ण हैं।
 संकेत-747-असाधारण-18-1-13-20,000.

हस्ताक्षर [Signature]
 नाम अजित कुमार
 पद इ.आ.जी. 3
 स्थान इ.आ.के.सु. श्रीपान

45

फार्म

"प्रथम नियुक्ति के समय अथवा सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह है दिनेश त्रैलोक्य 2. वर्तमान धारित पद सहायक जे.डि-तीन

3. वर्तमान वेतन 27000+DA अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01-जुलाई 2021

उस जिले, उस संभाग, जिलुकु तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा स्थिति		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका राजस्वगत कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिष्ठित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधन, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अधिष्ठन की तारीख और जिससे अधिष्ठित की गई हो उसका नाम तथा स्थिति	सम्पत्ति से वार्षिक आम	अभिपुष्टिका
	गुह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
वैदिक नं. 36/3 सी.टी. जे. वैरागट ब्रोफाल	अफाल 10X60 600 वर्गफिट		10,00,000/- रु. एक लाख रुपये लगभग	स्वयं	(पैतरीक)	तीन	

* जहां लागू न हो वहां टिकित।
 ** ऐसे मामलों में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, जहां वर्तमान स्थिति के आधार में लागू मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश राजस्वगत कर्मचारी (आचारण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम केंपी, द्वितीय केंपी तथा तृतीय केंपी सेवा के प्रत्येक चरण से वह अधिष्ठित है कि वह सेवा में पदावधि नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक चरण पार करने की अवधि के पश्चात् वह चौथरा-पाठ पर कर उपयुक्त करी और उसमें वह अपने स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अधिष्ठित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधन या उसके द्वारा धारित सरल अथवा सम्पत्ति के अधीन हैं।

हस्ताक्षर दिनेश
 नाम दिनेश त्रैलोक्य
 पद सहायक जे.डि-3
 निवास शांतिनंद नं. 3/4 मुईकालपुर

सर्त

"प्रथम विद्युत के सार्वजनिक उपयोग का विवरण, वर्ष 2020"

(1) अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो सीक कृपया बतलाएं (2) वर्तमान पदित पर सहायक बी३-३

(3) वर्तमान वेतन 28200 (4) अगली वेतन कृति की तारीख 01-07-2021

जब किन्तु, उस संशोधन लागू तथा नाम का नाम, जिसमें संशोधन किया हो	संशोधन का नाम तथा शीर्ष		वर्तमान मूल्य	यदि वर्तमान के नाम पर न हो तो ब्याख्या कि वह किसके नाम पर पदित है और उसके द्वारा/कर्मचारी के क्या शीर्ष है।	जो किन्तु प्रकार अर्पित किया गया, राष्ट्रीय, पट्टा, संयुक्त, विद्यमान, भेद या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्पण की तारीख और जिससे अर्पण की गई हो उसके नाम तथा शीर्ष	संशोधन से वार्षिक आय	अभिप्रेत
	पूरा तथा अन्य नाम	पुनः					
01	02	03	04	05	06	07	08
1. नाम संशोधन और/या शीर्ष	-	पट्टा	600000/-	सर्व	नाम की कृपया एवं वर्तमान की कृपया से आय किया	कुछ नहीं	
2. नाम संशोधन और/या शीर्ष	-	पट्टा	300000/-	सर्व		कुछ नहीं	

- यहाँ ध्यान न हो का संशोधन
- ऐसे मामलों में यहाँ मूल्य का कोई-कोई विवरण बतला देना न हो, यहाँ वर्तमान विधि के संदर्भ में वर्तमान मूल्य बतलाया गया
- वर्तमान अनुसंधान यहाँ भी संशोधित है।

विशेष अनाधिकृत द्वारा/कर्मचारी सेवा (अनुसंधान विभाग 1988 के विभाग-13 (3) के अंतर्गत प्राप्त सेवा, विशेष सेवा तथा विशेष सेवा सेवा के विशेष प्रकार से यह अर्पित है कि वह सेवा में यहाँ विद्युत के सार्वजनिक उपयोग और उसके नाम पर विशेष बतला देना की अर्थों के कारण यह विशेष पर विशेष लागू की और अर्पण वह उसके वर्तमान की तथा उसके द्वारा अर्पित अथवा जो विद्यमान में किन्तु या उसके अर्पण नाम पर या उसके वर्तमान के किसी प्रकार के नाम पर या किसी अन्य शीर्ष के नाम पर यहाँ का सीक पर उसके द्वारा पदित अथवा अथवा कंपनी के शीर्ष है।

हस्ताक्षर 

नाम :- सीक कृपया बतलाएं
 पद :- सहायक बी३-३
 विभाग :- इंजीनियरिंग कर्मचारी
 "सुपरीम वेल्फेयर क्लब"
 द्वारा/कर्मचारी सुपरीम वेल्फेयर, शीर्ष

46

फार्म


प्रथम विद्युतित के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. अधिकारी/कार्यकारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह है **विनीद कुमार गौर** 2. वर्तमान धारित पद **एसएस डी-3**
 3. वर्तमान वेतन **20200** अगली वेतनवृद्धि की तारीख **1 फुलर 2020**

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा धरती		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलावने कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका सामग्रीय कार्यकारी से क्या संबंध है	उसी किस प्रकार अधिष्ठित किया गया ** "खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अधिन की तारीख और जिससे अधिष्ठित की गई हो उसका नाम तथा धरती	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभिपुष्टि
	प्लॉट तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
ग्राम देवुपाद कीड़ी हसील गैरतमंज जिला- रामसेन	-	5.00 हेक्टर	16,00,000 लक्षिक	-	पिपणी डे कोरपोरेशन धरती है 9 म की धरती	10,000 लक्षिक	
अमिगोतपुर हसील गैरतमंज जिला- रामसेन	घुट्टा भवन	-	3,00,000 लक्षिक	-	पैन्डी	निल	
EWS-430, Housing Board Colony Ayodhya Nagar Mehra	विंगलैकल गड्डन	-	14,00,000 लक्षिक	-	बैंक द्वारा अधिस्तलोन ले पूरा किया गया	निल	

* जहाँ लागू न हो कार्टीवियर।
 ** इसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही विवरण करने संबंध न हो, जहाँ वर्तमान स्थिति के सम्बन्ध में सम्पत्ति मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें आनुकूल्य पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी: मध्यप्रदेश सामग्रीय सेवा (अवकाश) विधायक, 1959 के विधायक 18(3) के अन्तर्गत प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के वर्गीकृत करण से यह अधिष्ठित है कि वह सेवा में पहली विद्युतित के समय और उसके बाद वर्गीकृत करण धरती को अधिष्ठित के सम्बन्ध यह योजना-पर या का प्रयुक्त करें और इसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अधिष्ठित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्ति अथवा सम्पत्ति के धरती हैं।

हस्ताक्षर 
 नाम **विनीद कुमार गौर**
 पद **एसएस डी-3**
 जिला **आरा के कु सोपल**

47

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अथवा सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह है जीमती जीला कर्मी 2. वर्तमान धारित पद अहायक जे 5-3
 3. वर्तमान वेतन 27800 अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1-7-21.....

उस जिले, उस संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा स्थिति		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका राजस्वकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिष्ठित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, धेद या अन्य किसी प्रकार से तथा अधिष्ठित की तारीख और जिससे अधिष्ठित की गई हो उसका नाम तथा स्थिति	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अधिपुक्ति
	पट्टा तथा अन्य धारण	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
जे-मार्टि के सिद्ध कोल्हार गोलपास	हार	20x31	20,00,000/-	स्वयं के नाम पर	जीवा का टोहार केचकर लोहार जिला मरवा कोल्हार जे-मार्टि के पास इलाहाबाद के जे 5-3 पर 10,00,000/- का खरीद किया गया	X	X

* जहां लागू न हो वहां टिकित।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।
 टिप्पणी: महाभारत राजस्वकीय सेवाक (आधार) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अधिष्ठित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार पहली की अवधि के परामर्श या घोषणा-पत्र पर का प्रस्ताव करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अधिष्ठित अथवा उसे विरासत में मिलने या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अथवा सम्पत्ति के स्थिति दें।
 लोकप्रति-767-अवसरानि-18-1-13-20,000.

हस्ताक्षर जे
 नाम जीला कर्मी
 पद अहायक - जे 5-3
 तारीख 20 जून 2020

48


फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पुरु) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो जगन्नाथ गुजर 2. वर्तमान धारि पर सहायक कर्मचारी
 3. वर्तमान वेतन 41,000/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई 2021

उस जिले, उप बंधन, कालुका तथा उस का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा धारि		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका सामंतीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिष्ठित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधन, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अधिष्ठित की तारीख और जिससे अधिष्ठित की गई हो उसका नाम तथा धारि	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अधिपुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
ओपार.	गृह		20,50,000 20,50,000/-	श्रीमती शकुंभा गुजर	रुप	-	-

* जहां लागू न हो वहां टिकिए।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, जहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाए।
 *** इनमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : सभ्यतायुक्त सामंतीय सेवा (आवदान) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम केपी, द्वितीय केपी तथा तृतीय केपी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अधिष्ठित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार धारित की अवधि के समाप्त पर पौजना-पत्र या का प्रस्तुत करें और उसमें वह अपने स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अधिष्ठित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके धारि के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधन या उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के धारि हैं।
 लोकसूची-747-असमाप्त-18-1-13-20,000.

हस्ताक्षर 
 नाम जगन्नाथ गुजर
 पद सहायक कर्मचारी
 स्थान शांभुगंज मुकु ओपार

फार्म

प्रथम विपुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पुरु) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो जाशनवरी काशमप 2. वर्तमान धारित पद सहा. कोड-3
 3. वर्तमान वेतन 19500 अगली वेतनबृद्धि की तारीख 1-7-2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा खेती		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका सामंतीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिष्ठित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अधिष्ठित की तारीख और जिससे अधिष्ठित की गई हो उसका नाम तथा खेती	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अधिपुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
जिला सागर	सवाय-79 गौटे नगर सागर	अज्ञात	15,0000	स्वयंके नाम पर	जी.ओ. भई द्वारा जफ्त लेकर	जिल	

* जहां लागू न हो वहां खाली रखें।
 ** ऐसे मामलों में जहां मूल्य का जमी-जमी विवरण कारण संभव न हो, जहां वर्तमान विधि के अन्वय में कारण मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें सामंतीय पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : सम्पत्तियों सामंतीय सेवा (आधारा) नियम, 1959 के नियम 18(1) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक वर्ग से यह अधिष्ठित है कि वह सेवा में पुरानी विपुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार धारित की अवधि के पश्चात् वह योग्यता-पत्र पर का प्रस्तुत करें और इसमें वह उनके स्वधियत की तथा उसके द्वारा अधिष्ठित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के खेती हैं।
 सकेन्द्री-747-आवकत-18-1-13-20,000.

हस्ताक्षर जाशनवरी काशमप
 नाम जाशनवरी काशमप
 पद सहा. कोड-3
 विभाग शासकीय कर्मचारी मुद्राबन्धन
सागर

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह है - पंडित हमारा रेगट 2. वर्तमान धारित पद - शिक्षक ग्रेड - III
 3. वर्तमान वेतन - 19500 अगली वेतनवृद्धि की तारीख - 1.7.2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा खेती		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका राजस्व्रीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिष्ठित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अधिष्ठित की तारीख और जिससे अधिष्ठित की गई हो उसका नाम तथा खेती	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	प्लॉट तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border-top: 1px solid black; width: 30%;"></div> <div style="border-top: 1px solid black; width: 30%; text-align: center;">NIL</div> <div style="border-top: 1px solid black; width: 30%;"></div> </div>							

* जहाँ लागू न हो वहाँ टिकिए।
 ** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के आधार में लागू मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश राजस्व्रीय सेवा (आचार्य) नियम, 1959 के नियम 10(3) के अधीन प्रथम केपी, द्वितीय केपी तथा तृतीय केपी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अधिष्ठित है कि वह सेवा में प्रवेशी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार प्रविष्टि की अवधि के परन्तु यह भीषण-पत्र पर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अधिष्ठित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर खरीदे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के खेती हैं।
 संकेतपूर्वक-767-अवधारण-18-1-13-20,000.

हस्ताक्षर [Signature]
 नाम - पंडित हमारा रेगट
 पद - शिक्षक ग्रेड - III
 विभाग - शासकीय रेगुलर प्रशिक्षण, मीरत

5

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूर) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो आस्था श्रीवास्तव 2. वर्तमान धारित पद सहायक ग्रेड 3
 3. वर्तमान वेतन 13500 अगली वेतनवृद्धि की तारीख —

उस जिले, उप बंधन, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा धरि		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बताइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा धरि	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	पट्टा तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				तीख			

* जहां लागू न हो बात धरि।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, जहां वर्तमान स्थिति के अन्तर्भ में लागू मूल्य बताया जाय।
 *** इसमें आन्विकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवा (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम सेवी, द्वितीय सेवी तथा तृतीय सेवी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार न्युनि की अवधि के समाप्त पर पौजना-पत्र पर का प्रस्तुत करें और इसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उनके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उनके द्वारा धरित समस्त अचल सम्पत्ति के धरि हैं।
 लोकसूची-747-असमाप्त-18-1-13-20,000.

हस्ताक्षर AS
 नाम आस्था श्रीवास्तव
 पद सहायक ग्रेड 3
 पता शासकीय क्षेत्र
श्रीवास्तव गोपाल

52

फॉर्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20२०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह है डुगा प्रसाद ठायम 2. वर्तमान धारित पद रिजर्विंग/मैट्रिक्स
 3. वर्तमान वेतन ५३५००/- अपनी वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई 2021

उस जिले, उप बंधन, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति विद्यमान है	सम्पत्ति का नाम तथा धरती		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धरित है और उसका राजस्वीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिष्ठित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधन, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अधिन की तारीख और जिससे अधिष्ठित की गई हो उसका नाम तथा धरती	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अधिपुक्ति
	गुह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
NIL							

* जहां लागू न हो वहां टिकिए।
 ** ऐसे मामलों में जहां मूल्य का सही-सही विवरण कारगिरी संबंध न हो, वहां वर्तमान स्थिति के अन्तर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इनमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : सम्बन्धित राजस्वीय वेतन (आधारा) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के उपरोक्त वर्गों से यह अधिष्ठित है कि वह सेवा में पदासी नियुक्ति के समय और उसके बाद उपरोक्त वर्ग धरित की अवधि के पश्चात् वह पौजना-पत्र या का प्रस्तुत की और इसमें वह अपने स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अधिष्ठित अपना उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधन पर उसके द्वारा धरित समस्त अचल सम्पत्ति के धरती हैं।

हस्ताक्षर [Signature]
 नाम डुगा प्रसाद ठायम
 पद म.म.ए।
 जिला श्री. जे. पु. श्री.

5

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20२०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पुरु) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह है **नारायण ईकवास** 2. वर्तमान धारित पद **सहायक भंडारत ईन्डर**
3. वर्तमान वेतन **५३५००/-** अपनी वेतनवृद्धि की तारीख **३ अगस्त २०१६**

उस जिले, उप-विभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा स्थिति		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका राजस्वीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिष्ठित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अधिष्ठित की तारीख और जिससे अधिष्ठित की गई हो उसका नाम तथा पता	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अधिपुस्तिका
	प्लॉट तथा अन्य विवरण	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
राज्य → अजमेरी कला जिला → औपाल	घृह क. नं - ५३ वर्धा झरत ईन्डर ईन्डरी	५४० वर्ग- फिट	२१,५०,०००/-	स्वयं - नारायण ईकवास आशुवती ईकवास	खरीद दिनांक - २३/०६/२०२० अमरीका चंद्र गुप्ता ४/६, कुलसी नगर, लोक गौड नं - २, औपाल	X	

* जहां लागू न हो वहां टिकिए।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश राजस्वीय सेवाक (आचार्य) नियम, १९५९ के नियम १४(३) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अधिष्ठित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार नौकरी की अवधि के समाप्त या परिवर्तन पर या का प्रसूत की और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अधिष्ठित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक या उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के बंधी हैं।

हस्ताक्षर
 नाम **नारायण ईकवास**
 पद **सहायक भंडारत ईन्डर**
 विभाग **बछत कसू**

54

फार्म

"प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020"

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो नारायण/काह कर्मा रुकीर 2. वर्तमान धारित पद असिस्टेंट सेक्टर होल्डर
3. वर्तमान वेतन 5.43,500/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई 2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा धरती		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका राजस्वीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिष्ठित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अधिन की तारीख और जिससे अधिष्ठित की गई हो उसका नाम तथा धरती	सम्पत्ति से वारिष्क श्राप	अधिपुस्तिका
	ग्रह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<u>भोपाल</u>	<u>ग्रह</u>	<u>X</u>	<u>10 लाख (लगभग)</u>	<u>श्रीमती विद्या कर्मा परानी</u>	<u>रुकीर</u>	<u>MIL</u>	<u>—</u>

* जहां लागू न हो वहां टिकिए।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : अध्यादेश राजस्वीय सेवक (आधारण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम केपी, द्वितीय केपी तथा तृतीय केपी सेवा के उपरोक्त सदस्य से यह अधिष्ठित है कि वह सेवा में पदावधि नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार पदावधि की अवधि के परन्तु वह भीषण-पत्र या कर उम्मेद्वर करें और इसमें वह उनके स्वाधिन्य की तथा उसके द्वारा अधिष्ठित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित अथवा अचल सम्पत्ति के धरती हैं।

हस्ताक्षर मिना
 नाम नारायण/काह कर्मा
 पद असि. से. होल्डर
 विभाग का. के. मु. भोपाल (असि.)

55

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पुरु) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह है विश्व शंकर सिंह 2. वर्तमान धारित पद सुनिश्च संडी
 3. वर्तमान वेतन 49500+ ... अगली वेतनवृद्धि की तारीख ... 1 जुलाई 2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा इलाका का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा खीर		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलायें कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका राजस्वकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिष्ठित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अधिष्ठित की तारीख और जिससे अधिष्ठित की गई हो उसका नाम तथा खीर	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अधिपुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<u>उत्तर बिहार प्रदेश मुई जिला भागलपुर</u>	<u>सांख्यीय भवन</u>	<u>-</u>	<u>20 लाख</u>	<u>उत्तर सिंह पुत्र</u>	<u>वर्ष 2018 श्री सुं गोजलाल अहार एम एफ बैंक लोन सकल मकान खनापा जमा</u>	<u>शुद्ध नही</u>	

* जहाँ लागू न हो वार खीर।
 ** देरी मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करने संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के आधार में संभव मूल्य बतलाया जाए।
 *** इनमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 विधायी : राजस्वकीय सेवाका (आचारण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम होती, द्वितीय होती तथा तृतीय होती सेवा के प्रत्येक चरण से यह अधिष्ठित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक चरण में अधिष्ठित के पश्चात् वह धीरे-धीरे या का इच्छा की और इसमें वह उसके अधिष्ठित की तथा उसके द्वारा अधिष्ठित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक या उसके द्वारा धारित अचल सम्पत्ति के खीर हैं।

हस्ताक्षर [Signature]
 नाम विश्व शंकर सिंह
 पद सु. सं.
 विभाग सा. सं. उ. भागलपुर

फार्म

प्रथम विपुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो रिमाज मोहम्मद 2. वर्तमान धारिता पर जू. गैडर
 3. वर्तमान वेतन ₹48,800 + D.A. आगामी वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई 2021

उस जिले, उप बंधन, कालुका तथा ज्ञान का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा धरि		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वर्ण के नाम पर न हो तो बतलावने कि यह किसके नाम पर धरिता है और उसका सामकोन कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिष्ठ किया गया ** "खरीद, पट्टा, बंधन, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अधिन की तारीख और जिससे अधिष्ठ की गई हो उसका नाम तथा धरिता	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अधिपुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
श्रीपाल	फ्लैट नं. 24 इंजल अपार्टमेंट जिंशा मुस्लिम पोलीक वीज जहां गिराबाह श्रीपाल (अ.प्र.)	-	17 लाख	स्वयं	गृह रूप	- Nil -	- Nil -

* जहां लागू न हो बत संकेत।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही विवरण बत संकेत न हो, जहां वर्तमान विधि के अन्तर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाय।
 *** इसमें आलकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 विवरण: मध्यदेश सामकोन सेवाक (आधायन) विनय, 1959 के विनय 10(3) के अधीन प्रथम सेवा, द्वितीय सेवा तथा तृतीय सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अधिष्ठित है कि वह सेवा में पदवी विपुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार पदवी की अधिष्ठ के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वाधिन की तथा उसके द्वारा अधिष्ठ अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य धरिता के नाम पर पट्टे या बंधन पर उसके द्वारा धरिता समस्त अचल सम्पत्ति के धरिता हैं।
 लोकपुत्री-747-अवकाशी-18-1-13-20,000.

हस्ताक्षर रिमाज मोहम्मद
 नाम रिमाज मोहम्मद
 पद जू. गैडर
 विभाग शा. के. मु. श्रीपाल

57

फार्म

"प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020-21"

1. अधिकारी/कार्यकारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो **धर्म देव सिंह यादव** 2. वर्तमान धारित पद **जूनियर रीडर**
3. वर्तमान वेतन **46,500** 4. अगली वेतनबृद्धि की तारीख **जुलाई 2021**

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा बंदी		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका राजस्वोप कार्यकारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिष्ठित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अधिष्ठन की तारीख और जिससे अधिष्ठित की गई हो उसका नाम तथा बंदी	सम्पत्ति से संबंधित आय	अधिपुस्तिका
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
मोपाल	गृह	—	18.50 लाख	—	—	—	—

* यहाँ लगू न हो करत दीजिए।

** ऐसे मामले में यहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करके संभव न हो, यहाँ वर्तमान स्थिति के अन्वय में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पराशियों पर भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : राजस्वोप राजस्वोप सेवा (आधार) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अधिष्ठित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार यहाँ की अधिष्ठित के पश्चात् वह खीसा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके अधिष्ठित की तथा उसके द्वारा अधिष्ठित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित अथवा अथवा सम्पत्ति के बंदी दें।

लोकपुत्री—747—असहायिता—18-1-13—20,000.

हस्ताक्षर **धर्म देव सिंह यादव** 21/7/2021नाम **धर्म देव सिंह यादव**पद **जूनियर रीडर**विभाग **शा.के.मु. मोपाल**

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. अधिकारी/कार्यकारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह है डी.गोमल चन्द्रवर्मा 2. वर्तमान धारित पर निरंक रीकर
3. वर्तमान वेतन रि.नं. 52, 600/- अगली वेतनबृद्धि की तारीख 31-07-2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा स्वरि		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका राजस्व्रीय कार्यकारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिष्ठ किया गया **करीब, पट्टा, बंधक, विरासत, देत या अन्य किसी प्रकार से तथा अधिन की तारीख और जिससे अधिष्ठ की गई हो उसका नाम तथा स्वरि	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अधिपुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
23, 2 नो. 6 नागर, फेस- 2 हो.कं.ग.प.क. 215 आपाल (अ.क.)	गृह	भवन	कुसलका (अ.क.)	स्वयं	आधीन कर वी.क. से गृह खरी का गया	निरंक	निरंक

* जहां लागू न हो वहां खाली रखें।
 ** ऐसे मामलों में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, जहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाय।
 *** इसमें अल्पकालीन चट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश राजस्व्रीय सेवा (आचार्य) नियम, 1959 के नियम 18(1) के अधीन प्रथम सेवी, द्वितीय सेवी तथा तृतीय सेवी एच के श्रेणिक स्तरों से यह अधिष्ठित है कि वह सेवा में पुरानी नियुक्ति के समय और उसके बाद उसके द्वारा अधिष्ठ की अवधि के सम्बन्ध में पुराना-पुराने या नए नियुक्तियों और इसमें वह उसके सम्पत्तिकारी की तथा उसके द्वारा अधिष्ठ अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्ति अचल सम्पत्ति के स्वरि हैं।

हस्ताक्षर H.H. Choudhary
 नाम डी.गोमल चन्द्रवर्मा
 पद निरंक रीकर
 विभाग आधीन कर वी.क. मु.क.ग.प.क.
आपाल (अ.क.)

53

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20 20

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूर) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह है गुग्गुनाशरण झारिया 2. वर्तमान धारित पद जूनियर सीडर
 3. वर्तमान वेतन 35100+D.A अपनी वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई 2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा खति		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका राजस्वकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिष्ठित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अधिन की तारीख और जिससे अधिष्ठित की गई हो उसका नाम तथा खती	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अधिपुक्ति
	पट्टा तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<u>nil</u>							

* जहाँ लागू न हो वहाँ खाली रखें।
 ** ऐसे मामलों में जहाँ मूल्य का खरी-वारी निर्धारण करने संबंध न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के आधार में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इनमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 विस्तार : सम्बन्धित राजस्वकीय सेवाक (आचार्य) नियम, 1959 के नियम 19(3) के अधीन प्रथम डेप्युटी, द्वितीय डेप्युटी तथा तृतीय डेप्युटी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार नवीने की अवधि के पश्चात् वह धोखा-पत्र पर का प्रस्तुत करें और इसमें वह उसके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अधिष्ठित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के खती दें।

हस्ताक्षर [Signature]
 नाम गुग्गुनाशरण झारिया
 पद जूनियर सीडर
 विभाग शा.के.गु.ओपल

60

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2022

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पुरु) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह है हरिप्रसाद चन्दोरिया 2. वर्तमान धारित पद जूनियर रीटर्
 3. वर्तमान वेतन 47384 अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01 जुलाई 2021

उस जिले, उप-संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा धरि		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा धरि	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अधियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<p style="font-size: 2em; color: blue;">NIL</p>							

* जहां लागू न हो क्या दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवाक (आचार्य) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम डेप्यू, द्वितीय डेप्यू तथा तृतीय डेप्यू सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में प्रवेशी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार प्रवेशी की अवधि के परभाव या घोषणा-पत्र पर का प्रस्तुत करें और इसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के धरि हैं।

हस्ताक्षर [Signature]
 नाम रमेश.वी. चन्दोरिया
 पद जूनियर रीटर्
 विभाग 24.क्रि.आल.के.डी.यु. अफ़्फ़ावतु शेफाठ

61

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पुरु) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो **कै० लु० पाटीदार** 2. वर्तमान धारित पद **ज़ूनिअर इंजर**
3. वर्तमान वेतन **Rs. 41000/-** ... अगली वेतनवृद्धि की तारीख **जुलाई 2021**

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा भूमि		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका राजस्वीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिष्ठित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अधिष्ठित की तारीख और जिससे अधिष्ठित की गई हो उसका नाम तथा पता	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अधिपुस्तिका
	पट्टा तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
ग्राम- मिसरोद, जवाहरनगर जिला - भोपाल		2.95 एकड़ (दो एकड़ पिनभानव दिसासिल)	13,00,000/- (तेरह लाख लाभग)	संयुक्त नाम भेवरी बहिभास्वणी एवं श्री सिद्धु पाटीदार	विरासत -	भाई के परिवार के मालक हैं श्री आनंद	

* जहां लानु न हो क्या दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का गूरी-गूरी निर्धारण करने संबंध न हो, वहां वर्तमान स्थिति के अन्वय में सतर्क मूल्य बतलाना आए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश राजस्वीय सेवा (आयदा) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम सेवी, द्वितीय सेवी तथा तृतीय सेवी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षा है कि वह सेवा में प्रवेश करने के समय और उसके बाद प्रत्येक बार भूमि की अधिष्ठित की तारीख पर पंजीयन-पत्र पर का प्रस्तुत करें और इसमें वह उसके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अधिष्ठित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्ति अचल सम्पत्ति के भूमि हैं।
 लोकपुस्तक-767-असहायक-18-1-13-20,000.

हस्ताक्षर **Kamini**
 नाम **कै० लु० पाटीदार**
 पद **ज़ूनिअर इंजर**
 जिला **राजसूरी जिला मुडगाळम**
भोपाल

62

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अथवा सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पुरु) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह है सुनील कुमार डीवास्तव 2. वर्तमान धारित पद सुनिपर रीडर
 3. वर्तमान वेतन 41800 ~~34800~~ D.A. अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1-7-2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा उस का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा श्रेणी		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा श्रेणी	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अधिपुस्तिका
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
184 किन्नोर नगर जिला मीरपुर	आवासीय भवन	-	20 लाख	स्वयं के नाम पर	अप्रैल 2018 में श्री. नल जी शर्मा के क्रय किया गया	कुछ नहीं	
कडिया बिर्सा, वार्ड क्र. 1, लोहाल	मु. एवम्	-	5 लाख	स्वयं के नाम पर	श्रीमती रामकली काइ एव अन्य के क्रय किया गया	कुछ नहीं	

* जहां खाल्य न हो कर खोजिए।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के आधार में लागू मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी: सम्बन्धित शासकीय सेवक (आचार्य) नियम, 1954 के नियम 18(3) के अधीन उभय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के उपायक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में प्रवेश नियुक्ति के समय और उसके बाद उपायक बराबर पदावधि की अवधि के परभाव पर योग्यता-पत्र पर कर उपलब्ध करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य श्रेणी के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अथवा सम्पत्ति के श्रेणी हैं।

हस्ताक्षर सुनील
 नाम सुनील कुमार डीवास्तव
 पद सुनिपर रीडर
 विभाग आवासीय के डीएम मुडगावतप मीरपुर

63

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अथवा सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह है सिद्धु राम 2. वर्तमान धारित पद 17/1
3. वर्तमान वेतन ५५६१२/..... अपेक्षित वेतनवृद्धि की तारीख 1/1/21.....

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यंदि		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिष्ठित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, शेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अधिष्ठन की तारीख और जिससे अधिष्ठित की गई हो उसका नाम तथा ब्यंदि	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अधिपुक्ति
	प्लॉट तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

* जहां लागू न हो वार्य संकेत।
 ** ऐसे मामलों में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के आधार में लागू मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : पञ्जाब शासकीय सेवा (आचार्य) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन उभय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार धारित की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र या का प्रस्तुत करें और इसमें वह उसके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अधिष्ठित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य ब्यंदि के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अथवा सम्पत्ति के ब्यंदि दें।

हस्ताक्षर
 नाम सिद्धु राम
 पद
 स्थान 34, Anandpur Sahib, Punjab

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20 20

54

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पुरु) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो विन्सेन्ट डिमोड 2. वर्तमान धारित पद जॉपी होल्डर
 3. वर्तमान वेतन 41000/- + DA अपनी वेतनवृद्धि की तारीख फुलरि 2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा धरि		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका राजस्वीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिष्ठित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अधिष्ठित की तारीख और जिससे अधिष्ठित की गई हो उसका नाम तथा धरि	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अधिपुक्ति
	पट्टा तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
प्लॉट नं. 24 ग्राम डिटरेवेडी विस्तार स्वण्ड, फन्दा, तंटेरीन दुजूर, ओपान		20x30 ⁰⁰ 600 कैमीटर (एक नासब)	1,00,000	विन्सेन्ट डिमोड वर्ष 2011 में स्वयं के नाम पर खरीदा गया।		—	—

* जहां लागू न हो बत देकर।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करने संबंध न हो, जहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें आनुवंशिक पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 विवरण: कम्प्यूटरी राजस्वीय सेवा (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम हेतु, द्वितीय हेतु तथा तृतीय हेतु सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अधिष्ठित है कि वह सेवा में पदवी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार पदवी की अवधि के परभाव पर योग्यता-पत्र या का प्रस्तुत करे और उसमें वह अपने अधिष्ठित की तथा उसके द्वारा अधिष्ठित अपना पदो विवरण में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित अपना अचल सम्पत्ति के धरि है।
 लोकपुत्री-747-असाधारण-18-1-13-20,000.

हस्ताक्षर [Signature]
 नाम विन्सेन्ट डिमोड
 पद जॉपी होल्डर
 विभाग कृषि निबंधक, शा. क. मुहम्मदनगर ओपान

65

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20-20

1. अधिकारी/कार्यकारी का (पुरु) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो मंसू ज़ोशी 2. वर्तमान धारिता पर नहीं होकर
3. वर्तमान वेतन 41,000/- अगली वेतनबृद्धि की तारीख 1-7-2021

उस जिले, उप बंधन, सलुका तथा ज़ान का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा खीर		**वर्तमान मूल्य	यदि ज़ान के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका राजस्वोप कार्यकारी से क्या संबंध है	उसी किस प्रकार अधिष्ठित किया गया ***खरीद, चट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा ज़ान की तारीख और जिससे अधिष्ठित की गई हो उसका नाम तथा खीर	सम्पत्ति से धारिता प्राप्त	अधिपुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<u>अपना</u>	<u>मकान</u>		<u>65 लाख</u>	<u>जान</u>	<u>खरीद लेख पुराना मकान खरीद कर (अमु एस्टेट)</u>	<u>नहीं</u>	

* जहां खाली न हो क्या डीक्यू।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का खरी-विक्री निर्धारण करते संबंध न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन चट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : सम्बन्धित राजस्वोप सेवा (आधार) नियम, 1959 के नियम 13(3) के अधीन प्रथम डेवी, द्वितीय डेवी तथा तृतीय डेवी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अधिष्ठित है कि वह सेवा में पुरानी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार चयनित की अवधि के पश्चात् वह पौजना-पत्र पर का उम्मीद करे और उसमें वह उसके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अधिष्ठित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर चट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अथवा सम्पत्ति के खीर दें।

हस्ताक्षर Mansu Joshi
 नाम Mansu Joshi
 पद Copy Holder
 विभाग 39-निर्देशक कार्यालय

मेरी प्रुपर्टी को

फॉर्म

प्रथम विद्युत् के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20-26

1. अधिकारी/कार्यकारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह है आश्वान राम आ.के.सु.ओफिस 2. वर्तमान धरित पर कॉपी होल्डर
 3. वर्तमान वेतन 41000/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1 जुलाई 2024

उस जिले, उप बंधन, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा बंदी		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धरित है और उसका सामग्रीय कार्यकारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिष्ठित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, शेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अधिन की तारीख और जिससे अधिष्ठित की गई हो उसका नाम तथा बंदी	सम्पत्ति से परिचित अन्य	अधिपुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<u>अमरावती नगर सह.संघ, दुधपुर, जिला-ओरिसा</u>	<u>कम-बूट्टे</u>	<u>600 वर्ग फिट</u>	<u>15,00,000</u> <u>रुपय</u>	<u>स्वयं के नाम</u>	<u>L-I-C आ.के.द्वारा बूट्टे</u> <u>क़रीब लिगा गया।</u>	-	

* यहाँ तालु न हो काट दीजिए।
 ** ऐसे मामलों में यहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, यहाँ वर्तमान स्थिति के आधार में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी: मध्यप्रदेश सामग्रीय सेवाक (आधार) विधाय, 1959 के विधाय 10(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के इलेक्ट सदस्य से यह अधिष्ठित है कि वह सेवा में पहली विद्युत् के समय और उसके बाद इलेक्ट कार्ड यहाँ के अधिक के पत्राचार पर योग्यता-पत्र पर कर उपलब्ध करें और उसमें वह उनके सम्पत्ति की तथा उसके द्वारा अधिष्ठित अथवा इसे विरासत में मिले या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धरित समस्त अचल सम्पत्ति के बंदी हैं।

हस्ताक्षर आश्वान राम
 नाम आश्वान राम
 पद कॉपी होल्डर
 विभाग आ.के.सु.ओरिसा

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पुरु) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह है नरेश आसानी, राष्ट्रीय स्की वर्तमान धारित पद कापी इंटर

2. वर्तमान वेतन 42,200/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1-7-2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा भूमि		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बताइए कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका राजस्वीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिष्ठित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अधिष्ठित की तारीख और जिससे अधिष्ठित की गई हो उसका नाम तथा पता	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अधिपुक्ति
	ग्रह तथा अन्य धरत	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. भोपाल कैलाश	ग्रह		25 लाख	माताजी	विरासत	नहीं	
2. भोपाल कैलाश	ग्रह		15 लाख	माताजी	खरीद	वहीं	
3. भोपाल आनंद नगर		भूमि	20 लाख	बंध	विरासत	नहीं	

* जहां लानु न हो क्या दीजिए।

** ऐसे मामलों में जहां मूल्य का बड़ी-बड़ी निर्धारण करने संबंध न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाना जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : सम्पत्तियों राजस्वीय विवरण (आधार) नियम, 1959 के नियम 13(3) के अधीन प्रथम सेवी, द्वितीय सेवी तथा तृतीय सेवी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अधिष्ठित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार अधिष्ठित की अवधि के पश्चात् वह पौजना-पत्र या का प्रस्तुत करें और उसमें वह उसके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अधिष्ठित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक या उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के भूमि दें।

संकेतपत्र-747-आसानी-18-1-13-20,000.

हस्ताक्षर 1/10/21

नाम नरेश आसानी

पद कापी इंटर

विभाग शासकीय केन्द्रीय मुद्राालय, भोपाल

प्रार्थी

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2021

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह है **श.मि. शांति, 2020 कमा - शीवा हल्लू** 2. वर्तमान धारित पद **मोपाई**
 3. वर्तमान वेतन **39,800 + DA** अगली वेतनवृद्धि की तारीख **जुलाई 2021**

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा खति		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिष्ठित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, शेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अपने की तारीख और जिससे अधिष्ठित की गई हो उसका नाम तथा खति	सम्पत्ति से वार्षिक आम	अधिपुक्ति
	प्लॉट तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1 मोपाई	रू. 8		5000000 सिकरम	माँ	विशसत	-	
2 गौर गंध		रू. 100000	100000 सिकरम	परित	विशसत श्री. श.मि. शांति श्री. श.मि. शांति श्री. श.मि. शांति	100000	

* जहाँ लागू न हो वहाँ खाली रखें।
 ** ऐसे मामलों में जहाँ मूल्य का कोई-कोई निर्धारण करने संबंध न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के अनुरूप में लागू मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन चट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवा (आचार्य) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम सेवा, द्वितीय सेवा तथा तृतीय सेवा के प्रत्येक वर्ग से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार पदोन्नति की अवधि के पश्चात् वह पौज्या-पत्र या का प्रस्तुत करें और उसमें वह उसके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अधिष्ठित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर चट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के खति हैं।

हस्ताक्षर
 नाम **श.मि. शांति** - **शीवा हल्लू**
 पद **मोपाई**
 जिला **श.मि. शांति** - **मोपाई**

69

फार्म

"प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020"

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पुरु) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह है सै. रेहान अली 2. वर्तमान धारित पद कॉपी होल्डर
 3. वर्तमान वेतन 37300 + D.A. ... अगली वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई 2021

उस जिले, उप-संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा खीर		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बताइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका सम्बन्धी कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिष्ठित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अधिष्ठित की तारीख और जिससे अधिष्ठित की गई हो उसका नाम तथा खीर	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अधिपुक्ति
	प्लॉट तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
भोपाल	प्लॉट नं. T-3, प्लॉट नं. 91, नाइस अपार्टमेंट, नवीन नगर, एशाबाग, भोपाल	—	15 लाख	हमारे स्व पत्नी के नाम	खरीद	—Nil—	—Nil—

* यहाँ लागू न हो कर संकेत।
 ** इसे पाने में यहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, यहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में सार्वजनिक मूल्य बताया जाय।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी: महापौरता सम्बन्धी सेवा (आय) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम सेवा, द्वितीय सेवा तथा तृतीय सेवा के प्रत्येक स्तर से यह अधिष्ठित है कि यह सेवा में पदवी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार पदोन्नति की अवधि के पश्चात् यह पौज्या-पत्र या का प्रस्तुत की और उसमें यह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अधिष्ठित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक या उसके द्वारा धारित संपत्ति अचल सम्पत्ति के खीर हैं।

हस्ताक्षर सै. रेहान अली
 नाम सै. रेहान अली
 पद कॉपी होल्डर
 स्थान शा. के. सु. भोपाल

70

फार्म

"प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2021

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूर्व) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो हरनाथ चावला 2. वर्तमान धारित पर कापी डेन्जर
 3. वर्तमान वेतन 37,300 ... अगली वेतनवृद्धि की तारीख

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा खेती		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलावें कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा खेती	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अधिपुत्रिता
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
भोपाल	भवन	-	35 लाख	भारतीय/संघ	लोन/बचत	-	
भोपाल	दुकान		45 लाख	संघ	विरासत	12000/- अर्जित	

* जहां खाली न हो कर रोकिए।
 ** ऐसे मामलों में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के आधारे में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन चट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : सम्पत्तियों शासकीय सेवक (आवारा) नियम, 1954 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम हेतु, द्वितीय हेतु तथा तृतीय हेतु सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में प्रवेश नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार प्रवेश की अवधि के परभाव पर भोपाल-राज पर कर प्रस्तुत करें और इसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर चट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के खेती हैं।

हस्ताक्षर Haruna
 नाम हरनाथ चावला
 पर कापी डेन्जर
 विभाग उप. निदेशक, जा. के. सु. भोपाल

71

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020-21

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह है **जयमुद्दीन** 2. वर्तमान धारिता पर **डीपी होल्डर**
 3. वर्तमान मूल्य **35100.4.00** ... इसकी वर्तमान मूल्य की तारीख

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा खंदा		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलावने कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिष्ठित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अधिष्ठित की तारीख और जिससे अधिष्ठित की गई हो उसका नाम तथा खंदा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अधिपुस्तिका
	प्लॉट तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
भोजपुर	"प्लॉट" भोजपुर विकास आधिकारक राजाशैल आबादीय प्लॉट 50797 25x40	-	रु. 10.00 लाख राशमग	स्वयं	स्वयं की डालप कंपनी डेल लोसवही क्षेत्र	निर	शासकीय अनुमति प्राप्त

* जहां लागू न हो बात हीनर।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का खरी-खरी निर्धारण करने संबंध न हो, जहां वर्तमान स्थिति के आधार में लागू मूल्य बतलाया जाय।
 *** इसमें अन्यकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवा (आचार्य) नियम, 1959 के नियम 10(3) के अधीन प्रथम सेना, द्वितीय सेना तथा तृतीय सेना सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अधिष्ठित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार न्यूनतम की अवधि के पश्चात् वह धीरे-धीरे या या का उद्घाटन करे और इसमें वह उसके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अधिष्ठित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित अथवा अचल सम्पत्ति के खंदा हैं।

हस्ताक्षर **[Signature]**
 नाम **जयमुद्दीन**
 पद **डीपी होल्डर**
 विभाग **शासकीय वितीय सुडुजालय**
भोजपुर

72

फार्म

प्रथम विधुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20

1. अधिकारी/कार्यकारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो प्रवीण रिश्दिया 2. वर्तमान धारित पद कॉपी एडिटर
 3. वर्तमान वेतन 36,200/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1-7-2011

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा खति		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि यह किसके नाम पर धारित है और उसका राजस्वीय कार्यकारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिष्ठित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अधिष्ठित की तारीख और जिसमें अधिष्ठित की गई हो उसका नाम तथा खति	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अधिपुक्ति
	पट्टा तथा अन्य धारण	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Bhopal	गृह मा. 67 1/62, साबर कालवा नरेश स्वकरी,	-	15,00,000	-	प्राप्त	शून्य	

* जहां लागू न हो वहां खाली रखें।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करने संभव न हो, जहां वर्तमान विधि के अन्वय में लागू मूल्य बतलाना पड़े।
 *** इनमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 विधायी : महादेश राजस्वीय सेवा (आचार्य) विनियम, 1959 के विनियम 18(3) के अधीन प्रथम केपी, द्वितीय केपी तथा तृतीय केपी सेवा के उपरोक्त वर्गों से यह अधिष्ठित है कि यह सेवा में पुरानी विधुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार पुराने की अवधि के परभाव यह भीतर-या भा का उपलब्ध की और उसमें यह उसके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अधिष्ठित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित अथवा अचल सम्पत्ति के खति हैं।
 लॉकेपुत्री-747-अवसराणि-18-1-13-20,000.

हस्ताक्षर प्रवीण रिश्दिया
 नाम प्रवीण रिश्दिया
 पद कॉपी एडिटर
 विभाग राजस्व विभाग

43

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20

1. अधिकारी/कार्यकारी का (पूर) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो पद्म सिंह जाट 2. वर्तमान धारित पद कापी हेल्पर
 3. वर्तमान वेतन 35,000/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1-7-2021

उस जिले, उस संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा स्त्री		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बताइए कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका राजस्व्रीय कार्यकारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिष्ठित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अधिन की तारीख और जिससे अधिष्ठित की गई हो उसका नाम तथा स्त्री	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अधिपुक्ति
	रूढ़ तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
उत्तर सोनकरखु स्ट: के.के.के. जि. मेरठ	अर्बन शांति नगर अयोध्या नगर स्ट. मेरठ	दो एकड़	25,000/- (फ्लॉडिंग)	स्वयं के	विरासत	50,000/- (पट्टा हार)	

* जहां लागू न हो वहां धीरे-धीरे।
 ** ऐसे मामलों में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, जहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में सतर्क मूल्य बताया जाय।
 *** इसमें अल्पराजस्वीय पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी: राजस्व्रीय राजस्व (आधार) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के अधिकारियों से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद उनके द्वारा धारित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक या उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के स्त्री हैं।

हस्ताक्षर ल
 नाम पद्म सिंह जाट
 पद कापी हेल्पर
 जिला अयोध्या के.के.के. मुस्ताफा
मेरठ

34

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूर) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह है **सज़हर अली** 2. वर्तमान धारित पर **काँपी होल्डर**
 3. वर्तमान वेतन **₹. 35 000/-** अगली वेतनवृद्धि की तारीख **01 जुलाई 2021**

उस जिले, उप संभाग, जालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा खेती		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बताइए कि यह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिष्ठित किया गया ** खरीद, चट्टा, बंधक, विरासत, पैर या अन्य किसी प्रकार से तथा अधिन की तारीख और जिससे अधिष्ठित की गई हो उसका नाम तथा खेती	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभिवृत्ति
	गुड तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
----- निल -----							

* जहां लागू न हो बात हीन।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, जहां वर्तमान स्थिति के आधार में लागू मूल्य बताया जाए।
 *** इसमें शासकीय चट्टे भी शामिल हैं।
 टिप्पणी : अध्यादेश शासकीय सेवाक (आधार) विधन, 1959 के विधन 18(3) के अधीन प्रथम सेवा, द्वितीय सेवा तथा तृतीय सेवा के प्रथम स्तर से वह अधिष्ठित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रथम बार पहली की अवधि के पश्चात् वह सेवा-पर न कर प्रस्तुत की और इसमें वह उसके स्थानित की तथा उसके द्वारा अधिष्ठित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर चट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के खेती हैं।

हस्ताक्षर **MAH**
 नाम **सज़हर अली**
 पता **काँपी होल्डर**
 निवास **सुद्रण तथा लेखन सामग्री**

75

फार्म

प्रथम विद्युति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20

1. अधिकारी/कार्यकारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो कमलेश माहौर 2. वर्तमान धारित पर कापी होल्डर
 3. वर्तमान वेतन 32100 + D.A अगली वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई 2021

जिस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा स्थिति		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका राजस्वतीय कार्यकारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिष्ठित किया गया ** खरीद, पट्टा, बंधन, विवादा, रेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अधिन की तारीख और जिससे अधिष्ठित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अधिपुक्ति
	प्लॉट तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
जिला - भोपाल ज्यू मिनार रेसीडेन्सी जे.के. रोड	कुर्सेवम E-314	20x40 ⇒ 800 वर्ग फीट	35 लाख	श्री कमलेश माहौर एवं हरेन्द्र माहौर (भार्य) (संयुक्त सम्पत्ति)	बैंक आफ बड़ोदा से होम लोन लेकर किया गया (खरीदा अगस्त 2017)	NIL	

* जहां लागू न हो कार्ट पीकिंग।
 ** ऐसे मामलों में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के आधार में लागू मूल्य बतलाया जाए।
 *** अपने आयकरावली चट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणियाँ : नभारदेश राजस्वतीय सेवाक (आयकर) विधय, 1930 के विधय 18(3) के अधीन उद्यम होती, विहीन होती तथा पूर्ण होती सेवा के उचित सदस्य से यह अधिष्ठित है कि यह सेवा में पाली विद्युति के समय और उसके बाद उचित कार्य करने की अधिष्ठी के परबन्ध पर धीरान-पत्र पर कर प्रस्तुत कीं और उद्यम का उनके सम्बन्धित की तथा उसके द्वारा अधिष्ठित अथवा उसे विवादा में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधन पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे हैं।
 लोकसुची-767-असमाप्त-18-1-13-20,000.

हस्ताक्षर [Signature]
 नाम कमलेश माहौर
 प कापी होल्डर
 विभाग शा.के.मु. भोपाल

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पुरु) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह है दिनेश कुमार पाण्डेय 2. वर्तमान धारित पद कापी होल्डर
3. वर्तमान वेतन १३,३०० + २७९६ ... आयी वेतनवृद्धि की तारीख ०७-२०२१

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा खेती		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका सम्बन्धी कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिष्ठित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अधिष्ठित की गई हो उसका नाम तथा खेती	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अधिपुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<u>Nil</u>							

* यहाँ लागू न हो कर देखा जाये।
 ** ऐसे मामलों में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के आधार पर लागू मूल्य बतलाया जाये।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी: सम्पत्ति सम्बन्धी कर्मचारी (आय) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षा है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार धारित की अवधि के समाप्त पर पुराना-परा या का प्रस्ताव की और उसमें वह उसके स्वयंसेवा की तथा उसके द्वारा अधिष्ठित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित अथवा अचल सम्पत्ति के खेती हैं।

हस्ताक्षर दिनेश कुमार पाण्डेय
 नाम दिनेश कुमार पाण्डेय
 पद कापी होल्डर
 विभाग शा.के.कु० भोपाल (राजस्व)

77

फार्म

प्रथम विपुलित के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पुरु) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो विजय कुमार शौर्या 2. वर्तमान धारिता पर कॉफी डोक्टर
 3. वर्तमान वेतन 29500+DA अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01 जुलाई 2020

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा स्वरूप		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलावने कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका सामाजिक कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिष्ठित किया गया **खरीद, चट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अधिन की तारीख और जिससे अधिष्ठित की गई हो उसका नाम तथा पता	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अधिपुलित
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
स. न. 184 ग्रेड वाशेमी झांझर नगर, भोपाल,	संभल 25 x 40 1000 वर्गफीट	वही	20,00,000/- बीस लाख रुपये मात्र	स्वयं	शा. सुझा गृह निर्माण समितिया भोपाल,	10,000/- (दस हजार रुपये) लगभग	

* जहां लागू न हो बात छोड़िए।
 ** ऐसे मामलों में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, जहां वर्तमान स्थिति के आधार में सामान्य मूल्य बतलाया जाए।
 *** इनमें अल्पकालीन चट्टे भी सम्मिलित हैं।
 विधायी : मध्यप्रदेश सामाजिक सेवा (आयदाय) विधाय, 1959 के विधाय 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली विपुलित के समय और उसके बाद प्रत्येक बार पहली को अधिष्ठित के पत्रकार या घोषणा-पत्र पर कर उपभुक्त करें और उसमें वह उसके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अधिष्ठित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर चट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित अथवा अथवा सम्पत्ति के स्वरूप हैं।

हस्ताक्षर [Signature]
 नाम विजय कुमार शौर्या
 पद कॉफी डोक्टर
 विभाग शासन केन्द्रीय सुदूरप्रान्त, भोपाल

फार्म

“प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020-2021

78

अधिकारी/कर्मचारी का (पुरु) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो वेदप्रकाश शिवेदी, कपी होल्डर

2. वर्तमान धारित पद :- कौपी होल्डर

3. वर्तमान वेतन 28800/-+ की दर

अगली वेतन वृद्धि की तारीख:- 01.07.2021

उक्त जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा खेती गृह तथा अन्य भवन भूमि	वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसी किस प्रकार अधिष्ठित किया गया "खरी, पट्टा, बंधक, विरासत, भेदा या अन्य किसी प्रकार से तथा अधिष्ठित की तारीख और जिससे अधिष्ठित की गई हो उसका नाम तथा खेती	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
-	-	निरंक	-	-	-	-

* जहां लागू न हो काट दीजिए ।

* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए ।

** इसमें अव्यवस्थित पट्टे भी सम्मिलित हैं ।

ध्यान दें : राजप्रदेश शासकीय सेवा (आचारण) विधम, 1956 के विधम 16 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने के अवधि के पश्चात यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और

जब वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अधिष्ठित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के खेती दें

हस्ताक्षर 
 नाम:- वेदप्रकाश शिवेदी,
 पद:- कौपी होल्डर
 विभाग:- राजकीय पोषक

30

फार्म

प्रथम विद्युत के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पुरु) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह है लारकर सिंह आदव 2. वर्तमान धारित पद जापी होल्डर
 3. वर्तमान वेतन 27800+ D.A आयु वर्ग जुलई

उस जिले, उस संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा धरि		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बताइए कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका राजकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिगत किया गया ** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अधिगत की तारीख और जिससे अधिगत की गई हो उसका नाम तथा धरि	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अधिपति
	प्लॉट तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			निरंक				

* यहाँ तालु न हो काट दीजिए।
 ** ऐसे मामले में यहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताइएगा।
 *** इसमें आयकरवर्षीय पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी: महाप्रदेश राजकीय सेवा (आचार्य) नियम, 1959 के नियम 12(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के इच्छुक सदस्य से यह अधिगत है कि वह सेवा में पुरानी विद्युत के समय और उसके बाद इच्छुक करार करने की अवधि के पश्चात् वह योग्यता-पत्र पर काट प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके सम्पत्ति की तथा उसके द्वारा अधिगत अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के धरि हैं।

हस्ताक्षर श्री 2
 नाम लारकर सिंह आदव
 पद जापी होल्डर
 विभाग श्री. जे.जी. कु.इ.क.न.म
झोपाल (म.उ.)

81

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अज्ञात सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20

1. अधिकारी/कार्यकारी का (पुरु) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह है अबदोश सेन 2. वर्तमान धारित पर जापी होल्डर
 3. वर्तमान वेतन 27800+DA अज्ञात वेतनवृद्धि की तारीख पुलवारी

उस जिले, उस संभाग, जिल्ला तथा ज्ञान का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा स्थिति		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका राजस्वीय कार्यकारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिष्ठित किया गया ** "खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अधिष्ठन की तारीख और जिससे अधिष्ठित की गई हो उसका नाम तथा स्थिति	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभिप्रेक्ति
	प्लट तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<u>निर्लेख</u>							

* जहाँ लागू न हो वहाँ खाली रखें।
 ** ऐसे मामलों में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, जहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाय।
 *** इसमें आयकराहीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश राजस्वीय सेवाक (आचार्य) नियम, 1959 के नियम 18(1) के अधीन प्रथम सेवी, द्वितीय सेवी तथा तृतीय सेवी सेवा के प्रारंभिक चरण से यह अधिष्ठित है कि वह सेवा में पुरानी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रारंभिक चरण रहने की अवधि के पश्चात् वह पौजना-पत्र या काय प्रत्युत्त की और उसमें वह उसके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अधिष्ठित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अज्ञात सम्पत्ति के स्थिति हैं।

हस्ताक्षर अबदोश सेन
 नाम अबदोश सेन
 पद जापी होल्डर
 विभाग श्री. के.डी.एम. पु.प्र.वा.न.म.
ओपाल (म.प्र.)



फार्म

"प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो विशाल मेहता 2. वर्तमान धारित पर व्यक्ति सेवा
3. वर्तमान वेतन 24000+DA .. अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1-7-21

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा खेती		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलावने कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिष्ठित किया गया ** "खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अधिष्ठित की तारीख और जिससे अधिष्ठित की गई हो उसका नाम तथा खेती	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अधिपुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<u>Nil</u>							

* जहां लागू न हो काट दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के समर्थ में लागू मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : सम्बन्धित शासकीय सेवक (आधार) नियम, 1954 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम हेवी, द्वितीय हेवी तथा तृतीय हेवी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में प्रवेशी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार प्रवेशी की अवधि के परीक्षा पर प्रवेश-पत्र पर काट प्रस्तुत करें और इसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अधिष्ठित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के खेती हैं।
 लॉकेटनम्बर- 717-अवकाशवि-18-1-13-20,000.

हस्ताक्षर [Signature]
 नाम विशाल मेहता
 पद व्यक्ति सेवा
 विभाग आ.वे.ड. अजमेर जिला

85

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूर) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह है मंजू नारायण शिव 2. वर्तमान धारित पद कॉपी होल्डर
 3. वर्तमान वेतन ₹3300 अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1-7-2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति का नाम तथा खेती		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बयानावधि कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका राजस्वगत कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिष्ठित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधन, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अधिन की तारीख और जिससे अधिष्ठित की गई हो उसका नाम तथा खेती	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अधिपुक्ति
	पृष्ठ तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<u>बाराक नोपरा म. उ.</u>	—	<u>लगात</u>	<u>करालार 200 माडु</u>	—	<u>विरासत</u>	<u>₹</u>	<u>₹</u>

* जहां लागू न हो कार टीकर।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का बड़ी-बड़ी निर्धारण करने संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बयानावधि करें।
 *** इनमें आनुवंशिक पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 विधायक : राजस्वगत राजस्वगत सेवा (आचारण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम सेवा, द्वितीय सेवा तथा तृतीय सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार मॉडर्न की अवधि के पश्चात् वह पौजना-पत्र पर का प्रस्तुत करें और इसमें वह उसके व्यवहार की तथा उसके द्वारा अधिष्ठित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधन पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के खेती हैं।

हस्ताक्षर मंजू
 नाम मंजू नारायण शिव
 पद कॉपी होल्डर
 विभाग शा. के. मु. भंभा

84

फार्म

प्रथम विद्युत के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह है **अशोक जी** 2. वर्तमान धारित पद **आपी सीडर**
 3. वर्तमान वेतन **21200+DA,** .. अगली वेतनवृद्धि की तारीख **31-7-2021,**

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति का नाम तथा स्थिति		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बताइए कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका राजस्वीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिगत किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, धैर या अन्य किसी प्रकार से तथा अधिगत की तारीख और जिससे अधिगत की गई हो उसका नाम तथा पता	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अधिपुस्तिका
	गुह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Nil,							

* जहां लागू न हो बात छोड़िये।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही विवरण ज्ञात संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के अन्वये में अनुमान मूल्य बताइया जाय।
 *** इसमें अनुमानित पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी: मध्यप्रदेश राजस्वीय सेवा (आधार) विधय, 1959 के विधय 10(3) के अधीन प्रथम सेवी, द्वितीय सेवी तथा तृतीय सेवी सेवा के इनके सदस्य से यह अधिगत है कि वह सेवा में पदवी विद्युत के समय और उसके बाद इनके बाद पदवी के अधिगत के सम्बन्ध में घोषणा-पत्र पर कर उद्घुत करें और इसमें यह उनके कर्तव्य की तथा उनके द्वारा अधिगत अथवा इसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उनके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के अधी हैं।

इसका **अशोक जी**
 नाम **अशोक जी**
 पद **आपी सीडर**
 विभाग **शा.के मु.श्री. (म.मु.)**

85

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20 20

1. अधिकारी/कार्यकारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो **विपिन कुमार शयकवार** 2. वर्तमान धारित पद **सीनियर कम्पोजीयर**
 3. वर्तमान वेतन **413500** अगली वेतनबृद्धि की तारीख **फरवरी 2021**

उस जिले, उप संभाग, जालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा स्त्री		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कार्यकारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिष्ठित किया गया ***खरीद, चट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अधिन की तारीख और जिससे अधिष्ठित की गई हो उसका नाम तथा स्त्री	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अधिपति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
NIL							

* जहां लागू न हो सार हीनित।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, जहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें शासकीय चट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : कथ्यदेश शासकीय सेवक (आयकर) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम सेवी, द्वितीय सेवी तथा तृतीय सेवी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अधिष्ठित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार नई नई अधिष्ठित के सम्बन्ध में घोषणा-पत्र या का प्रस्तुत करें और इसमें वह उसके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अधिष्ठित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर चट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के स्त्री हैं।

हस्ताक्षर **VB**
 नाम **विपिन कुमार शयकवार**
 पद **सीनियर कम्पोजीयर**
 विभाग **शांठ कैबिनेट कम्पोजीयर**

फार्म

प्रथम विपुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पुरु) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह है **विजयश्रीकर बोर्ड (पत्नी)** 2. वर्तमान धारिता पर **रशीद कर** **कर्मचारी**
3. वर्तमान मूल्य ... **₹ 10,00,000** को छोड़ कर ... **1 जुलाई 2021**

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति का नाम तथा श्रेणी		**वर्तमान मूल्य	यदि वर्णों के नाम पर न हो तो बतलाइये कि यह किसके नाम पर धारित है और उसका सामंजस्य कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिष्ठित किया गया ** खरीद, मूद्रा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अधिन की तारीख और जिससे अधिष्ठित की गई हो उसका नाम तथा श्रेणी	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभिपुक्ति
	पुरु तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
ओपल ग्राम: सैमरा सुभाष कालोनी	पुरु	-	10,00,000 (₹ 10 लाख) ₹ 10,00,000	अधिका रशीद कर (पत्नी)	रशीद कर वर्ष 2004 में (श्री. सुभाषकर मिश्रा)	- निरा -	- निरा -

* जहां लागू न हो कर टिप्पणी।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, जहां वर्तमान विधि के अन्वय में लागूया मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें आन्तरिक मूद्रा भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी: मध्यमस्तरीय सामंजस्य सेवा (आय) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन उभय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के उच्चतम स्तर से यह अधिष्ठित है कि यह सेवा में पुरानी विपुक्ति के समय और उसके बाद वार्षिक करदा मूल्य की अवधि के परन्तु यह योग्य-रत पर कर प्रयुक्त करें और इसमें वह उनके अधिष्ठित की तथा उनके द्वारा अधिष्ठित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके जीवन के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर मूद्रा या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के प्रति हैं।

हस्ताक्षर
 नाम **विजयश्रीकर बोर्ड**
 या **रशीद कर कर्मचारी**
 पता **सुभाष कालोनी, सेक्टर 2, सुभाष कालोनी**
ओपल (सुभाष कालोनी)

87

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20xx

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूर) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह है आर.पी. मिश्रा, हरीद्वार 2. वर्तमान धारित पद जूनियर कम्पोजिटर
 3. वर्तमान वेतन 45300/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01 जुलाई 2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा खति		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका राजस्वीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिष्ठ किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अधिष्ठ की तारीख और जिससे अधिष्ठ की गई हो उसका नाम तथा खती	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अधिपुक्ति
	पट्ट तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<p>na</p>							

* जहाँ लागू न हो क्या संकेत।
 ** ऐसे मामलों में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करने संबंध न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाय।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 विस्तार : मध्यप्रदेश राजस्वीय सेवा (आचार्य) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम डेप्यू, द्वितीय डेप्यू तथा तृतीय डेप्यू सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अधिष्ठित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार पहिले की अवधि के पश्चात् वह पौजस-पत्र पर का प्रस्तुत करे और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अधिष्ठ अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के खति दें।

हस्ताक्षर Rishu
 नाम राजेश्वर प्रसाद मिश्रा
 प जू कम्पोजिटर
 विभाग वेतन नका
34 गि. ब्लाक वेदम कुशाभय
हरीद्वार

88

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पुरु) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो रजत सिंह कियोत 2. वर्तमान धारित पर अ-कम्पोजिटर
 3. वर्तमान वेतन 43000/- ... अपनी वेतनवृद्धि की तारीख 1-7-21...

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा भूति		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका राजकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	इसे किस प्रकार अधिष्ठित किया गया ** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, धेरा या अन्य किसी प्रकार से तथा अधिन की तारीख और जिसमें अधिष्ठित की गई हो उसका नाम तथा खीरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	प्लॉट तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
निरक							

* जहां लागू न हो वहां टिकिए।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का छोटी-छोटी निर्धारण करना संभव न हो, जहां वर्तमान स्थिति के आधार में लागू मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें आपकावलीय पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश राजकीय सेवा (आचार्य) नियम, 1959 के नियम 10(3) के अधीन प्रथम सेवी, द्वितीय सेवी तथा तृतीय सेवी सेवा के प्रारंभिक समय से वह अधिष्ठित है कि वह सेवा में पुरानी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार पुराने की अवधि के परभाव पर योग्यता-पत्र पर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अधिष्ठित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के खीरे हैं।

हस्ताक्षर RSRSC2
 नाम अ-कम्पोजिटर रजत सिंह कियोत
 पद अ-कम्पोजिटर
 विभाग शासकीय केब्रिम मुद्रणालय गोरख

89

फार्म

प्रथम विद्युत के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. अधिकारी/कार्यकारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह है अपर असाई मिस्ट्रा 2. वर्तमान धरित पर रू. 100 करोड़
 3. वर्तमान वेतन 435000 अगली वेतनबृद्धि की तारीख 1 जुलाई 2021

उस जिले, उप बंधन, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा बंदी		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धरित है और उसका राजस्वीय कार्यकारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिष्ठित किया गया ***खरीद, चट्टा, बंधक, विरासत, धेरा या अन्य किसी प्रकार से तथा अधिष्ठन की तारीख और जिससे अधिष्ठित की गई हो उसका नाम तथा बंदी	सम्पत्ति से धरित आय	अधिपुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<p>शून्य</p>							

* जहां लागू न हो कार टिकित।
 ** ऐसे मामलों में जहां मूल्य का छोटी-छोटी निर्धारण करने संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के अन्तर्ध में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन चट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : सम्बन्धित राजस्वीय सेवा (आधार) नियम, 1959 के नियम 12(3) के अधीन प्रथम डेमी, द्वितीय डेमी तथा तृतीय डेमी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अधिष्ठित है कि वह सेवा में पारसी विद्युत के समय और उसके बाद प्रत्येक बार धरित की अवधि के सम्बन्ध में घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अधिष्ठित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर चट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धरित समस्त अथवा सम्पत्ति के बंदी हैं।

हस्ताक्षर अपर असाई मिस्ट्रा
 नाम अपर असाई मिस्ट्रा
 पद रू. 100 करोड़
 विभाग डी.आ. का मुख्यालय मंत्रालय

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20 20

1. अधिकारी/कार्यकारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो **कमल किशोर लोहनी, वृत्तीय अधिकारी वर्ग का जूनियर कम्पोजीटर**
2. वर्तमान वेतन **₹ 43,500/-** आसी वेतनवृद्धि की तारीख **जुलाई 2021**

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा खति		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलावें कि वह किसके नाम पर धरित है और उसका सामंतीय कार्यकारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिष्ठित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अधिष्ठन की तारीख और जिससे अधिष्ठित की गई हो उसका नाम तथा खति	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अधिपति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
नरेला शंकरा, हहसील - कुण्डूर जिला - भोपाल	एक भवन	25x40 = 1000 वर्ग फीट	₹ 30,00,000/- लगभग	स्वयं के नाम पर	मे. शंकरा किल्डरी से रूपकिया जमा लकिसस बैंक भोपाल में मगान ₹ 201 कोर रूपकिया।	कुदचली	NA

* जहाँ लागू न हो वार धरित।
 ** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का कोई-कोई निर्धारण करने संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के आधार में लागू मूल्य बतलाया जाय।
 *** स्वयं आयकरालय चले भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश सामंतीय बैंक (आचार्य) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम सेवी, द्वितीय सेवी तथा तृतीय सेवी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार पहली की अवधि के परन्तु वह चौथवा-पाँच वां बार प्रस्तुत की और उसमें वह उनके स्वाधिन्य की तथा उसके द्वारा अधिष्ठित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धरित समस्त अचल सम्पत्ति के खति हैं।

हस्ताक्षर **कमल किशोर लोहनी**
 पद **जूनियर कम्पोजीटर**
 स्थान **शांसीम केन्द्रीय भुवनालय, भोपाल**

91

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. अधिकारी/कार्यकारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह है ... सुखमल मिश्रा ... 2. वर्तमान धरित पर ... जुन जमीन ...
 3. वर्तमान मूल्य ... 38000 ... अगली मूल्यवृद्धि की तारीख ... 1.1.7.2021 .

उस जिले, उप विभाग, जिल्ला तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा खेति		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बताइए कि वह किसके नाम पर धरित है और उसका सामग्रीय कार्यकारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिगत किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, देन या अन्य किसी प्रकार से तथा अधिन की तारीख और जिसमें अधिगत की गई हो उसका नाम तथा खेति	सम्पत्ति से वारिसता प्राप्त	अभिपुक्ति
	गुह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
NIL							

* जहां लागू न हो वहां खाली रखें।
 ** ऐसे मामलों में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, जहां वर्तमान स्थिति के अन्तर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाए।
 *** इनमें अनुसूचित वर्गों को सम्मिलित है।
 टिप्पणी: सम्बन्धित सामग्रीय सेवा (आचार्य) नियम, 1959 के नियम 18(1) के अधीन प्रथम सेवा, द्वितीय सेवा तथा तृतीय सेवा के प्रत्येक वर्ग से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में प्रवेशी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार प्रवेशी की अवधि के आचार्य वह सेवा-या या का प्रयुक्त करें और उसमें वह उनके सम्बन्धित की तथा उसके द्वारा अधिगत अथवा इसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धरित समस्त अचल सम्पत्ति के खेति हैं।

हस्ताक्षर ... सुखमल मिश्रा ...
 नाम ... सुखमल मिश्रा ...
 पता ... जुन जमीन ...
 दिनांक ... 01/01/2021 ...

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो सुरेश कुमार स. ड. ड. 2. वर्तमान धारिता पर जू. एम्प्लॉयिटर
 3. वर्तमान वेतन 42,200 आयी वेतनवृद्धि की तारीख 1-7-21.....

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा खेति		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारिता है और उसका राजस्वीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा खेति	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अधियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				रिक्त			

* जहां लागू न हो कदा चीजें।
 ** ऐसे मामलों में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के आदर्श में लागू मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 विस्तार : मध्यप्रदेश राजस्वीय सेवा (आचार्य) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम हेतु, द्वितीय हेतु तथा तृतीय हेतु सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार धारिता की अवधि के परभाव पर घोषणा-पत्र या कर प्रस्तुत करें और इसमें वह उसके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के खेति हैं।

हस्ताक्षर सुरेश कुमार
 नाम सुरेश कुमार
 पर जू. एम्प्लॉयिटर
 तिथि अप्रैल 21

93

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पुरु) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो सुधीर कुमार शुक्ला 2. वर्तमान धारिता पर सुधीर कुमार शुक्ला
 3. वर्तमान वेतन 43500 अगली वेतनबृद्धि की तारीख 31-7-2003

उस जिले, उप-संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा धारिता		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलावने कि वह किसके नाम पर धारिता है और उसका सामाजिक कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिष्ठित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, पेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अधिष्ठित की तारीख और जिससे अधिष्ठित की गई हो उसका नाम तथा धारिता	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<u>राजपेठर-धना सुड जिला शीवा म.प्र.</u>	<u>घर</u>	<u>४</u>	<u>26,000.00 अनुमानित</u>	<u>स्वयं</u>	<u>विरासत में</u>	<u>रकमली उपयुक्त</u>	

* जहां खाल्य न हो कर खींचें।
 ** ऐसे मामलों में जहां मूल्य का खरी-दारी निर्धारण कार्य संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के हान्य में वर्तमान मूल्य बतलावना चाहिए।
 *** इसमें अवैधतापूर्ण पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : अध्यादेश सामाजिक सेवाक (आचारण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम कंपनी, द्वितीय कंपनी तथा तृतीय कंपनी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अधिष्ठित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार तारीख की अवधि के परन्तु या परिवर्तन-पर पर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके अधिष्ठित की तथा उसके द्वारा अधिष्ठित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारिता समस्त अचल सम्पत्ति के धारिता हैं।

हस्ताक्षर सुधीर
सुधीर कुमार शुक्ला
 पर सुधीर कुमार शुक्ला
 निवा शा.0 के सुडराजपेठ भवराज

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पुरु) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह है **बिजयसिंह कुशवाह III** 2. वर्तमान धारित पद **प्लू कम्पोजीटर**
 3. वर्तमान वेतन **46700/-** अगली वेतनवृद्धि की तारीख **फुलदि 2021**

उस जिले, उप-संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा खीर		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिष्ठित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अधिष्ठित की तारीख और जिससे अधिष्ठित की गई हो उसका नाम तथा खीर	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अधिपुत्रिता
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
भीमपाल	मकान	-	60,000 अनुभक्ति 1990 के अनुसार	हवंश के नाम पर	पैसाक सम्पत्ति - 1991 -	-	-

* जहां लागू न हो वहां डीकिए।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के आधार में लागू मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवाक (आचार्य) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम सेवी, द्वितीय सेवी तथा तृतीय सेवी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अधिष्ठित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार न्यूनतम की अवधि के पश्चात् वह पौज्या-पत्र पर का प्रस्ताव करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अधिष्ठित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक या उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के खीर दें।

हस्ताक्षर **बिजयसिंह कुशवाह**
 नाम **बिजयसिंह कुशवाह**
 पद **प्लू कम्पोजीटर**
 विभाग **शासक के. मुठ भीमपाल**

फार्म

"प्रथम विपुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो **श्रीम. कुमार् श्रीविरन्ध** 2. वर्तमान धारित पद **सीनियर इन्स्पेक्टर**
 3. वर्तमान वेतन **43,500/-** आगामी वेतनवृद्धि की तारीख **1 जुलाई 2021**

उस जिले, उप संभाग, जिल्ला तथा ज्ञान का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा खेती		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलावने कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका सामंतीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिष्ठित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अधिष्ठन की तारीख और जिससे अधिष्ठित की गई हो उसका नाम तथा खेती	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अधिपुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				नहीं			

* जहां खाल्य न हो वहां खाल्य छोड़िए।
 ** ऐसे मामलों में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणियाँ : मध्यप्रदेश सामंतीय सेवाक (आचार्य) नियम, 1959 के नियम 10(3) के अधीन प्रथम केपी, द्वितीय केपी तथा तृतीय केपी सेवा के उपरोक्त वर्गों से वह अधिष्ठित है कि वह सेवा में पुरानी विपुक्ति के समय और उसके बाद उसके बाद धारित की अवधि के परन्तु वह धीरे-धीरे-धीरे या कर उन्मूलन की ओर उधारी वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अधिष्ठित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के खेती हैं।
 सकेपुकी-747-अल्पकाली-18-1-13-20,000.

श्रीम. कुमार् श्रीविरन्ध
 नाम **श्रीम. कुमार् श्रीविरन्ध**
 पद **सीनियर इन्स्पेक्टर**
 विभाग **आर. के. मुठ कोष**


फॉर्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पुरु) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह है **राजेंद्र सिंह ठाकुर** 2. वर्तमान धारित पद **आफ़ेसर**
 3. वर्तमान वेतन **51,000 + DA** अपनी वेतनवृद्धि की तारीख **जुलाई 2021**

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा टाउन का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा श्रेणी		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका सामंतीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा श्रेणी	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अधिपुत्रिता
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
अशोक गार्डन भोपाल मुन्डर नगर भोपाल	मकान	—	16,50,000	राजकुमार (पुत्र)	पिताजी एवं स्वयं के द्वारा अर्जित कि गई	NIL	—
	मकान	—	19,50,000	स्वयं			

* जहां लागू न हो वहां खाली।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के आधार में लागू मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी: महाभारत सामंतीय सेवाक (आचार्य) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार नौकरी की अवधि के परभाव पर पौज्या-पत्र पर का प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य श्रेणी के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित अथवा अचल सम्पत्ति के श्रेणी दें।

हस्ताक्षर 
 नाम **राजेंद्र सिंह ठाकुर**
 पद **आफ़ेसर**
 विभाग **शा.के. मु. भोपाल**

97

फार्म

"प्रथम विपुलित के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20२०"

1. अधिकारी/कार्यकारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो स्वतंत्र आश्रम 2. वर्तमान धरित पर हार्मिनेट आर्बेटर
 3. वर्तमान वेतन ५२२०० अगली वेतनबृद्धि की तारीख 1/7/2021

उस जिले, उस संभाग, जिल्ला तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा थकी		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलावने कि वह किसके नाम पर धरित है और उसका सामंतीय कार्यकारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिष्ठित किया गया ** "खरीद, पट्टा, बंधक, विपणन, बेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अपने ही तारीख और जिससे अधिष्ठित की गई हो उसका नाम तथा थकी	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अधिपुलित
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
भोपाल	मकान 3/9 इ.बासिम शंज भोपाल		कलेक्टर आरंभ 1955 अनुसूच्य	स्वयं	पिताका कृपा		
भोपाल	LIG 574 आगोहरा -332		11	पत्नी	हाउसिंग बोर्ड द्वारा स्वयं का		

* जहां लागू न हो वार संशोधित।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, जहां वर्तमान विधि के अन्तर्ग में लागू मूल्य बतलाया जाय।
 *** इनमें अल्पकालीन चट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश सामंतीय सेवा (आधार) विधाय, 1955 के विधाय 18(3) के अधीन प्रथम केली, द्वितीय केली तथा तृतीय केली सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली विपुलित के समय और उसके बाद प्रत्येक चतुर्दशी की अवधि के परंपराय चतुर्दशी-पर पर का प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उनके द्वारा अधिष्ठित अथवा उसे विपणन में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य थकी के नाम पर चट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धरित अचल अचल सम्पत्ति के थकी हैं।

हस्ताक्षर स्वतंत्र आश्रम
 पता स्वतंत्र आश्रम
 पता हार्मिनेट आर्बेटर
 जिला श.के. मुद्राखालय भोपाल

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20 20

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पुरु) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो विलन कुमार 2. वर्तमान धारित पद डू क्लर सहायक कंप्यूटर
 3. वर्तमान वेतन 42200/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1. फुलर्य 2020

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा धारि		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका राजस्वीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा धारि	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अधिपुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
① विरहल नगर भोपाल जालघारीनेवरी मंदिर के पास भोपाल	भूकाल	X	शासन द्वारा निर्धारित भाड़ा मूल्य के आधार पर	श्रीका महार पत्नी	सन् 2000 में विरहल नगर गृह निर्माणा सहकारी समिति द्वारा एनए.एच. किया गया	X	X
② श्रीकृष्णा पुरम कावेरी संजीव नगर कावेरी के पास नेवरी ग्राम भोपाल	प्लॉट	X	शासन द्वारा निर्धारित भाड़ा मूल्य के आधार पर	विलन कुमार एवं ई.नाम	सन् 2016 में LIC से लोन लेकर एनए.एच. किया श्रीकृष्णा पुरम सहकारी समिति के		

* जहां सन् न हो बत दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करके संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के आधार में लागू मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : बंधवर्ती राजस्वीय सेवाक (आधार) विनम, 1959 के विनम 18(3) के अधीन उभय दिशि, द्वितीय दिशि तथा तृतीय दिशि सेवा के उभयपक्ष पर यह अर्जित है कि वह सेवा में जहाँ नियुक्ति के समय और उसके बाद उभयपक्ष पर उभय दिशि की अवधि के परभाव पर धोरण-पत्र पर कर उभयपक्ष को और उभय दिशि उभयपक्ष को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य धारि के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित अथवा अचल सम्पत्ति के धारि हैं।

हस्ताक्षर [Signature]
 नाम विलन कुमार
 पद डू क्लर सहायक कंप्यूटर
 विभाग जालघारी नेवरी गुरुदासजी भोपाल

फार्म

*प्रथम विपुक्ति के समक्ष अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पुरु) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो-इशरत खां (द्वितीय श्रेणी) 2. वर्तमान धारित घर सीनियर मशीन भवन
 3. वर्तमान मूल्य 48100/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1 जुलाई 20

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा स्त्री		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका राजकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिष्ठित किया गया ** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, धेरा या अन्य किसी प्रकार से तथा अधिष्ठित की तारीख और जिसमें अधिष्ठित की गई हो उसका नाम तथा स्त्री	सम्पत्ति से वारिष्ठ अंग	अधिपुक्ति
	पुरु तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
जिला मोपाख	अवकाश भवन	—	तीस लाख	पति, पत्नी के नाम से	रविन्द्र अग्रवाल द्वारा खरीदा गया है। बैंक द्वारा छोन लेकर दिनांक 20 अक्टूबर 2020 - फंडा नं 117 पीपलनेर गांधी नगर मोपाख।	नहीं	अवकाश भवन स्वामी अर्ण नहीं हुआ है।

* जहां नाम न हो बतार दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, जहां वर्तमान स्थिति के अन्तर्भ में लक्षणा मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 विवरण : सशस्त्र राजकीय सेवाक (आवकाश) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के इलेक्ट सदस्य से यह अधिष्ठित है कि वह सेवा में पहली विपुक्ति के समक्ष और उसके बाद इलेक्ट बतार करने की अवधि के पश्चात् वह पौषण-पत्र पर का प्रस्तुत करें और इसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उनके द्वारा अधिष्ठित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य स्त्री के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित अथवा अचल सम्पत्ति के स्त्री हैं।

हस्ताक्षर ISD
 नाम इशरत खां
 पद सीनियर मशीन भवन
 विभाग राजकीय-शेड्यूल सुदनाखण्ड मोपाख

100

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20

1. अधिकारी/कार्यकारी का (पूर) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो अजय मेहता 2. वर्तमान धारित पद अ. अ. के.

3. वर्तमान वेतन अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1 अक्टूबर 2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा बंदी		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कार्यकारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिष्ठित किया गया ** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अधिन की तारीख और जिससे अधिष्ठित की गई हो उसका नाम तथा बंदी	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अधिपुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<hr/>							

* जहां लागू न हो बंद ही रहिये।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, जहां वर्तमान स्थिति के सम्पर्क में लागू मूल्य बतलाया जाय।
 *** इनमें अल्पकालीन चट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : सम्बन्धित शासकीय सेवक (आचार्य) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार पहली की अवधि के पारभास्य वह पौजाल-पत्र या का प्रस्तुत करें और इनमें वह उनके स्वामित्व की तथा उनके द्वारा अधिष्ठित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर चट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित संपन्न अचल सम्पत्ति के बंदी हैं।

हस्ताक्षर अजय मेहता
 नाम अजय मेहता
 पद अ. अ. के.
 विभाग आ. व. सु. मण्डल

101

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो हरिभोज शास्त्री शास्त्री 2. वर्तमान पति/पत्नी का नाम श्रीमति मनीषा शर्मा

3. वर्तमान वेतन ₹ 42,200/- + DA + HRA का जुलाई 2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा स्थिति		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धरित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिष्ठित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, देत या अन्य किसी प्रकार से तथा अधिष्ठित की तारीख और जिससे अधिष्ठित की गई हो उसका नाम तथा पता	सम्पत्ति से संबंधित आय	अधिपुस्तिका
	प्लॉट तथा अन्य धारण	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
① जिला भोपाल तहसील जोकिन्दपुरा	प्लॉट 193 जमीन 10 अस्थायी जे.ए.सी. नंबर 2 जोकिन्दपुरा, भोपाल		2 लाख 50 हजार लगभग	X	दान फल द्वारा मोदीपुरा राम-	Nil	No.
② जिला भोपाल प्लॉट नंबर 78B जोकिन्दपुरा, भोपाल तहसील (मध्य)	प्लॉट नंबर 78B जोकिन्दपुरा, भोपाल		Size 10x15 = 300 sq ft दो लाख 50 हजार लगभग	X	विक्रय अडवॉन्स द्वारा शेरी	Nil	No

* यहाँ लागू न हो कर देखा।
 ** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का जहाँ-जहाँ निर्धारण करने संबंध न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के आधार में लागू मूल्य बतलाया जाए।
 *** इनमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 दिवाली: सभासदों शासकीय सेवा (आधार) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अधिष्ठित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार पदोन्नति की अवधि के आखिर पर पेंशन-पत्र या का प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अधिष्ठित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक या उसके द्वारा धरित सरकारी अथवा सम्पत्ति के स्थिति दें।

हस्ताक्षर: [Signature]
 नाम हरिभोज शास्त्री
 पत्नी श्रीमति मनीषा शर्मा
 पता जोकिन्दपुरा के जे.ए.सी. नंबर 2 भोपाल (मध्य)

102

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. अधिकारी/कार्यकारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह है दीपिका चंड एच.आर. 2. वर्तमान धरित पर ज.स.स.
 3. वर्तमान वेतन 4/0001 अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1 मई 2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा स्थिति		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइए कि वह किसके नाम पर धरित है और उसका राजस्वीय कार्यकारी से क्या संबंध है	उधे किस प्रकार अधिष्ठ किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अधिष्ठ की तारीख और जिससे अधिष्ठ की गई हो उसका नाम तथा स्थिति	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अधिपुक्ति
	पट्टा तथा अन्य धारण	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<u>Nil</u>							

* जहां लागू न हो कर देखा।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के आधार में लागू मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी: मध्यप्रदेश राजस्वीय सेवाक (आचार्य) नियम, 1959 के नियम 10(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार न्यूनतम की अवधि के परन्तु वह पौज्या-पत्र पर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अधिष्ठ अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक या उसके द्वारा धरित समस्त अचल सम्पत्ति के स्थिति दें।

हस्ताक्षर दीपिका चंड
 नाम दीपिका चंड एच.आर.
 पद ज.स.स.
 विभाग डी.आ.क. सु. सं.पाल

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अथवा सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पुरु) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो एलए-एच-दिओरि 2. वर्तमान धारित पद सी०एच०एच०
3. वर्तमान वेतन ५१,००० अगली वेतनवृद्धि की तारीख १-७-२०२१

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा प्रान का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा स्त्री		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका सामग्रीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिष्ठित किया गया- ***छोटे, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अधिष्ठित की तारीख और जिससे अधिष्ठित की गई हो उसका नाम तथा स्त्री	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अधिपुस्तिका
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<u>उत्तर बिहार</u> <u>जिला सीएच</u>	<u>मकान</u>	<u>X</u>	<u>X</u>	<u>माताजी के नाम</u>	<u>पट्टा</u>	<u>X</u>	<u>X</u>

* यहाँ लागू न होकर दीजिए।
 ** ऐसे मामलों में यहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करने संबंध न हो, यहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लागू मूल्य बतलाना आए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी: मध्यप्रदेश सामग्रीय सेवाक (आचार्य) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक वर्गमें से वह अधिष्ठित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार वर्गों की आधि के पारपार या पौचाल-पार या का प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अधिष्ठित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य स्त्री के नाम पर पट्टे या बंधक या उसके द्वारा धारित समस्त अथवा सम्पत्ति के स्त्री हैं।

हस्ताक्षर [Signature]
 नाम एलए-एच-दिओरि
 पद सी०एच०एच०
 जिला सी०एच०एच०
 विभाग सी०एच०एच०

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20२०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो रेशम बागु 356 2. वर्तमान धारित पर श्री. म. म. म.
 3. वर्तमान वेतन 272421 अगली वेतनबृद्धि की तारीख 2021

उस जिले, उस संभाग, जिले का तथा नाम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा खति		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा खति	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अधिपुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

* जहां लागू न हो वहां डीक्यू।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का जमी-जमी विभाजन करने संबंध न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लागू मूल्य बतलाना चाहें।
 *** इनमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 दिवाली : सभापति शासकीय सेवा (आधार) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम डेवी, द्वितीय डेवी तथा तृतीय डेवी सेवा के प्रत्येक स्तर से वह अर्जित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार पहली की अवधि के पारबत्त वह पौजमा-पत्र या का प्रकृत की और उसमें वह उसके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक या उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के खति हैं।

इसका रेशम बागु 356
 नाम रेशम बागु 356
 पर श्री. म. म. म.
 किया श्री. म. म. म.

105

फार्म

“प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020”

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह है **श्री राजू मालवीय** 2. वर्तमान धारिता पर **श्री. अश्वीन श्रेण**
3. वर्तमान वेतन **₹. 42,200/-** अगली वेतनवृद्धि की तारीख **01 जुलाई 2021**

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा खीर		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलायें कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिष्ठित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अधिष्ठित की तारीख और जिससे अधिष्ठित की गई हो उसका नाम तथा खीर	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अधिनियम
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
/							

* जहां जगह न हो वहां खीर।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के आधार में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवाक (आचार्य) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अधिष्ठित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार नवीनी की अवधि के परन्तु वह पौज्या-पत्र पर का प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अधिष्ठित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक या उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के खीर दें।

इसका **शरणाग्र** **श्री राजू मालवीय**
 नाम **श्री राजू मालवीय**
 प **श्री अ. श्रेण**
 निवास **इ.प.नि. आर. के. डी. व. लुधियाना**
म.प.म.

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2019

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूर) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो डॉ. राजेश कुमार 2. वर्तमान धारित पद सी.एस.ओ.एन
 3. वर्तमान वेतन 38600/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई 2021

उस जिले, उप-संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा खेती		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिष्ठित किया गया **खरीद, चट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अधिन की तारीख और जिससे अधिष्ठित की गई हो उसका नाम तथा खेती	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अधियुक्ति
	प्लॉट तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			<u>1200</u>				

* जहां लागू न हो काट दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, जहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें शासकीय पदों भी शामिल हैं।
 टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवाक (आचार्य) नियम, 1959 के नियम 10(3) के अधीन प्रथम सेवा, द्वितीय सेवा तथा तृतीय सेवा के प्रथम चरण से वह अधिष्ठित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार प्रथम बार प्रथम से अधिक के पदों पर नियुक्त हो और उसमें वह उसके नियुक्ति की तथा उसके द्वारा अधिष्ठित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य अधिष्ठित के नाम पर चट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अथवा सम्पत्ति के खेती हैं।

हस्ताक्षर डॉ. राजेश कुमार
 नाम डॉ. राजेश कुमार
 पद सी.एस.ओ.एन
 विभाग आचार्य

फार्म

प्रथम विपुलित के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2021

1. अधिकारी/कार्यकारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह है **मनोज ठाकुर** 2. वर्तमान धारित पद **सीनियर मशीन मैन**
 3. वर्तमान वेतन **रु. 33,590/-**.... अगली वेतनबृद्धि की तारीख **1 जुलाई 2021**.

उस जिले, उप संभाग, जिल्ला तथा दान का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलावने कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका सामग्रीय कार्यकारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिष्ठित किया गया **करीब, पट्टा, बंधक, विरासत, धैर या अन्य किसी प्रकार से तथा अधिन की तारीख और जिससे अधिष्ठित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरे	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अधिपुलित
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					पिता श्री द्वारा पेटूक दान किया गया मकान।	कुछ नहीं	

* जहां खाल्य न हो बाट दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, जहां वर्तमान विधुति के सम्बन्ध में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें आगबालीय पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश सामग्रीय सेवाक (आधार) विधुन, 1959 के विधुन 18(3) के अधीन प्रथम सेवी, द्वितीय सेवी तथा तृतीय सेवी सेवा के वार्षिक सदस्य से यह अधिष्ठित है कि वह सेवा में पुरानी विपुलित के समय और उसके बाद प्रत्येक बार पुराने की अवधि के परभाव यह योग्यता-पत्र पर कर उभरुत करें और इसमें वह उसके सम्पत्तिल की तथा उसके द्वारा अधिष्ठित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य अधिष्ठित के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे हैं।

हस्ताक्षर **मनोज कुमार ठाकुर**
 नाम **मनोज ठाकुर**
 पद **सीनियर मशीन मैन**
 विभाग **मुद्रण तथा लेखन सामग्री**

108

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अथवा सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह है **गनिश खाण्डेराव** 2. वर्तमान धारित पद **सीनियर मशीन मैक**
 3. वर्तमान वेतन **33500/-** अगली वेतनवृद्धि की तारीख **फूलाई 2021**

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति विद्यत हो	सम्पत्ति का नाम तथा स्थिति		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका राजस्वकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिष्ठित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अधिष्ठन की तारीख और जिससे अधिष्ठित की गई हो उसका नाम तथा स्थिति	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अधिपुक्ति
	पट्टा तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Nil							

* जहां लागू न हो बात हीन।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के अनुरूप में लागू मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।
 टिप्पणी : महासंघीय राजस्वकीय सेवक (आधार) विधन, 1939 के विधन 10(3) के अधीन प्रथम सेनी, द्वितीय सेनी तथा तृतीय सेनी सेवा के इलेक्ट सदस्य से वह अधिष्ठित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद इलेक्ट बतलाने की अवधि के सम्बन्ध में पत्र-पत्र पर या प्रस्तुत करें और इसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अधिष्ठित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर खरीद या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अथवा सम्पत्ति के स्थिति दें।

दिनांक **21.05.21**
 नाम **गनिश खाण्डेराव**
 पद **सी.ई.मैक**
 विभाग **आसतर शा.ब.कु.मैपाल**

103

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो मुसली पर चांदवानी 2. वर्तमान धारित पद सी० ए० गैज
 3. वर्तमान वेतन 37100 अगली वेतनबृद्धि की तारीख पुनाहे 2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा धरि		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलावने कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिष्ठित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जने की तारीख और जिससे अधिष्ठित की गई हो उसका नाम तथा धरि	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अधिवृत्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
श्रीपान प्र.पु	भवन	४	४	श्री माल जी	विरासत	४	४

* जहां लागू न हो वहां धरि न करें।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सम्बन्ध में लागू मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें शासकीय पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : अध्यादेश शासकीय सेवा (आचार्य) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अन्वये प्रथम सेवी, द्वितीय सेवी तथा तृतीय सेवी सेवा के उच्चतम स्तर से यह अधिष्ठित है कि वह सेवा में मुसली नियुक्ति के समय और उसके बाद उच्चतम स्तर तक पहुँचने की अवधि के सम्बन्ध में सीमा-पार या यात्रा प्रत्युत्पन्न करें और इसमें वह उसके सम्पत्ति की तथा उसके द्वारा अधिष्ठित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अर्जने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य अधिष्ठित के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धरित समस्त अचल सम्पत्ति के धरि हैं।

हस्ताक्षर मुसली पर चांदवानी
 नाम मुसली पर चांदवानी
 पद सी० ए० गैज
 विभाग श्रीपान प्र.पु

116

फार्म

"प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020"

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पुरु) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो **अमर बहादुर बस्नेत** 2. वर्तमान धारित पद **सी. ग. मैनु**
 3. वर्तमान वेतन **36200/-** अगली वेतनवृद्धि की तारीख **जुलाई 2021**

उस जिले, उस संभाग, जिल्ला तथा उस का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा धरि		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका राजस्वीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिष्ठित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अधिष्ठित की तारीख और जिससे अधिष्ठित की गई हो उसका नाम तथा धरि	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अधियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
X							

* जहां खाल्य न हो बतल दें।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही विवरण कारण संभव न हो, जहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें आन्तरिकारोप पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 दिशावली : कानूनसहित राजस्वीय सेवा (आयकर) विनियम, 1959 के विनियम 18(3) के अधीन प्रथम सेवती, द्वितीय सेवती तथा तृतीय सेवती सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अधिष्ठित है कि वह सेवा में पदवी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार पदवी की अवधि के परभाव यह घोषणा-पत्र या का प्रस्तुत करे और इसमें वह उसके अधिष्ठित की तथा उसके द्वारा अधिष्ठित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्ति अचल सम्पत्ति के धरि हैं।
 संकेतपत्र-747-असहायक-18-1-19-20,000.

हस्ताक्षर **अमर बहादुर बस्नेत**
 नाम **अमर बहादुर बस्नेत**
 पद **सी. ग. मैनु**
 विभाग **जा० के. यू. नेपाल**

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2021

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह है साहित स्त्री 2. वर्तमान धारित पर सी.म. मैम

3. वर्तमान वेतन 39471/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई 2021

उस जिले, उप बंधन, कालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा धरि		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका राजस्वीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिष्ठित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधन, विरासत, शेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अधिष्ठन की तारीख और जिससे अधिष्ठित की गई हो उसका नाम तथा धरि	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अधिपुक्ति
	प्लॉट तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
- nil -	- nil -	- nil -	- nil -	- nil -	- nil -	- nil -	- nil -

* जहां लागू न हो बतल दें।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी: महापौर राजस्वीय सेवा (आधार) नियम, 1959 के नियम 10(3) के अधीन प्रथम केपी, द्वितीय केपी तथा तृतीय केपी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अधिष्ठित है कि वह सेवा में प्रवेशी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार प्रवेशी की अवधि के परभाव पर भौतक-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अधिष्ठित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधन पर उसके द्वारा धारित चलत अचल सम्पत्ति के धरि हैं।
 लोकप्रती-747-अल्पकाली-18-1-13-20,000.

हस्ताक्षर साहित स्त्री
 नाम साहित स्त्री
 पर सी.म. मैम
 विभाग मेकेनिकल इंज. शा.के.सु.ओपार

112

फॉर्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह है प्रेम कश्यप 2. वर्तमान धारित पद सी. जे. मैत्र
 3. वर्तमान वेतन 36200 + DA ... अगली वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई 2021

उन जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा धरि		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो ब्याख्या देने कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका राजस्व्रीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिष्ठ किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अधिन की तारीख और जिससे अधिष्ठ की गई हो उसका नाम तथा पत्ता	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	पट्टा तथा अन्य ध्वज	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
112 प्रेम कालोत्री एच.ए. रोड रोड आन.प. नगर भोपा जे	पट्टा	२	राजस्व्रीय मालिक कुल अंश आधार पर	स्वयं के नाम पर	स्वरी राजकोट अली बीकान. डिवा मई 2002	x	x

* जहां लागू न हो कार्ट रीजिस्ट्र.
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के आधार में लागू मूल्य ब्याख्या करें।
 *** अपने आत्मबलात्त पट्टे से अधिष्ठित हैं।
 विवरण: अध्यादेश राजस्व्रीय सेवा (अध्याय) नियम, 1939 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम सेवा, द्वितीय सेवा तथा तृतीय सेवा के प्रवेश पर्यंत से वह अधिष्ठित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार पहिले की अधिष्ठ के पश्चात् वह बीकान-पत्र पर कार प्रस्तुत करें और अपने वह उनके अधिष्ठित की तथा उसके द्वारा अधिष्ठित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य अधिष्ठ के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के धरि हैं।

समाप्त
 नाम प्रेम कश्यप
 पता सी. जे. मैत्र
 निवास आ. के. कु. भोपा जे

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20

1. अधिकारी/कार्यकारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह है शशि देव, मैट्रन 2. वर्तमान धरित पर शशि देव, मैट्रन
3. वर्तमान वेतन ₹51000 + D.A. अगली वेतनबृद्धि की तारीख 01/07/2024

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा स्वरि		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलायें कि वह किसके नाम पर धरित है और उसका शासकीय कार्यकारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिष्ठित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अधिष्ठित की तारीख और जिससे अधिष्ठित की गई हो उसका नाम तथा स्वरि	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अधिपुस्तिका
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Nil							

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के आधार में लागू मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवाक (आचार्य) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार पहली की अवधि के परभाव या परिवर्तन पर या का प्रस्ताव करें और इसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अधिष्ठित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक या उसके द्वारा धरित समस्त अचल सम्पत्ति के स्वरि दें।

हस्ताक्षर [Signature]
 नाम शशि देव
 पता शशि देव, मैट्रन
 विभाग शशि देव, मैट्रन

114

फार्म

"प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पुरु) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो मदन महवीर्य 2. वर्तमान धारित पद सि. म. केन

3. वर्तमान वेतन 35,000 + D.A. अगली वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई 2021

उस जिले, उप-विभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा खीर		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिष्ठित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अधिष्ठित की तारीख और जिससे अधिष्ठित की गई हो उसका नाम तथा खीर	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अधिपुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<u>खजुरी कुर्सी भोपाल</u>	<u>मकान</u>	<u>-</u>	<u>27,00,000</u>	<u>स्वयं</u>	<u>बैंक द्वारा कृण लेकर खरीदा</u>	<u>NIL</u>	<u>-</u>

* जहां लागू न हो वार देविकु।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का जमी-जमी विभाजन करने संबंध न हो, जहां वर्तमान विधि के अन्वय में लागू मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पशासकीय पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवा (आवयन) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम सेवा, द्वितीय सेवा तथा तृतीय सेवा के प्रत्येक सरासरी से यह अधिष्ठित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार भूमि की अधिधि के पश्चात् वह पौजना-पत्र या का प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उनके द्वारा अधिष्ठित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक या उसके द्वारा धारित सरसल अचल सम्पत्ति के खीर दें।

हस्ताक्षर मदन महवीर्य
 नाम मदन महवीर्य
 पद सि. म. केन
 विभाग शा. के. सु. भोपाल

कार्य

प्रथम नियुक्ति के समय अथवा सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूर्व) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह है सरदार सिंह 2. वर्तमान धारित पद अधी. म. अ.

3. वर्तमान वेतन 33100/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1 अक्टूबर 2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति विद्यत हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यक्ति		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिष्ठित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अधिष्ठन की तारीख और जिससे अधिष्ठित की गई हो उसका नाम तथा ब्यक्ति	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<u>Nil</u>							

* जहां लागू न हो वहां छोड़िये।
 ** ऐसे मामले में जहां भूमि का सही-सही विवरण कार्या संभव न हो, जहां वर्तमान स्थिति के कारण में लागू मूल्य बतलाया जाय।
 *** इसमें आनुवंशिकताएं चट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : संशोधित शासकीय सेवाक (आवाम) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन उभय क्षेत्री, द्वितीय क्षेत्री तथा तृतीय क्षेत्री सेवा के अधिकारदाता से यह अनिश्चित है कि वह सेवा में पारसी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार प्युनि के अधिन के परचाल या परिवर्तन पर या का प्रस्तुत करें और इसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अधिष्ठित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य ब्यक्ति के नाम पर चट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अथवा सम्पत्ति के ब्यक्ति हैं।
 संकेतपत्र-767-अवकाश-18-1-18-20,000.

हस्ताक्षर Sardar Singh
 नाम सरदार सिंह
 पद अधी. म. अ.
 विभाग ए. व. म. म. म. म. म.

116

फार्म

"प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20-20-21"

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पुरु) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह है - **रूप सिंह बख्श** 2. वर्तमान धारित पद - **सीनियर जूनियर**
3. वर्तमान वेतन - **35100-00** आयु - **51** वर्षों की आयु - **1 जुलाई 2020 का**

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा इलाके का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा धरती		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धरित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिष्ठित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अधिष्ठित की तारीख और जिससे अधिष्ठित की गई हो उसका नाम तथा धरती	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अधिपुस्तिका
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
जोधपूर (ज.ड.)	जवाहर	X	11,00,000 उपरोक्त जमीन अधिकाधिक	पत्नी के नाम पर	नोट रजिस्ट्रार जामा	X	X

* जहाँ लागू न हो वहाँ रोकिए।
 ** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के आधार में लागू मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : सशस्त्र शासकीय सेवा (आवाम) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम सेवा, द्वितीय सेवा तथा तृतीय सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अधिष्ठित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार न्यूनतम की आयु के पर्याप्त वह पेंशन-पत्र पर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके सम्पत्ति की तथा उसके द्वारा अधिष्ठित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य धरती के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धरित समस्त अचल सम्पत्ति के धरती हैं।

हस्ताक्षर - **रूप सिंह बख्श**
 नाम - **रूप सिंह बख्श**
 पद - **सीनियर जूनियर**
 तिथि - **31/07/20**
जोधपूर (ज.ड.)

फार्म

प्रथम विद्युक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूर) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो रमेश राव 2. वर्तमान धारित पद सी. डी. नौक
 3. वर्तमान वेतन 35100/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख फुलर्स 2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि यह किसके नाम पर धारित है और उसका राजस्वीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिष्ठित किया गया ** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, पेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अधिन की तारीख और जिसमें अधिष्ठित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरे	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभिवृक्ति
	गुड तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
—————				NIL	—————		

* जहाँ लागू न हो वहाँ टिकिन्ट।
 ** ऐसे मामलों में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, जहाँ वर्तमान स्थिति के अनुसार में लागू मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : संघघरित राजस्वीय सेवाक (आधार) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली विद्युक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार पहली की अवधि के परन्तु वह योग्यता-पर पर कर प्रस्तुत करें और इसमें वह उसके सम्पत्तियों को तथा उसके द्वारा अधिष्ठित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित अचल अचल सम्पत्ति के ब्यौरे हैं।

हस्ताक्षर [Signature]
 नाम रमेश राव
 पद सी. डी. नौक
 विभाग डी.एच. केन्द्रीय बुद्धवांग लक्ष्मी
नेपाल

फॉर्म

प्रथम नियुक्ति के समय अथवा सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पुरु) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह है अशोक कुमार चौहान 2. वर्तमान धारित पद सी. जे. में
3. वर्तमान वेतन 36-200 अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1 फरवरी 2021

उस जिले, उप-संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा भूमि		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिष्ठित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अधिष्ठित की तारीख और जिससे अधिष्ठित की गई हो उसका नाम तथा पता	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अधिपुत्रिता
	पट्टा तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
मोफाल	गांव	४	8 लाख का 9 लाख	पत्नी के नाम	स्वयं 29 फरवरी की तारीख से	४	४

* जहां लागू न हो वहां टिकित।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, जहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : सम्पत्ति शासकीय संयुक्त (आधार) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अधिष्ठित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार भूमि की अधिष्ठित की तारीख पर घोषणा-पत्र पर का प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अधिष्ठित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्ति अथवा सम्पत्ति के भूमि हैं।

हस्ताक्षर अशोक कुमार चौहान
 नाम अशोक कुमार चौहान
 पद सी. जे. में
 जिला सी. के. जे. मोफाल
 जे. ड.

119

फार्म

प्रथम विपुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो जावेद अख्तर 2. वर्तमान धर्म पर श्री-म. म.
 3. वर्तमान वेतन 44800/- आगामी वेतनबृद्धि की तारीख 15/07/2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा खति		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलायें कि यह किसके नाम पर धरित है और उसका राजस्वीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिष्ठित किया गया ** "खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अधिष्ठित की तारीख और जिससे अधिष्ठित की गई हो उसका नाम तथा खति	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अधिपुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<u>Nic</u>							

* जहाँ लागू न हो वहाँ खाली रखें।
 ** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, जहाँ वर्तमान विधि के अन्तर्ग में लागू मूल्य बतलाना पड़े।
 *** इसमें आन्तरिक खरीद भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश राजस्वीय सेवाक (आधारण) विनम, 1959 के विनम 18(3) के अधीन प्रथम सेवी, द्वितीय सेवी तथा तृतीय सेवी सेवा के उपरोक्त वर्गों से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली विपुक्ति के समय और उसके बाद उपरोक्त वर्ग में होने की अवधि के पश्चात् वह चौथम-पांच या का उपरुक्त की ओर प्रगति कर उसके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अधिष्ठित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धरित अथवा अचल सम्पत्ति के खति हैं।

हस्ताक्षर Jaaved A.
 नाम जावेद अख्तर
 पद श्री-म. म.
 विभाग डी.टी.ओ. गड. मीरजापुर

126

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पुरु) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह है **हजारी लाल डौल** 2. वर्तमान धारित पद **सि० मरीन मेन**
 3. वर्तमान वेतन **30,000 + D.A.**, अगली वेतनवृद्धि की तारीख **जुलाई 2021**

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा भूमि		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका राजस्वीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिष्ठित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अधिष्ठन की तारीख और जिससे अधिष्ठित की गई हो उसका नाम तथा पता	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अधिपुस्तिका
	पट्टा तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<i>Nil</i>							

* जहां लानु न हो वहां टिकिद।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करने संबंध न हो, जहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इनमें आपत्कालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : कानूनसहित राजस्वीय सेवक (आधारण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम हेतु, द्वितीय हेतु तथा तृतीय हेतु सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अधिष्ठित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार पहिने की अवधि के पश्चात् वह पौजना-पत या का प्रयुक्त की और उसमें वह उसके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अधिष्ठित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्त अथवा सम्पत्ति के भूमि हैं।

हस्ताक्षर **हजारी लाल डौल**
 नाम **हजारी लाल डौल**
 पद **सि० म० मेन**
 विभाग **आ० डे० सु० ओपस**

121

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अथवा सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पुरु) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो **अन. अशुभु ट. पापा** 2. वर्तमान धारित पद **जूनियर मशीन मैक**
3. वर्तमान वेतन **32200/-** अगली वेतनवृद्धि की तारीख **जुलाई 2021**

उस जिले, उप-संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा स्त्री		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा स्त्री	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अधियुक्ति
	पट्टा तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
_____				Nil	_____		

* जहां लागू न हो वहां टिकिए।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें आलमदारान पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवाक (आचार्य) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम सेवी, द्वितीय सेवी तथा तृतीय सेवी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार पहिले की अवधि के पारंपार्य या घोषणा-पत्र पर का प्रस्तुत करें और इसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक या उसके द्वारा धारित समस्त अथवा सम्पत्ति के स्त्री हैं।

हस्ताक्षर **अन**
 नाम **अन. अशुभु ट. पापा**
 पद **जूनियर मैक**
 जिला **अफसर शी के उ. नोपाल**

122

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20२०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पुरु) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह है महाश्वर एमन 2. वर्तमान धारित पद ज. म. म.
 3. वर्तमान वेतन 34500+ अगली वेतनबृद्धि की तारीख 1. जुलाई 2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यक्ति		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिष्ठित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अधिष्ठन की तारीख और जिससे अधिष्ठित की गई हो उसका नाम तथा जमीन	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अधिपुस्तिका
	पुरु तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<u>Nil</u>							

* जहां लानु न हो वहां खाली रखें।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, जहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाए।
 *** इनमें आपत्कालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवा (आचार्य) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम सेवी, द्वितीय सेवी तथा तृतीय सेवी सेवा के दायिक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद उसके बतलाने की अवधि के परभाव यह घोषणा-पत्र या वह प्रमाण पत्रों और इसमें वह उसके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अधिष्ठित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यक्ति हैं।

हस्ताक्षर म. श्वर एमन
 नाम महाश्वर एमन
 पद ज. म. म.
 विभाग डि. म. म. ड. म. म. म.

123

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अथवा सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो **मनोहर नाचनकर** 2. वर्तमान धारित पद **प्लूनिशर मशीन मैक**
 3. वर्तमान वेतन **Rs. 13,32,00/-** अपनी वेतनवृद्धि की तारीख **जुलाई 2021**

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा स्थिति		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका राजस्वीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिष्ठित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अधिष्ठन की तारीख और जिससे अधिष्ठित की गई हो उसका नाम तथा पता	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अधिपुत्रिता
	पूरा तथा अन्य धारण	धूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
भोपाळ	मकान 20x30		(4 लाख 2004 की स्थिति में)	स्वयं के नाम पर	—	—	—

* जहां लागू न हो कार टिकिड।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, जहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश राजस्वीय संवक (आधार) विधम, 1959 के विधम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार प्रमोशन या पदोन्नति के पश्चात् या परिवर्तन-पद पर का प्रस्ताव करें और इसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अधिष्ठित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्ति अथवा सम्पत्ति के स्थिति हैं।
 सकेसुधे-747-अवकाश-18-1-13-20,000.

हस्ताक्षर **मनोहर नाचनकर**
 पद **मनोहर नाचनकर**
 पद **प्लूनिशर मशीन मैक**
 विभाग **शाह के. सुब. भोपाळ**

129

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20२०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह है श्री संजय रावत 2. वर्तमान धरति पर जू. मशीन मैन
 3. वर्तमान वेतन 29,000/- DA आगामी वेतनवृद्धि की तारीख 01 अक्टूबर 2024

उस जिले, उप बंधन, कालुका तथा ज्ञान का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा खेति		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलायें कि वह किसके नाम पर धरति है और उसका राजस्वीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसो किस प्रकार अधिष्ठ किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधन, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अधिष्ठ की तारीख और जिससे अधिष्ठ की गई हो उसका नाम तथा खेति	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अधिपुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

* जहां खालू न हो क्या धरति।
 ** ऐसे मामलों में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करने संबंध न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाय।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 विवरण: मध्यप्रदेश राजस्वीय सेवा (आचार्य) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम वेतनी, द्वितीय वेतनी तथा तृतीय वेतनी सेवा के प्रत्येक वर्गमें से वह अधिष्ठित है कि वह सेवा में पारसी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार वेतनी की अवधि के पारंपार्य पर धीरे-धीरे या का इच्छा करे और उसमें वह उनके स्वाधिन की तथा उसके द्वारा अधिष्ठ अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य खेति के नाम पर पट्टे या बंधन पर उसके द्वारा धरति बनता अथवा सम्पत्ति के खेति हैं।

हस्ताक्षर
 नाम श्री संजय रावत
 प जू. मशीन मैन
 विभाग उपनि. आस. के.डी.य.सु.प्रा.स.क
भोपाल

125

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह है डा. जयंत 2. वर्तमान धारित पद अ. व. अ.
 3. वर्तमान वेतन 34200/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1 अक्टूबर 2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा धरि		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका राजस्वीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा धरि	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अधिपुक्ति
	पट्टा तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<u>Nil</u>							

* जहां लागू न हो कार टिकें।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, जहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी: मध्यप्रदेश राजस्वीय संवक (आयदाय) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम सेवी, द्वितीय सेवी तथा तृतीय सेवी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अनुरोध है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार पहली की अवधि के परभाव या परिवर्तन पर या का प्रसंग पर और इसमें वह उसके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्ति अचल सम्पत्ति के धरि हैं।

हस्ताक्षर डा. जयंत
 नाम डा. जयंत
 पद अ. व. अ.
 विभाग आ. व. अ. मण्डल

फार्म

"प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020"



1. अधिकारी/कार्यकारी का (पुरु) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह है **सतीश जोशीवाले** 2. वर्तमान धारित पद **जुनियर मशीन मेन**
3. वर्तमान वेतन **33200+D.A.** ... अगली वेतनवृद्धि की तारीख **1 जुलाई 2021**

उस जिले, उप संभाग, जिले का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा खीर		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलायें कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका राजस्वोप कार्यकारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिष्ठित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अधिष्ठित की तारीख और जिससे अधिष्ठित की गई हो उसका नाम तथा खीर	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अधिपुत्रिता
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
भोपाल	मकान	X	20,00,000 बीस लाख लाख-भंग बाजार मूल्य के आरूप	स्वयं के नाम	पूर्व का मकान बेचकर MP हाउसिंग बोर्ड से लिया गया है।	X	X

* जहाँ खाल न हो वहाँ धरिये।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करने संबंध न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के आधार में लगभग मूल्य बतलाया जाय।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : पञ्जाब देश राजस्वोप सेवा (आचार्य) नियम, 1959 के नियम 19(3) के अधीन प्रथम सेवा, द्वितीय सेवा तथा तृतीय सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अधिष्ठित है कि वह सेवा में पारंगत नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार पारंगत करने की अवधि के पश्चात् वह पौजना-पत्र पर का प्रस्ताव करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अधिष्ठित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के खीर दें।

संकेतपत्र-747-अवकाश-18-1-13-20,000.

स्थान **सतीश जोशीवाले**नाम **सतीश जोशीवाले**पद **जु. म. मेन**विभाग **शासन केन्द्रीय मुद्रणालय**

भोपाल (M.P.)

127

फार्म


प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो **रवि प्रसाद दहाल** 2. वर्तमान धरति पर **७० म० मैदान**

3. वर्तमान वेतन **33200+DA** आसी वेतनवृद्धि की तारीख **1-7-2021**

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा धरति		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलावने कि यह किसके नाम पर धरति है और उसका सामंतीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिष्ठ किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अधिष्ठ की तारीख और जिससे अधिष्ठ की गई हो उसका नाम तथा धरति	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अधिपुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<i>NIL</i>							

* जहां लागू न हो वारट सेकिन्ट।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण कारण संभव न हो, जहां वर्तमान धरति के कार्ड में लागू मूल्य बतलाया जाए।
 *** इनमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 विस्तर : सम्बन्धित सामंतीय सेवाक (आचार्य) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम केपी, द्वितीय केपी तथा तृतीय केपी सेवा के उपरोक्त चरण से यह अधिष्ठित है कि यह सेवा में पदवी नियुक्ति के समय और उसके बाद उपरोक्त चरण पदवी की अधिष्ठ के पश्चात् यह भीतर-पत्र या का उपलब्ध करी और इसमें वह उसके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अधिष्ठित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धरति अचल सम्पत्ति के धरति हैं।

हस्ताक्षर 
 नाम **रवि प्रसाद दहाल**
 पर **७० म० मैदान**
 विभाग **उपम वि० २/१० के मु० मेधाक**

128

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अथवा सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पुरु) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह है सलीम खां 2. वर्तमान धारित पद ग्र. म. मैन
 3. वर्तमान वेतन ₹ 8800 अगली वेतनवृद्धि की तारीख 2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका राजस्वीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरे	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	प्लॉट तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Nil							

* जहां लागू न हो वहां डीक्यू।
 ** ऐसे मामलों में जहां मूल्य का जमी-जमी निर्धारण करके संभव न हो, जहां वर्तमान स्थिति के आधार में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश राजस्वीय सेवाएं (आधारण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम सेवा, द्वितीय सेवा तथा तृतीय सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार धारित की अवधि के पर्याप्त वह योग्यता-पत्र पर काय प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित कबला अथवा सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर सलीम खां
 नाम सलीम खां
 पद ग्र. म. मैन
 विभाग ग्र. म. म. ग्र. कोषपाल

123

फार्म

प्रथम विपुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20

1. अधिकारी/कार्यकारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो परमेश कुमार 2. वर्तमान धरित पर श्री. म. श्री
 3. वर्तमान वेतन 28600/- आगामी वेतनबृद्धि की तारीख 1 जुलाई 2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा खेती		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलावने कि वह किसके नाम पर धरित है और उसका सामंतीय कार्यकारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिष्ठ किया गया ** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अधिन की तारीख और जिससे अधिष्ठ की गई हो उसका नाम तथा खेती	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभिपुक्ति
	गुह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<u>Nil</u>							

* जहां लागू न हो वहां खाली रखें।
 ** ऐसे मामलों में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, जहां वर्तमान विधि के अन्तर्ग में लागू मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें आनुवंशिकीय पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश सामंतीय सेवाक (आयकर) विनियम, 1959 के विनियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के दायिक कर्तव्य से वह अधिष्ठित है कि वह सेवा में पहली विपुक्ति के समय और उसके बाद दायिक कर्तव्य भंग होने की अवधि के पश्चात् वह योग्यता-पत्र भा का प्रस्तुत करें और इसमें वह उसके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अधिष्ठित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धरित अथवा अचल सम्पत्ति के खेती हैं।

हस्ताक्षर परमेश कुमार
 नाम परमेश कुमार
 पद श्री. म. श्री
 विभाग शा. के. क. अंपाल

130

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. अधिकारी/कार्यकारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह है रत्नलाल शर्मा 2. वर्तमान धारित पर खनिगर मशीन मैन
 3. वर्तमान वेतन RS. 32250/- . अगली वेतनवृद्धि की तारीख फुलरि: 2021 .

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा खेति		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलायें कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका राजस्वीय कार्यकारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिष्ठित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधन, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अन्य की तारीख और जिससे अधिष्ठित की गई हो उसका नाम तथा खेति	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अधिपुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<u>NIL</u>							

* जहां लागू न हो कार्ड देखिए।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : सम्बन्धित राजस्वीय सेवाक (आधार) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन उभय हेतु, द्वितीय हेतु तथा तृतीय हेतु सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में प्रवेशी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार प्रवेशी की अवधि के परन्तु वह प्रवेश-पत्र पर का प्रस्तुत करें और इसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अधिष्ठित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधन पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के खेति दें।

सम्पत्ति रत्नलाल शर्मा
 पर रत्नलाल शर्मा
 पर खनिगर मशीन मैन
 विभाग शुभलक्ष्मी डेन्डीयु मुद्गालय
बोयल (स.घ.)

131

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अथवा सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20 20

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो **शोबिताश शर्मा** 2. वर्तमान पद पर **जू. मशीन मैक**
3. वर्तमान वेतन **33200** अपनी वेतनवृद्धि की तारीख **1-7-21**

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा भूमि		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धरित है और उसका राजस्वगत कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिष्ठित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अधिष्ठित की तारीख और जिससे अधिष्ठित की गई हो उसका नाम तथा पता	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अधिपुत्रिता
	प्लॉट तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
ग्राम मोरी जिला मोपाल	-	प्लॉट-2405 25 X 40	6 लाख 600000	शोबिताश शर्मा शर्मा पत्नी	प्लॉट शोबिताश शर्मा से प्राप्त किया गया	Nil	

* जहां लागू न हो वहां डीक्यू।
 ** ऐसे मामलों में जहां मूल्य का जमी-जमी निर्धारण करते संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पराजस्व पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : सम्पत्तियों राजस्वगत सेवा (आधार) नियम, 1959 के नियम 19(3) के अधीन प्रथम सेवी, द्वितीय सेवी तथा तृतीय सेवी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अधिष्ठित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार भूमि की अधिष्ठित के पश्चात् वह पौजना-पत्र पर का प्रस्तुत करें और इसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अधिष्ठित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक या उसके द्वारा धरित समस्त अथवा सम्पत्ति के भूमि हैं।

3-2-21

हस्ताक्षर **शु**
 नाम **शोबिताश शर्मा**
 पद **जू. मशीन मैक**
 विभाग **श्री.के.सु. मोपाल**

134

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूर) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह है कैलाश चं. क. एल. 2. वर्तमान धारित पद एस. व. गै.
 3. वर्तमान वेतन 33,000/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1 अक्टूबर 2021

उस जिले, उप संभाग, जालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा खेती		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बताइए कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका सामंतीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिष्ठ किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अधिष्ठ की तारीख और जिससे अधिष्ठ की गई हो उसका नाम तथा खेती	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अधिष्ठीक
	गुड तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Nil							

* जहां खाली न हो बात दर्शाएं।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के अन्तर्ग में लगभग मूल्य बताइएगा जाए।
 *** इसमें सामंतीय पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : अध्यादेश सामंतीय सेवाक (आवारा) विधम, 1959 के विधम 18(3) के अधीन प्रथम सेवा, द्वितीय सेवा तथा तृतीय सेवा के वार्षिक प्रदाय से यह अधिष्ठित है कि वह सेवा में पुरानी नियुक्ति के समय और उसके बाद वार्षिक प्रदाय मूल्य की अवधि के अन्तर्गत वह बीसवा-पच भा कर प्रस्तुत करें और इसमें वह उसके सम्पत्ति की तथा उसके द्वारा अधिष्ठित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के खेती हैं।

हस्ताक्षर कैलाश चं. क. एल.
 नाम कैलाश चं. क. एल.
 पद एस. व. गै.
 विभाग डी. क. गै. जालुका

123

फॉर्म

प्रथम विपुलित के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह है **राजेश कुमार शर्मा** 2. वर्तमान धारिता पर **ज्वा. नेमरा मैन**
 3. वर्तमान वेतन **60200 + D.A.** अगली वेतनवृद्धि की तारीख **6 फरवरी 2021**

उस जिले, उस संभाग, जिल्ला तथा डाक का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति का नाम तथा खेती		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका सामंतीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिष्ठित किया गया **करी, पट्टा, बंधक, विपणन, शेर या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अधिष्ठित की गई हो उसका नाम तथा खेती	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अधिपुलित
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0 मोप लि कोलार रोड चूना मरी, मोपला	गृह		600000	स्वयं	लोन द्वारा	नहीं	
2 फ्लॉर वाडा मूपास्विका		फ्लॉर	40,0000	जयं एवं पत्नी के नाम	मंगलजी द्वारा दिया गया	नहीं	

* जहाँ लागू न हो कार टैक्स।
 ** ऐसे मामलों में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाय।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : अध्यादेश सामंतीय सेवाक (आचार्य) नियम, 1954 के नियम 13(3) के अर्थों प्रथम सेमी, द्वितीय सेमी तथा तृतीय सेमी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पदवी विपुलित के समय और उसके बाद प्रत्येक बार पदवी की अवधि के समाप्त या योग्यता-पत्र पर का प्रस्तुत करें और इसमें वह उसके स्थानित की तथा उसके द्वारा अधिष्ठित अथवा उसे विपणन में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य अधिष्ठित के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के खेती हैं।
 लोकसूची-747-अवसराधि-18-1-13-20,000

सत्यापित **राजेश कुमार शर्मा**
 नाम **राजेश कुमार शर्मा**
 पता **ज्वा. नेमरा मैन**
 विभाग **मोपला**

139

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20 20

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह है ... इमिल कुमर शर्मा ... 2. वर्तमान धारित पद ... लेट मैक ...
 3. वर्तमान वेतन ... 57000/- ... अगली वेतनवृद्धि की तारीख ... 1-7-21

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा स्थिति		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो ब्यवसाय में कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका राजस्व्रीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिष्ठित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अधिष्ठित की तारीख और जिससे अधिष्ठित की गई हो उसका नाम तथा पता	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अधिकृत
	पट्टा तथा अन्य धारण	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<u>मोपला कोटवा</u>	X	X		<u>पति के नाम</u>	<u>लोत मैक</u>		

* जहाँ खाल्य न हो वहाँ खरीद दर्ज करें।
 ** ऐसे मामलों में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करने संबंध न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के अनुसार ही वर्तमान मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 विवरण : पञ्जाब राजस्व्रीय सेवा (आचार्य) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अधिष्ठित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार पदोन्नति की अवधि के पश्चात् वह पौजवा-पत्र पर का प्रस्ताव करे और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अधिष्ठित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित अथवा अचल सम्पत्ति के स्थिति दें।

हस्ताक्षर ... SAR ...
 नाम ... इमिल कुमर शर्मा ...
 पद ... लेट मैक ...
 विभाग ... पुलिस ...

135

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20

1. अधिकारी/कार्यकारी का (पूर) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह है - विश्व दीपक मार्को 2. वर्तमान धरित पर - ड्रेसर

3. वर्तमान वेतन - 36200+D.A. - अगली वेतनवृद्धि की तारीख - 1 जुलाई 2021

उस जिले, उप बंधन, कालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौ		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धरित है और उसका राजस्वीय कार्यकारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिष्ठ किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधन, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अधिष्ठ की तारीख और जिससे अधिष्ठ की गई हो उसका नाम तथा ब्यौ	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अधिपुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
भोपाल मंशीली ग्राम-गञ्ज पिपौल्या		ट्वाट	5,00,000/- रु. के			निल	

* जहां लागू न हो वहां खाली।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के आधार में लागू मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी: महादेश राजस्वीय सेवाक (आधार) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम हेतु, द्वितीय हेतु तथा तृतीय हेतु सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अधिष्ठित है कि वह सेवा में प्रवेशी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार प्रवेशी की अवधि के परभाव या घोषणा-पत्र पर का प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अधिष्ठित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधन पर उसके द्वारा धरित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौ हैं।

हस्ताक्षर
 नाम - विश्व दीपक मार्को
 पद - ड्रेसर
 विभाग - शां. के. सु. भोपाल

फार्म

“प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पुरु) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो लखनी शां डेपु ओपल 2. वर्तमान धारित पद सी आईएड
 3. वर्तमान वेतन 44800+2A ... अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1 फूलई 2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा धरि		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिष्ठ किया गया ***खरीद, पट्टे, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अधिष्ठ की तारीख और जिससे अधिष्ठ की गई हो उसका नाम तथा धरि	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	पट्टे तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Nil

* जहां लागू न हो वहां खाली रखें।
 ** ऐसे मामलों में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, जहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 दिवाली : सशस्त्र शासकीय सेवा (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अधिष्ठित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार धरि की अवधि के पारभाह वह योग्यता-पत्र पर का प्रस्तुत करें और इसमें वह उनके अधिष्ठित की तथा उसके द्वारा अधिष्ठित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धरित समस्त अचल सम्पत्ति के धरि हैं।

हस्ताक्षर
 नाम लखनी शां डेपु ओपल
 पद सी आईएड
 विभाग शां डेपु ओपल

137

फॉर्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो **अब्दुल कादर सूतीय खेमी** 2. वर्तमान धारित पर **सीनियर डाक्टर**
3. वर्तमान वेतन **45300/-** अगली वेतनवृद्धि की तारीख **1 जुलाई 2020**

उस जिले, उस संभाग, जिल्ला तथा राज्य का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा धरती		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका सम्बन्ध कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिष्ठित किया गया ** "खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अपने की तारीख और जिससे अधिष्ठित की गई हो उसका नाम तथा धरती	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अधिपुस्तिका
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
निष्ठ							

* जहां लागू न हो वहां खाली।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही विवरण कारण संभव न हो, जहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी: सम्बन्धित सम्बन्धीय सेवा (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम सेवा, द्वितीय सेवा तथा तृतीय सेवा के प्रत्येक स्तर से यह अधिष्ठित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार पहली की अवधि के पर्याप्त यह योग्यता-पत्र या का प्रस्तुत की और उसमें वह उसके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अधिष्ठित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्ति अचल सम्पत्ति के अधीन है।
 संकेतपत्र-747-असमाप्त-18-1-13-20,000.

हस्ताक्षर **अब्दुल कादर**
 नाम **अब्दुल कादर**
 पर **सीनियर डाक्टर**
 विभाग **राज्यस्तरीय केन्द्रीय मुद्रणालय भोपाळ**

138

फॉर्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20२०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह है **जवाहर जयंत आर के मुकुंदराव** 2. वर्तमान धारित पद **सी० अफ़िसर**
3. वर्तमान वेतन **45300/-** अगली वेतनवृद्धि की तारीख **1 जुलाई 2021**

उस जिले, उप-संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा भूमि		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिष्ठित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अधिष्ठित की तारीख और जिससे अधिष्ठित की गई हो उसका नाम तथा पता	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अधिपुस्तिका
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
MIL							

* जहां लागू न हो वहां खाल छोड़िए।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, जहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवाक (आचार्य) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार पहली की अवधि के पारभास्य या पारभास्य-पार या का प्रत्येक वर्ष और उसमें वह उसके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अधिष्ठित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक या उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के भूरी दें।

सम्पत्ति **जवाहर जयंत**
 नाम **जवाहर जयंत**
 पद **सी० अफ़िसर**
 निवास **श्री के० मुकुंदराव कीर्ति**

139

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2021

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह है रोहित कुमार 2. वर्तमान धारित पद सिनियर-ब्रांडर
 3. वर्तमान वेतन 41000+2A आरक्षित वेतनवृद्धि की तारीख 1-7-2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा खेति		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका राजस्वीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिष्ठित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अधिष्ठित की तारीख और जिससे अधिष्ठित की गई हो उसका नाम तथा खेति	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अधिपुक्ति
	पट्टा तथा अन्य धारण	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

* जहां लागू न हो वारद सेकिंग।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के मन्दर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी: महादेश राजस्वीय सेवाक (आधार) विनम, 1959 के विनम 18(3) के अधीन प्रथम सेवी, द्वितीय सेवी तथा तृतीय सेवी सेवा के प्रवेश संदम से यह अधिष्ठित है कि वह सेवा में प्रवेशी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार प्रवेशी की अवधि के परभाव यह घोषणा-पत्र पर कर प्रस्तुत करें और इसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अधिष्ठित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के खेति हैं।
 लोकपुत्री-747-अवकाश-18-1-18-20,000.

हस्ताक्षर
 नाम रोहित कुमार
 पद सिनियर-ब्रांडर
 विभाग शासन (उच्च शिक्षा) गुवाहाटी
 मेसर्स

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20२०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह है कृष्ण ठाकुर 2. वर्तमान धारित पद सी. आइ.एस. २
 3. वर्तमान वेतन अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1-7-2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा भूमि		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका राजस्वकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिष्ठित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अधिष्ठन की तारीख और जिससे अधिष्ठित की गई हो उसका नाम तथा पता	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अधिपुक्ति
	पट्ट तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<p>आफाल B-8, साई आडल अन्धपुरी आफाल।</p>	गृह	-	-	स्वयं	खरीद	Mill	-

* जहां लागू न हो बात धारित।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, जहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें आनुवंशिकता पट्टे भी शामिल हैं।
 टिप्पणी: मध्यप्रदेश राजस्वकीय सेवाक (आचार्य) विधन, 1959 के विधन 19(3) के अधीन प्रथम सेनी, द्वितीय सेनी तथा तृतीय सेनी सेवा के इम्पेच सराफ से यह अधिष्ठित है कि यह सेवा में पदवी नियुक्ति के समय और उसके बाद इम्पेच सराफ पदवी को अर्थात् के पदपत्र या पदपत्र-पत्र पर का प्रस्तुत करें और इसमें यह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अधिष्ठित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के भूमि हैं।

हस्ताक्षर [Signature]
 नाम कृष्ण ठाकुर
 पद सी. आइ.एस. २
 विभाग

फार्म

प्रथम विपुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो हरीलाल कर्मा 2. वर्तमान धारिता पर सीनियर क्लर्क
 3. वर्तमान वेतन 43500/- आगामी वेतनवृद्धि की तारीख 01. जुलाई, 2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा धरि		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलावने कि वह किसके नाम पर धरित है और उसका सामंतीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिष्ठित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अपने की तारीख और जिससे अधिष्ठित की गई हो उसका नाम तथा धरि	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अधिपुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<i>Nil</i>							

* जहां लागू न हो वार धरि।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही विवरण कारण संबंध न हो, जहां वर्तमान विधि के संदर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी: मध्यप्रदेश सामंतीय सेवाक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अधिष्ठित है कि वह सेवा में पहली विपुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार पहली की अवधि के परभाव या परिवर्तन पर या का प्रभाव को और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अधिष्ठित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धरित समस्त अचल सम्पत्ति के धरि हैं।
 लोकसूची-747-असमाप्त-18-1-13-20,000.

हस्ताक्षर हरीलाल कर्मा
 नाम हरीलाल कर्मा
 पद सी. क्लर्क
 विभाग वेतन मूल्य
अति. शास. सेवा. 20 कुलुआ
उपका

142

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20 20

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह है विजय शर्मा शर्मा 2. वर्तमान धारित पद सी.एच.डी.ए.
 3. वर्तमान वेतन 41,000 अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1-7-21

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति विद्यत हो	सम्पत्ति का नाम तथा धरि		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिष्ठित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अधिष्ठित की तारीख और जिससे अधिष्ठित की गई हो उसका नाम तथा धरि	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अधिपुक्ति
	पट्ट तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<i>Nil</i>							

* जहां खालू न हो बतल दें।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के अन्तर्ध में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें आपत्कालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : कम्प्यूटरी शासकीय सेवा (आचार्य) नियम, 1959 के नियम 13(3) के अन्वीय प्रथम सेवी, द्वितीय सेवी तथा तृतीय सेवी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अधिष्ठित है कि वह सेवा में पदवी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार पदवी की अवधि के परभाव पर पदोन्नति-पत्र पर बतलाना पड़ेगा और इसमें वह अपने अधिष्ठित की तथा उसके द्वारा अधिष्ठित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के धरि हैं।

हस्ताक्षर विजय शर्मा
 नाम विजय शर्मा
 पद सी.एच.डी.ए.
 विभाग केंद्र/अध्यापक

143

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पुरु) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह है नूर मोहम्मद शा. हे. ए. 2. वर्तमान पति का श्री. बद्रिन्द
 3. वर्तमान वेतन 44,000 अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1-7-21

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा स्थिति		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका राजस्वकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिष्ठित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अधिष्ठन की तारीख और जिससे अधिष्ठित की गई हो उसका नाम तथा स्थिति	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अधिपति
	पट्टा तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<i>Nil</i>							

* जहां लागू न हो वहां टिकित।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के अन्वय में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : राष्ट्रीय राजस्वकीय सेवा (आचार्य) नियम, 1959 के नियम 12(3) के अधीन प्रथम सेवी, द्वितीय सेवी तथा तृतीय सेवी सेवा के इम्प्लेंट करार से यह अधिष्ठित है कि वह सेवा में पदवी नियुक्ति के समय और उसके बाद इम्प्लेंट करार पदवी की अवधि के पश्चात् वह पौजना-पत्र पर काय प्रस्तुत करें और इसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अधिष्ठित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के स्थिति दें।

हस्ताक्षर नूर मोहम्मद
 नाम नूर मोहम्मद
 पति श्री. बद्रिन्द
 पत्नी बंधन करी

144

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20-21

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो कैलाश जी. ए. 2. वर्तमान धरित पर सी. ए.

3. वर्तमान वेतन 24000/- आगामी वेतनवृद्धि की तारीख 1 अक्टूबर 2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा धरि		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलावने कि वह किसके नाम पर धरित है और उसका सामंतीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिष्ठ किया गया ** "खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अधिन की तारीख और जिससे अधिष्ठ की गई हो उसका नाम तथा धरि	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अधियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<u>Nil</u>							

* जहां लागू न हो कर संकेत।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करने संबंध न हो, वहां वर्तमान स्थिति के आधार में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें आलपकारालय पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी: सशस्त्र सार्वजनिक सेवा (आचार्य) नियम, 1954 के नियम 13(3) के अधीन उभय क्षेत्री, द्वितीय क्षेत्री तथा तृतीय क्षेत्री सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अधिष्ठित है कि वह सेवा में प्रवेश नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार प्रवेश करने की अवधि के परभाव यह घोषणा-पत्र पर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अधिष्ठित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धरित समस्त अचल सम्पत्ति के धरि दें।

हस्ताक्षर KUSH
 नाम कैलाश जी. ए.
 पद सी. ए.
 विभाग डी. ए. ए. सु. मंत्रालय

145

फार्म


प्रथम विपुलित के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20-26

1. अधिकारी/कार्यकारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो शारिफ कामाल 2. वर्तमान धारिता पर सीनियर कर्बन्डर
 3. वर्तमान वेतन 41,000 + DA अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1-7-21

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा भूमि		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलावने कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका सामंतीय कार्यकारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिगत किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अधिगत की तारीख और जिससे अधिगत की गई हो उसका नाम तथा पता	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	पट्टा तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
बजिया तालुका पत्नी मोपाल (क.प्र.)	कलेट		4 लाख		अल्प वचत		

* जहां लागू न हो काल देखा।
 ** देशी मामलों में जहां मूल्य का खरीद-विक्री विवरण कार्या बंधक न हो, जहां वर्तमान स्थिति के आधार में लागू मूल्य बतलाया जाए।
 *** इनमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी: मध्यप्रदेश सामंतीय सेवाक (आचार्य) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम सेवी, द्वितीय सेवी तथा तृतीय सेवी सेवा के दायिक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली विपुलित के समय और उसके बाद दायिक बालक धारिता की अधिगत के सम्बन्ध में पट्टा-पत्र या अन्य दस्तावेजों की और उसमें वह उनके सम्बन्धित की तथा उनके द्वारा अधिगत अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के भूमि हैं।

हस्ताक्षर 
 नाम शारिफ कामाल
 पर सीनियर कर्बन्डर
 विभाग उप निवेशक शारकीय फेन्डींग (मुद्राशासन्य मोपाल (क.प्र.))

146

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20२०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पुरु) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह है प्रदीप जोशी 2. वर्तमान धारित पद सीनियर वाइसर
 3. वर्तमान वेतन 41000/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1/7/2021

उस जिले, उप बंधन, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा धरि		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिष्ठ किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अधिष्ठ की तारीख और जिससे अधिष्ठ की गई हो उसका नाम तथा पता	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभिपुक्ति
	पट्ट तथा अन्य धवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<u>निल</u>							

* यहाँ तालु न हो बात सीमित।
 ** ऐसे मामले में यहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, यहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाय।
 *** इसमें आनुवंशिक पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवा (आचार्य) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अन्तर्गत प्रथम सेवी, द्वितीय सेवी तथा तृतीय सेवी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में प्रवेश करने के समय और उसके बाद प्रत्येक बार अपनी को अन्तर्गत के शासकीय या शैक्षणिक या पत्र-पत्र या कार-उत्पन्न करी और उसमें वह अपने सम्पत्ति का तथा उसके द्वारा अधिष्ठित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के धरि हैं।

हस्ताक्षर प्रदीप जोशी
 नाम प्रदीप जोशी
 पद सी. वाइसर
 विभाग शा. उ. मु. भोपाळ

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 202२

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह है मुलाकासिंह शा.ब.ह. 2. वर्तमान पति/पत्नी का नाम श्री. बंडू
 3. वर्तमान वेतन 35,150 अपनी वेतनवृद्धि की तारीख 1-7-21

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति विद्यमान है	सम्पत्ति का नाम तथा स्थिति		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका राजस्वकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिष्ठित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अधिष्ठित की तारीख और जिससे अधिष्ठित की गई हो उसका नाम तथा पता	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अधिपुक्ति
	प्लॉट तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<u>Nil</u>							

* जहाँ लागू न हो बात टिपित।
 ** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के अनुरूप में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।
 टिप्पणी: महापट्टा राजस्वकीय सेवक (आधार) विधन, 1939 के विधन 10(3) के अधीन प्रथम सेनी, द्वितीय सेनी तथा तृतीय सेनी सेवा के इनके सदस्य से यह अधिष्ठित है कि वह सेवा में पदवी नियुक्ति के समय और उसके बाद इनके कार्य पदवी की अवधि के परभाव या योग्यता-पत्र पर कर प्रस्तुत करें और इसमें वह उनके सम्पत्ति का तथा उसके द्वारा अधिष्ठित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के बंधी हैं।

हस्ताक्षर श.मु.
 नाम मुलाकासिंह
 पति श्री. बंडू
 पत्नी बंडू

148

फॉर्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह है रमेश ठक्कर, तृतीय 2. वर्तमान धारित पद सीनियर आईएर
 3. वर्तमान वेतन 25,300/- ... आगामी वेतनवृद्धि की तारीख 01 जुलाई 2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा खेति		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलायें कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका राजस्वकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिष्ठित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, धेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अधिष्ठन की तारीख और जिससे अधिष्ठित की गई हो उसका नाम तथा खेति	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अधिपुक्ति
	पट्टा तथा अन्य धारण	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
NA							

* जहां लागू न हो वहां टिकिए।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : सम्बन्धित राजस्वकीय सेवाक (आचार्य) नियम, 1954 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम डेवी, द्वितीय डेवी तथा तृतीय डेवी सेवा के प्रत्येक स्तर से वह अधिष्ठित है कि वह सेवा में पदवी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार पदवी की अवधि के परभाव या परिवर्तन पर या का प्रस्ताव करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अधिष्ठित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के खेति हैं।

हस्ताक्षर रमेश ठक्कर
 नाम श्री रमेश ठक्कर
 पद सी. आई. एर
 विभाग अंशुन कक्ष
अधि. शास. के. प्र. म. मुख्यालय

149

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह है अजीत कुमार अहमिया 2. वर्तमान पद सीनियर वाइस
 3. वर्तमान वेतन 39000 + डी.ए. केन्द्रीय केन्द्रीय की तारीख जुलाई - 2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा स्वरुप		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धरित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिष्ठित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, धेरा या अन्य किसी प्रकार से तथा अधिन की तारीख और जिसमें अधिष्ठित की गई हो उसका नाम तथा खीरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	प्लॉट तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<i>Nil</i>							

* जहाँ लागू न हो कार्ड संकेत।
 ** ऐसे मामलों में जहाँ मूल्य का खरी-खरी निर्धारण कार्या संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : सम्बन्धित शासकीय सेवाक (आवारा) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम सेवा, द्वितीय सेवा तथा तृतीय सेवा के प्रत्येक प्रकार से वह अधिष्ठित है कि वह सेवा में पुरानी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार न्यूनतम की अवधि के परन्तु वह पौनस्य-पत्र पर कार्ड उद्घुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अधिष्ठित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धरित समस्त अचल सम्पत्ति के स्वरुप हैं।

हस्ताक्षर *[Signature]*
 नाम अजीत कुमार अहमिया
 पद सीनियर वाइस
 निवास पिपिनिथमठ, अ.के.सु.अ.प.क.

150

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूर) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह है **अरुण शर्मा शर्मा** 2. वर्तमान धारित पद **जी.पी.**
3. वर्तमान वेतन **36200/-** अपनी वेतनवृद्धि की तारीख **1 जुलाई 2021**

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा खति		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो ब्यक्त करने कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका राजस्वीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिष्ठित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अधिन की तारीख और जिससे अधिष्ठित की गई हो उसका नाम तथा खीर	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<i>Nil</i>							

* जहां लागू न हो बात पंक्ति।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करने संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में साधारण मूल्य बताया जाय।
 *** इसमें आन्वयकारीय पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी: महाभारत राजस्वीय सेवा (आचार्य) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम सेवी, द्वितीय सेवी तथा तृतीय सेवी सेवा के प्रवेश समय से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार पहिले की अवधि के पश्चात् या चौथाल-पांच या बार प्रत्युक्त करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अधिष्ठित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के खति हैं।

हस्ताक्षर **अरुण शर्मा**

नाम **अरुण शर्मा शर्मा**

पद **जी.पी.**

विभाग **डी.क. प्र. अस्पताल**

151

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20२०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह है सुन्दर प्रसाद पांडेय, शांकेयु 2. वर्तमान धारित पद सी जेनरल
3. वर्तमान वेतन 34100 + DA अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1 अक्टूबर 2024

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा खेति		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका राजस्वीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिष्ठित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अधिष्ठित की तारीख और जिससे अधिष्ठित की गई हो उसका नाम तथा खेति	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अधिपुक्ति
	पट्ट तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	/			Nix			

* जहां लागू न हो वहां टिकिए।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का बड़ी-बड़ी निशेधक कारण संबंध न हो, जहां वर्तमान स्थिति के सम्बन्ध में लागू मूल्य बतलाया जाय।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश राजस्वीय सेवाक (आचार्य) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम सेवा, द्वितीय सेवा तथा तृतीय सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अनिवार्य है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार पहली की अवधि के समाप्त या परिवर्तन-पर या का प्रत्युत्तर की और इसमें वह उसके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अधिष्ठित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित अथवा अचल सम्पत्ति के खेति हैं।

हस्ताक्षर [Signature]
 नाम सुन्दर प्रसाद पांडेय
 पद सी जेनरल
 स्थान शांकेयु जोगला (म-5)

152

फार्म

"प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2028

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह है अशोक चौधरी आ.के.मु.भोपाल 2. वर्तमान धारित पद सी.डी.ओ.
3. वर्तमान वेतन 48100/- आगामी वेतनबैंड की तारीख 1. जुलाई, 2021.

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा खीरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलायें कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका सामंतीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिष्ठित किया गया ***खरीद, पट्टे, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अधिन की तारीख और जिससे अधिष्ठित की गई हो उसका नाम तथा खीरे	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अधिपुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<u>नीलकण्ठ तहसिल, सिन्ध-कोषाख</u>	<u>एक अचल 25x40</u>	<u>1000 वर्ग फिट</u>	<u>25,00,000</u>	<u>स्वयं के नाम</u>	<u>व्यक्तिगत अर्ज द्वारा</u>	<u>-</u>	

* यहाँ लागू न हो कर देखा।
 ** ऐसे मामलों में जहाँ मूल्य का जहाँ-जहाँ निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के आधार में लागू मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश सामंतीय सेवा (आधारण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम सेवी, द्वितीयसेवी तथा तृतीय सेवी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अधिष्ठित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार धारित की अवधि के पश्चात् वह पौज्या-पत्र या का प्रस्तुत करे और उसमें वह उसके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अधिष्ठित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित अथवा अचल सम्पत्ति के खीरे हैं।

हस्ताक्षर [Signature]
 नाम अशोक चौधरी
 पद सी.डी.ओ.
 विभाग आ.के.मु.भोपाल कोषाख

153

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2021

1. अधिकारी/कार्यकारी का (पुरु) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह है हीरालाल अग्रवाल 2. वर्तमान धारित पद जूनियर क्लर्क
 3. वर्तमान वेतन 36,200 अगली वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई-2021

उस जिले, उप विभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यक्ति		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका राजस्वकीय कार्यकारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिष्ठित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अधिष्ठन की तारीख और जिससे अधिष्ठित की गई हो उसका नाम तथा ब्यक्ति	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

शुद्ध

* जहां लागू न हो सके संकेत।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही विवरण कार्यालय संबंध न हो, जहां वर्तमान विधि के संदर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाए।
 *** इनमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : सम्बन्धित राजस्वकीय सेवा (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार पहली की अवधि के परभाव पर पौज्या-पत्र पर का प्रस्तुत करें और उसमें वह अपने स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अधिष्ठित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्ति अचल सम्पत्ति के ब्यक्ति हैं।
 लोकसूची-747-असमाप्त-18-1-13-20,000.

हस्ताक्षर हीरालाल अग्रवाल
 नाम हीरालाल अग्रवाल
 पद जूनियर क्लर्क
 विभाग आर० के० म्यूजियम, भोपाल

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20

1. अधिकारी/कार्यकारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह है श्रीमती लक्ष्मी शाक्या (कृषि) वर्तमान धरित पर जूनिपर बाईपास
 2. वर्तमान पतेन ... 34100 निका 2A अगली पतेनबुटि की तारीख ... जुलाई 2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा स्त्री		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलायें कि वह किसके नाम पर धरित है और उसका सामग्रीय कार्यकारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिष्ठ किया गया **करीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अधिन की तारीख और जिससे अधिष्ठ की गई हो उसका नाम तथा स्त्री	सम्पत्ति से वारिसता प्राप्त	अभिपुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
/							

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का कालो-काली निर्धारण करना संबंध न हो, जहाँ वर्तमान स्थिति के कार्यों में लागत मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें आन्तरिकीय चट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश राजकीय सेवा (आचार्य) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम सेवा, द्वितीय सेवा तथा तृतीय सेवा के प्रत्येक सरदार से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार नईनी की अवधि के सम्बन्ध में घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और इसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उनके द्वारा अधिष्ठ अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर चट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धरित समस्त अचल सम्पत्ति के स्त्री दें।

हस्ताक्षर ... श्रीमती लक्ष्मी शाक्या
 नाम ... लक्ष्मी शाक्या
 पता ... जूनिपर बाईपास
 विभाग ... उप.वि. आ.सं.के.के.के. मू.पु.म. भोपाळ

155

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूर) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो शमभाऊ विकार 2. वर्तमान धारित पद जुड जज
 3. वर्तमान वेतन 33100+0.4 अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1-7-21...

उस जिले, डन संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा भूति		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका राजस्वकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा भूति	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	पूरा तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Nil							

* जहां लागू न हो वार टैकिंग।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, जहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाय।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।
 टिप्पणी: मध्यप्रदेश राजस्वकीय सेवाक (आवदान) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम डेवी, द्वितीय डेवी तथा तृतीय डेवी सेवा के प्रत्येक स्तर से यह अनिवार्य है कि वह सेवा में पदवी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार पदवी की अवधि के समाप्त पर चौथवा-पाठ या का प्रस्तुत करें और इसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्त अचल सम्पत्ति के भूति हैं।
 लोकसूची-767-असहायि-18-1-13-20,000.

हस्ताक्षर शमभाऊ विकार
 नाम शमभाऊ विकार
 पद जुड जज
 जिला झांझार केन्द्रीय प्रशासनिक मंत्रालय
 (म.प्र.)

156

फार्म

"प्रथम नियुक्ति के समय अग्रज सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह है श्रीमती ज्योति गौतम 2. वर्तमान पति पर जू० वाइडर
3. वर्तमान वेतन 33100(+DA) अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1-1-2021 जू० वाइडर

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा स्त्री		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका राजस्वीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिष्ठित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अधिष्ठित की तारीख और जिससे अधिष्ठित की गई हो उसका नाम तथा स्त्री	सम्पत्ति से वारिष्क श्रेण	अधियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
फ्लैट नं० 7/10 एच.डी.सी. कोड काकोल आर.डी. शुभाक्ष-नगर जोधापुर (ख० उ०)	फ्लैट 2	खरीद	1000000	स्वयं वर्तमान मालिक के नाम पर (अनुक्रमित)	कैड से लेग लेकर रिजिस्ट्रार से अधिष्ठित लेकर कब्जा किया		

* यहाँ मूल्य न हो कर टैकिंग।
 ** ऐसे मामले में यहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, यहाँ वर्तमान स्थिति के अन्तर्गत में लागू मूल्य बतलाया जाय।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश राजस्वीय सेवाक (आचार्य) नियम, 1959 के नियम 10(3) के अधीन प्रथम सेनी, द्वितीय सेनी तथा तृतीय सेनी सेवा के इलेक्ट सदस्य से यह अधिष्ठित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद इलेक्ट बाराह बर्षों की अवधि के सम्बन्ध में पौजना-पत्र पर कर प्रस्तुत करें और इसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अधिष्ठित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर खरीदे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अथवा सम्पत्ति के स्त्री हैं।
 लोकसूची-767-अवकाश-18-1-13-20,000.

हस्ताक्षर श्रीमती ज्योति गौतम
 श्रीमती ज्योति गौतम
 पर जू-वाइडर
 निवास उप मीडिया 33 आ के गु जोधापुर

157

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह है पु. ज. सि-5 2. वर्तमान धारित पद पु. सि.एस
 3. वर्तमान वेतन 33200/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1 जुलाई 2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा बर्ण		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिष्ठ किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासा, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अधिष्ठ की तारीख और जिससे अधिष्ठ की गई हो उसका नाम तथा बर्ण	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अधिपुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
/							

(Nil)

* जहां लागू न हो वहां खाली रखें।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करने संबंध न हो, जहां वर्तमान स्थिति के अन्तर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें आनुवंशिकताएं पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी: सशस्त्र शासकीय सेवक (आधार) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अन्वये प्रथम सेवी, द्वितीय सेवी तथा तृतीय सेवी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अधिष्ठित है कि वह सेवा में पदवी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार पदवी की अवधि के परभाव वह पौजना-पत्र पर काट प्रस्तुत करें और इसमें वह उनके अधिष्ठित की तथा उसके द्वारा अधिष्ठित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के बर्ण दें।

हस्ताक्षर पु. ज. सि-5
 नाम पु. ज. सि-5
 पद पु. सि.एस
 विभाग सि-5 का (1)

158

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20 20

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पुरु) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह है **काबूराम मंगवाने** 2. वर्तमान धारित पद **जुं चाईण्डर**
 3. वर्तमान वेतन **33-3-004D A** अगली वेतनबुद्धि की तारीख **1.7.2021**.

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा खति		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा खीरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	प्लू तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
NIL							

* जहां लागू न हो काल दीजिए।
 ** ऐसे मामलों में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के आधार में लागू मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवा (आचार्य) नियम, 1950 के नियम 18(3) के अर्थों में प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रथम स्तर से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार न्यूनतम की अवधि के पश्चात् वह बीसवा-या या उससे अधिक वर्षों और उसमें वह उनके कर्तव्य की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के खती हैं।

नाम **काबूराम**
 पद **जुं चाईण्डर**
 पद **जुं चाईण्डर**
 विभाग **उपनिर्वाह शाखेसु भोपाल**

159

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह है राजेंद्र सेन, शांतिपुर मुन्शी वर्तमान धारित पद उप वरिष्ठ
 3. वर्तमान वेतन 28000/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1-7-2021

उस जिले, उप विभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा धारि		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिष्ठित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अधिष्ठित की तारीख और जिससे अधिष्ठित की गई हो उसका नाम तथा धारि	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	पट्टा तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			NIL				

* जहां लागू न हो काट दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का छोटी-छोटी विधेयक कारण संबंध न हो, वहां वर्तमान स्थिति के आधार पर लागू मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : अध्यादेश शासकीय सेवा (आचार्य) नियम, 1959 के नियम 10(3) के अधीन प्रथम सेवा, द्वितीय सेवा तथा तृतीय सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अनिवार्य है कि वह सेवा में प्रवेश नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार नई नई अधिष्ठित की अवधि के सम्बन्ध में घोषणा-पत्र या का प्रस्तुत करें और इसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अधिष्ठित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्ति अथवा सम्पत्ति के धारि हैं।
 संकेतसूची-767-आचार्य-18-1-13-20,000.

हस्ताक्षर राजेंद्र सेन
 नाम राजेंद्र सेन
 पद उप वरिष्ठ
 विभागाध्यक्ष कुं. कोषाल

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2024

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पुरु) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो शुपति शर्मा 2. वर्तमान धारित पद ज. व.
3. वर्तमान वेतन 33,200/- आयी वेतनवृद्धि की तारीख 1. अक्टूबर 2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा खेति		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलावने कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका सामंजस्य कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिष्ठ किया गया *** खरीद, चट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अधिष्ठ की तारीख और जिससे अधिष्ठ की गई हो उसका नाम तथा खेति	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अधियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<u>Nil</u>							

* जहां खाल्य न हो कार्ड से भरिए।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के आधार में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन चट्टे भी सम्मिलित हैं।
 विस्तार : सम्बन्धित सामंजस्य लेखा (आधार) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम होती, द्वितीय होती तथा तृतीय होती सेवा के प्रत्येक चरण में यह अधिष्ठित है कि वह सेवा में पाली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक चरण पाली की अर्थात् के पश्चात् वह योग्यता-पत्र पर का प्रस्तुत करे और उसमें वह उसके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अधिष्ठ अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर चट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के खेति हैं।

शुपति शर्मा
 नाम शुपति शर्मा
 पद ज. व.
 विभाग शा. के. उ. म. म. म. म.

161

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2010

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूर) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह है **राम लाल भारित** 2. वर्तमान धारित घर, **मुनिश्वर गणेशपुर**
 3. वर्तमान वेतन, **34200/-** ... अगली वेतनवृद्धि की तारीख **मुलाहिजा** ...

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा धरि		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिष्ठित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अधिष्ठन की तारीख और जिससे अधिष्ठित की गई हो उसका नाम तथा धरि	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अधिपुक्ति
	प्लट तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
सिद्ध त्रिलो भापाली नर	ग्रह	-	25,00,000	प्लॉट 3 गाम	HDFC Bank स. लोम लोकर	-	

* जहां खाल्य न हो वहां धरि लिखें।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, जहां वर्तमान स्थिति के समर्थ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें आनवृत्त पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : अध्यादेश शासकीय सेवक (आचार्य) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम सेवी, द्वितीय सेवी तथा तृतीय सेवी सेवा के इच्छुक सदस्य से यह अधिष्ठित है कि वह सेवा में पुरानी नियुक्ति के समय और उसके बाद इच्छुक करतू भूमि की अधिष्ठित के पत्रकार, पत्र पोषण-पत्र पर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उसके सम्पत्ति की तथा उसके द्वारा अधिष्ठित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के धरि हैं।

हस्ताक्षर **[Signature]**
 नाम **राम लाल भारित**
 पद **डि. भारित**
 विभाग **व्यक्त कर्म**

162

फार्म

“प्रथम नियुक्ति के समय अथवा सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूर) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह है विद्या सागर 2. वर्तमान धारित पद अ. वी.
3. वर्तमान वेतन 27000/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1 अक्टूबर 2021

उस विधि, इन संभाग, कालुका तथा प्रान का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा धरि		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो ब्याख्यावे कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका राजस्वकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिष्ठित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, किराया, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अधिन की तारीख और जिससे अधिष्ठित की गई हो उसका नाम तथा धरि	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अधिपुक्ति
	पूरा तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<u>NIL</u>							

* जहां लागू न हो कार्ट रीजिस्ट्रार।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के आधार में लागू मूल्य ब्याख्या करें।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।
 टिप्पणी: मध्यप्रदेश राजस्वकीय सेवा (आवक) विनियम, 1939 के विनियम 18(3) के अधीन प्रथम सेवा, द्वितीय सेवा तथा तृतीय सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में प्रवेशी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार न्यूनतम की अवधि के पर्याप्त वह बीमार-पत्र पर कार प्रस्तुत करें और इसमें वह उनके स्वास्थ्य का तथा उसके द्वारा अधिष्ठित अथवा उसे किराया में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य अधिष्ठित के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अथवा सम्पत्ति के धरि दें।

समाप्त वि. ए. सागर
 नाम विद्या सागर
 पद अ. वी.
 विभाग शा. के. उ. अ. अ. अ.

163

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पुरु) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह है **नरेश कुमार झा के पुत्र के** 2. वर्तमान धारित पद **जुड़ बरिस्टर**
 3. वर्तमान वेतन **32,200/-** अगली वेतनवृद्धि की तारीख **1 जुलाई 2021**

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति विद्यमान हो	सम्पत्ति का नाम तथा धरि		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका सामंजस्य कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिष्ठित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अधिष्ठित की तारीख और जिससे अधिष्ठित की गई हो उसका नाम तथा धरि	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अधिपुस्तिका
	पट्टा तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
NIL							

* जहां लागू न हो बतार दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के आधार में लागू मूल्य बतारना पड़े।
 *** इनमें आनुवंशिक पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 दिवाली : सम्बन्धित सामंजस्य सेवक (आचार्य) नियम, 1959 के नियम 18(1) के अधीन प्रथम सेवा, द्वितीय सेवा तथा तृतीय सेवा के प्रारंभिक दरमान से यह अधिष्ठित है कि वह सेवा में पदारी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रारंभिक बतार महीने की अवधि के पश्चात् वह पौनःपुनः पर या का प्रस्तुत करें और उसमें वह उसके सम्पत्तिधारी तथा उसके द्वारा अधिष्ठित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के धरि हैं।

हस्ताक्षर **Narash Kumar**
 नाम **नरेश कुमार**
 पद **जुड़ बरिस्टर**
 निवास **जुड़ के पु. नरेशपुर**

164

फार्म

प्रथम विद्युत के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20

1. अधिकारी/कार्यकारी का (पुरु) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो मोहम्मद आसिफ 2. वर्तमान धारित पद जूनियर काउन्सलर
3. वर्तमान वेतन Rs - 32000/- .. अपनी वेतनबुद्धि की तारीख 01-07-2021

उस जिले, उप बंधन, कालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यक्ति		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बताइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कार्यकारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिष्ठित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अधिन की तारीख और जिससे अधिष्ठित की गई हो उसका नाम तथा ब्यक्ति	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अधिपुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
मोहल	गृह भवन	सिल	250000/- (एक लाख)	स्वयं	विरासत	10,000/- (दस हजार)	

* जहां लागू न हो वहां खाली रखें।
 ** ऐसे मामलों में जहां मूल्य का कोई-कोई निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के अनुरूप में लागू मूल्य बतायें।
 *** इसमें शासकीय पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : महाजनता शासकीय सेवा (आचार्य) नियम, 1959 के नियम 18(1) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक वर्ग में यह अधिष्ठित है कि वह सेवा में पुरानी विद्युत के समय और उसके बाद प्रत्येक वर्ग में अधिष्ठित की जायगी वह पौजना-पत्र या का प्रत्युत की और उसमें वह अपने स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अधिष्ठित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यक्ति हैं।

हस्ताक्षर M. P. S. S.
 नाम मोहम्मद आसिफ
 पद जूनियर काउन्सलर
 विभाग शासकीय के लीम सुकोतवाड़ा
मोहल

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अथवा सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पुरु) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह है विनोद कुमार 2. वर्तमान धारिता पर पूरा चार्ज
3. वर्तमान वेतन 29500-10A ... अगली कैलकुलेशन की तारीख 1-7-2021.

उस जिले, उप बंधन, कालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा धरि		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका राजस्वीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिष्ठित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधन, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अधिष्ठित की तारीख और जिससे अधिष्ठित की गई हो उसका नाम तथा धरि	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अधियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<u>NIL</u>							

* जहां लागू न हो वहां खाल छोड़ें।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के आधार में लागू मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।
 टिप्पणी: महाभारत राजस्वीय सेवाक (आधारा) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम सेवी, द्वितीय सेवी तथा तृतीय सेवी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अधिष्ठित है कि वह सेवा में प्रवेशी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार प्रवेशी की अवधि के परभाव या परिवर्तन-पत्र पर का प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अधिष्ठित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधन पर उसके द्वारा धारित समस्त अथवा सम्पत्ति के धरि हैं।
 लोकसूची-207-अवसराधि-18-1-13-20,000.

हस्ताक्षर विनोद

नाम विनोद कुमार

पद पूरा चार्ज

विभाग उपक वि० 2/170 के० अ. भोपाल

फार्म

“प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020”

1. अधिकारी/कार्यचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह है प्यारेलाल शास्त्र 2. वर्तमान धारित पद जुने वार्डर
 3. वर्तमान वेतन 38200/- अगली वेतनबृद्धि की तारीख 1 अक्टूबर 2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा खेति		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलायें कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका राजस्वकीय कार्यचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिष्ठ किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अधिष्ठ की तारीख और जिससे अधिष्ठ की गई हो उसका नाम तथा खेति	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अधियुक्ति
	पट्टा तथा अन्य धारण	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				पैतृक वसति रुह			

* जहाँ लागू न हो वहाँ खाली।
 ** ऐसे मामलों में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करने संबंध न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाय।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 दिशावली : मध्यप्रदेश राजस्वकीय सेवाएं (आचार्य) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम हेतु, द्वितीय हेतु तथा तृतीय हेतु सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अधिष्ठित है कि वह सेवा में पेशगी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार पेशगी की अवधि के परभाव पर पेशगी-पत्र पर का प्रस्तुत करें और इसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अधिष्ठित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के खेति दें।
 सकेन्द्री-747-अवकाश-18-1-13-20,000.

हस्ताक्षर प्यारेलाल शास्त्र
 नाम प्यारेलाल शास्त्र
 पद जुने वार्डर
 विभाग श.क.गुडगावाम मोहल

167

फॉर्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2022

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूर) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह है श्री श्री आरिंद अली 2. वर्तमान धारित पर जूनियर बाईकर
 3. वर्तमान वेतन 32200+00 ... अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01 जुलाई 2021

उस जिले, वन संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा खेती		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका तालुकाईय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिष्ठित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, किराया, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अधिष्ठित की तारीख और जिससे अधिष्ठित की गई हो उसका नाम तथा खेती	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अधिपुक्ति
	पट्ट तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

* जहां लागू न हो बत दिये।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, जहां वर्तमान स्थिति के आधार में लागू मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।
 टिप्पणी : महादेश हासकीय सेवाक (आयकर) विधम, 1939 के विधम 18(3) के अधीन उच्च सेवा, द्वितीय सेवा तथा तृतीय सेवा के उच्चतम स्तर से वह अधिष्ठित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद उच्चतम कार्य करने की अवधि के परन्तु वह योग्य-वय पर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके कर्तव्य को तथा उसके द्वारा अधिष्ठित अथवा उसे किराया में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित चलत अचल सम्पत्ति के खेती हैं।

हस्ताक्षर S. Jitendra
 नाम श्री श्री आरिंद अली
 पता श्री बाईकर
 जिला: आस के उपखण्ड मोरदा

फार्म

"प्रथम विद्युत् के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2018

1. अधिकारी/कार्यकारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो राधा कुशवाल 2. वर्तमान धरित पर डू.वाइडर
 3. वर्तमान वेतन 32200/- अगली वेतनबृद्धि की तारीख 1 जुलाई 2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा खेती		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलावने कि वह किसके नाम पर धरित है और उसका शासकीय कार्यकारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिष्ठ किया गया ***खरीद, चट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अपने की तारीख और जिससे अधिष्ठ की गई हो उसका नाम तथा खेती	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अधिष्ठाता
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				NIL			

* जहां लागू न हो वहां डीक्यू।
 ** ऐसे मामलों में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, जहां वर्तमान विधि के अन्वय में लागू मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पशासकीय चट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवा (आवृत्त) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अधिष्ठित है कि वह सेवा में पहली विद्युत् के समय और उसके बाद प्रत्येक बार धरित की अवधि के पश्चात् वह योग्यता-पत्र या का प्रस्तुत करें और इसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उनके द्वारा अधिष्ठ अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर चट्टे या बंधक या उसके द्वारा धरित बचत अचल सम्पत्ति के खेती हैं।
 सकेन्द्री-747-असावरी-18-1-13-20,000.

हस्ताक्षर राधा कुशवाल
 नाम राधा कुशवाल
 पद डू.वाइडर
 विभाग उपनि आसपीय केजीए
कुशाभय जोषा

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह है विजय सिंह यादव आर.के.सुम्से 2. वर्तमान धरित पर कृ. खेति
 3. वर्तमान वेतन 33220/- अगली वेतनबृद्धि की तारीख 1 जनवरी 2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यंदि		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलायें कि वह किसके नाम पर धरित है और उसका राजस्वीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिष्ठ किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अधिन की तारीख और जिससे अधिष्ठ की गई हो उसका नाम तथा श्रेणी	सम्पत्ति से वार्षिक आम	अधिपुक्ति
	पट्टा तथा अन्य धवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<u>निम्न</u>							

* जहां लागू न हो कार टिकें।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, जहां वर्तमान स्थिति के आधार में लागू मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : सशस्त्र राजस्वीय सेवाक (आवक) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अनिवार्य है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार पहली की अवधि के पारभाय या परिवर्तन पर या का प्रस्तुत करें और इसमें वह उसके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अधिष्ठ अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धरित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यंदि दें।

हस्ताक्षर विजय सिंह यादव
 नाम विजय सिंह यादव
 पद कृ. खेति
 विभाग शा. कृ. कु. मेख

170

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह है शुजमीहन सिंह रावत 2. वर्तमान धारित पद शुनियर वाईएलर
 3. वर्तमान वेतन 39200/35 ... अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1-7-2021

उस जिले, डीन संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति का नाम तथा खति		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका राजस्वीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिष्ठित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अधिन की तारीख और जिससे अधिष्ठित की गई हो उसका नाम तथा खति	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अधिपुक्ति
	प्लॉट तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<u>नि</u>							

* जहाँ लागू न हो कार संकेत।
 ** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश राजस्वीय सेवा (आचार्य) नियम, 1959 के नियम 10(3) के अधीन प्रथम केपी, द्वितीय केपी तथा तृतीय केपी सेवा के उपायुक्त सदस्य से यह अधिष्ठित है कि वह सेवा में प्रवेशी नियुक्ति के समय और उसके बाद उनके कार्य करने की अवधि के परभाव पर भीतम-पत्र पर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अधिष्ठित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के खति दें।
 लोकप्रति-767-अवधारण-18-1-13-20,000.

हस्ताक्षर
 नाम शुजमीहन सिंह रावत
 पद शुनियर वाईएलर
 विभाग शां. के. सु. भीपाल

141

फार्म

“प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो **दुर्गा प्रसाद, शांठे मुन्शोवाल** 2. वर्तमान धारित पर **पू० बहिर्भर**
3. वर्तमान वेतन **31347 + DA** ... अगली वेतनवृद्धि की तारीख **1 अक्टूबर 2021**

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा खेति		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलावने कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा खेति	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अधिपुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Nie

* जहां लागू न हो कार्ड देखिए।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, जहां वर्तमान स्थिति के आधार में लागू मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें आनुवंशिकता पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी: सशस्त्र शासकीय सेवक (आधार) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अर्थों में प्रथम सेवा, द्वितीय सेवा तथा तृतीय सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अनिश्चित है कि वह सेवा में प्रथम नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार प्रविष्टि की अवधि के परभाव पर प्रथम-या या कर प्रभुत्व करें और इसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उनके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के खेति हैं।

हस्ताक्षर **दुर्गा प्रसाद**
 नाम **दुर्गा प्रसाद**
 पर **पू० बहिर्भर**
 विभाग **शां० ठे० मु० औषाल (अ-5)**

172

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो ... रितीय गुन (सुदर) 2. वर्तमान धारित पद ... सिपाय कांस्टेबल
 3. वर्तमान वेतन ... 30400 + DA अगली वेतनवृद्धि की तारीख ... 1/7/2021

उस स्थिति, उप संभाग, कालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा धरि		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलावने कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका सामाजिक कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिष्ठित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, श्रेष्ठ या अन्य किसी प्रकार से तथा अधिन को जारी और जिससे अधिष्ठित की गई हो उसका नाम तथा धरि	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अधिपुस्तिका
	पूरा तथा अन्य धरत	पुति					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<u>बोया</u>	<u>25</u>	<u>-</u>	<u>10,00,000/-</u>	<u>स्वयं के नाम</u>	<u>माय की मृत्यु के बाद मेरे नाम पर मूल्य 10,00,000/- का मूल्य 2008 में मेरे नाम पर आया है</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

* जहाँ लागू न हो वहाँ टिकिए।
 ** ऐसे मामलों में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, जहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाए।
 *** इनमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी: अध्यादेश सामाजिक सेवा (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम सेवा, द्वितीय सेवा तथा तृतीय सेवा सेवा के प्रत्येक वर्ग से वह अधिष्ठित है कि वह सेवा में पुरानी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक वर्ग में पुरानी की अवधि के पश्चात् वह प्रथम-वर्ग पर वह प्रत्युक्त की और उसमें वह उसके सम्पत्ति की तथा उसके द्वारा अधिष्ठित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के धरि हैं।

हस्ताक्षर ... रितीय गुन (सुदर)
 नाम ... रितीय गुन (सुदर)
 पद ... DA
 विभाग ... कांस्टेबल सेवा

173

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह है **श्री अरुण बहादुर** 2. वर्तमान धारित पद **जूनियर ब्राह्मण**
 3. वर्तमान वेतन **₹ 22,20,400** आगामी वेतनवृद्धि की तारीख **01 जुलाई 2021**

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलायें कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका राजस्वीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिष्ठित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, धेद या अन्य किसी प्रकार से तथा अधिष्ठित की गई है उसका नाम तथा ब्यौरे	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अधिपुस्तिका
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

* जहां लागू न हो वहां खाली रखें।
 ** ऐसे मामलों में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करने संबंध न हो, जहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : सम्बन्धित राजस्वीय सेवा (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम हेतु, द्वितीय हेतु तथा तृतीय हेतु सेवा के प्रत्येक वर्ग से यह अधिष्ठित है कि वह सेवा में पदाधीन नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार पदाधीन की अवधि के परभाव यह योग्यता-पत्र पर का प्रस्तुत की और इसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अधिष्ठित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे हैं।
 सॉफ्टवेयर-747-अप्रैल 2019-18-1-13-20,000.

हस्ताक्षर **अरुण बहादुर**
 नाम **श्री अरुण बहादुर**
 पद **जूनियर ब्राह्मण**
 विभाग **शा.के.कृ.प्र.धा.का.अ.प.का.**

174

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. अधिकारी/कार्यकारी का (पुरुष) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह है श्री. नारायण 2. वर्तमान धारिता पर श्री. का.
 3. वर्तमान वेतन 31,000/- आगामी वेतनबृद्धि की तारीख 1. दिसम्बर 2021

उस जिले, उप संभाग, जलुका तथा जलन का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा खीरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलायें कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कार्यकारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिष्ठित किया गया ***खरीद, चट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अधिन की तारीख और जिससे अधिष्ठित की गई हो उसका नाम तथा खीरे	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अधिपुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<u>Nil</u>							

* जहां खालू न हो खालू दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संबंध न हो, जहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें आलपकारालय चट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवाक (आचार्य) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार नौकरी की अवधि के परन्तु वह चौथाल-पत्र पर का प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अधिष्ठित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर चट्टे या बंधक या उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के खीरे दें।

हस्ताक्षर श्री. नारायण
 नाम श्री. नारायण
 पत्नी श्री. का.
 निवास श्री. का. मु. अम्बाल

175

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूर) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो सुजाता चन्द्र रेनवा (2006 के 6) पुं 2. वर्तमान धारित पद 99 अतिरिक्त
3. वर्तमान वेतन 38400/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01/7/2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा भूरी		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका राजस्वीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिष्ठित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अधिन की तारीख और जिससे अधिष्ठित की गई हो उसका नाम तथा भूरी	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अधियुक्ति
	प्लॉट तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
जिला अजमेर राजस्थान (आवासीय)	PLAT		1500000	स्वयं	खरीद	नहीं	

* यहाँ लागू न हो कर रोजिद।
 ** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के आधार में आभासी मूल्य बतलाया जाय।
 *** इसमें आलमदारों पर ध्यान देना है।
 टिप्पणी: सम्पत्ति राजस्वीय सेवाक (आवासीय) नियम, 1959 के नियम 10(3) के अधीन प्रथम भेरी, द्वितीय भेरी तथा तृतीय भेरी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार भूमि की अधिधि के पत्रकार पर पंजीयन-पत्र पर कर प्रत्युत्त करें और इसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अधिष्ठित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर खरीदे या बंधक या उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के भूरी हैं।

हस्ताक्षर
 नाम सुजाता चन्द्र रेनवा
 पद अतिरिक्त
 विभाग अतिरिक्त 2006 के 6 पुं

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो सुकुमार लाल परेरा 2. वर्तमान धारित पद डी.डी. काहूर
 3. वर्तमान वेतन 34,500/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई 2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा बर्ण		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिष्ठित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अधिष्ठित की तारीख और जिससे अधिष्ठित की गई हो उसका नाम तथा बर्ण	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अधिपुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<u>Nil</u>							

* जहां लागू न हो कार टिकें।
 ** ऐसे मामलों में जहां मूल्य का बड़ी-बड़ी निर्धारण करने संबंध न हो, जहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इनमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : कम्प्यूटर शासकीय सेवा (आवारा) नियम, 1959 के नियम 13(3) के अधीन प्रथम डेप्यूटी, द्वितीय डेप्यूटी तथा तृतीय डेप्यूटी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अधिष्ठित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार पहिने की अवधि के पश्चात् वह पौजना-पत्र पर का प्रस्तुत करें और इसमें वह उसके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अधिष्ठित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्ति अथवा सम्पत्ति के बर्ण दें।

नाम सुकुमार लाल परेरा
 पद डी.डी. काहूर
 वेतन 34,500/-
 अगली वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई 2021

177

फार्म

“प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20

1. अधिकारी/कार्यकारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो राजेश कुमार आरगड 2. वर्तमान धारित पर सहायक सिपुतकार
 3. वर्तमान वेतन 43500/- अगली वेतनबृद्धि की तारीख

उस जिले, उस संभाग, जालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा बंदी		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलायें कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका राजस्वीय कार्यकारी से क्या संबंध है	उसी किस प्रकार अधिष्ठित किया गया ** *खरीद, चट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अधिन की तारीख और जिससे अधिष्ठित की गई हो उसका नाम तथा बंदी	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अधिपुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
nil							

* जहां लागू न हो वहां खाली रखें।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करने संबंध न हो, वहां वर्तमान स्थिति के आधार में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकार्तीय चट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश राजस्वीय सेवा (आधार) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन उभय हेवी, द्वितीय हेवी तथा तृतीय हेवी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अधिष्ठित है कि वह सेवा में प्रवेश नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार प्रवेश करने की अवधि के पश्चात् वह धोखा-पत्र पर का प्रस्ताव करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अधिष्ठित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर चट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के बंदी हैं।
 लोकप्रति-747-अवधारण-18-1-13-20,000.

हस्ताक्षर
 नाम राजेश कुमार आरगड
 पर सहायक सिपुतकार
 विभाग सिपुत कार

178

फॉर्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह है श्री. अशोक कुमार शर्मा 20.5.20 2. वर्तमान धारित पद कॉन्सुलेंट
 3. वर्तमान वेतन 24,500 अपनी वेतनवृद्धि की तारीख 7-1-2021

उस जिले, डी.ए. संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा खति		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बयानावधि में कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका राजस्वकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिष्ठित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अधिष्ठित की तारीख और जिससे अधिष्ठित की गई हो उसका नाम तथा खति	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अधिपुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<i>Nil</i>							

* जहाँ लागू न हो वहाँ खाली रखें।
 ** ऐसे मामलों में जहाँ मूल्य का कोई-कोई निर्धारण करने संबंध न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के अनुसार में वर्तमान मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 विस्तार : मध्यप्रदेश राजस्वकीय सेवा (आचार्य) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम डेप्यू, द्वितीय डेप्यू तथा तृतीय डेप्यू सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार नवीनी की अवधि के पश्चात् वह घोषणा-पत्र पर का प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अधिष्ठित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक या उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के खति दें।

हस्ताक्षर श्री. अशोक कुमार शर्मा
 नाम श्री. अशोक कुमार शर्मा
 पद कॉन्सुलेंट
 विभाग अधक.क.क.

179

फार्म

“प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूर) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो आशुबसिंह अहिरवार 2. वर्तमान धारित पद कारपोरेटर
 3. वर्तमान वेतन 41000-00 ... आगामी वेतनवृद्धि की तारीख प्रवर्ष 2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा खी		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका राजस्वीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिष्ठ किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अधिष्ठ की तारीख और जिससे अधिष्ठ की गई हो उसका नाम तथा खी	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अधिपुस्तिका
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<u>बीकानेर</u>	<u>कमरा</u>	<u>कमरा</u>	<u>150000000 रुपये</u>		<u>2003</u>	<u>NIL</u>	<u>—</u>

* जहाँ लागू न हो कार्ड देखिए।
 ** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के आधार में लागू मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन खरीद भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : सम्पत्तियों राजस्वीय सेवाक (आधारा) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अनिवार्य है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार नवीने की अवधि के परन्तु वह पौरोहित्य-पत्र पर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अधिष्ठ अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर खरीद या बंधक या उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के खी दें।
 लोकपुस्तक-747-अवकाशिक-18-1-13-20,000.

हस्ताक्षर बीक
 नाम आशुबसिंह अहिरवार
 पद कारपोरेटर
 जिला आ. के. मु. बीकानेर

180

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अथवा सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूर) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह है मोहन शेटल 2. वर्तमान धारित पद इंजिनियर
 3. वर्तमान वेतन 49000/- ... अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1 जुलाई 2021

उस जिले, उस संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा भूमि		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	इसे किस प्रकार अधिष्ठित किया गया ** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अधिष्ठन की तारीख और जिससे अधिष्ठित की गई हो उसका नाम तथा पता	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	प्लॉट तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<u>Nil</u>							

* जहां लागू न हो वहां धीरे-धीरे।
 ** ऐसे मामलों में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, जहां वर्तमान स्थिति के अन्तर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाय।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय बंधक (आधार) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम सेवी, द्वितीय सेवी तथा तृतीय सेवी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार नई भूमि की अधिधि के पानपाव या योगदान-पत्र पर का प्रत्युत करें और इसमें वह उसके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अधिष्ठित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अथवा सम्पत्ति के भूमि हैं।

हस्ताक्षर MSR
 नाम मोहन शेटल
 पद इंजिनियर
 विभाग शा. के. मु. मंत्रालय

181

फार्म

“प्रथम नियुक्ति के समय अद्यतन सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20-20

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो जासुब सिंह 2. वर्तमान धारित पद डाईबल

3. वर्तमान वेतन 51000/- अगली वेतनबृद्धि की तारीख 1 जुलाई 2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा बंदी		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वर्ण के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका सामंतीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिष्ठित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अधिन की तारीख और जिससे अधिष्ठित की गई हो उसका नाम तथा बंदी	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अधिपुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<u>Nil</u>							

* जहां लागू न हो वारं वारं लिखिए।
 ** ऐसे मामलों में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, जहां वर्तमान स्थिति के कारण में लागू मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी: मध्यप्रदेश राजकीय सेवा (आचार्य) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम सेवा, द्वितीय सेवा तथा तृतीय सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार पहिले की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र या का प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उनके द्वारा अधिष्ठित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उनके द्वारा धारित समस्त अद्यतन सम्पत्ति के बंदी हैं।

हस्ताक्षर जासुब सिंह
 नाम जासुब सिंह
 पद डाईबल
 विभाग भा. के. प्र. भोपाल

182

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. अधिकारी/कार्यकारी का (पूर्व) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह है **राज कुमार चौबे/सीआरपी** -2 वर्तमान धारित पद **इंजीनियर**
 2. वर्तमान वेतन **41,000**..... अगली वेतनवृद्धि की तारीख **1.7.21**.....

उक्त स्थान, उप संभाग, जिल्ला तथा ज्ञान का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति का नाम तथा बंदी		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलावने कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका राजस्वीय कार्यकारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिष्ठित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अधिन की तारीख और जिससे अधिष्ठित की गई हो उसका नाम तथा बंदी	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1) कमरा नंबर 188A कपा प्रताप ठेकेदार सेवा जोहार रोड औधगा			350,000	अखिल के नाम			
2) मकान नंबर 112 के.जासु गा.स.सेवा कपा औधगा	मकान प्रताप		450,000	जो माते देवता चौबे/सीआरपी के नाम			

* जहां खाल्य न हो बतलाना पड़ेगा।
 ** ऐसे मामलों में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इनमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी: मध्यप्रदेश राजस्वीय सेवाएं (आधारा) विधम, 1959 के विधम 18(3) के अधीन उभय हेतु, द्वितीय हेतु तथा तृतीय हेतु सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पदाती नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार पदाती की अवधि के परभाव पर धारण-पत्र पर का प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अधिष्ठित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के बंदी दें।
 सकेन्द्री-747-अवकाश-18-1-13-20,000.

हस्ताक्षर **राज कुमार चौबे/सीआरपी**
 नाम **राज कुमार चौबे/सीआरपी**
 पद **जॉबिंग - नामिक**
 विभाग **ब्रांच के मुठ औधगा**

183

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूर्व) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह है **अंशुया पवार** 2. वर्तमान धारिता पर **अ. ग्रेड-3**
 3. वर्तमान वेतन **46000/-** अगली वेतनवृद्धि की तारीख **1-7-2021**

उक्त जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा भूति		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि यह किसके नाम पर धारित है और उसका राजस्वीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिष्ठित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अधिन की तारीख और जिससे अधिष्ठित की गई हो उसका नाम तथा पता	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
भोपाल विकास परिषद द्वारा स्वीकृत एमरोविटि परगना - सेक्टर सी ग्राम पीपलनेर पवारी हल्बा जं 4 तहसील कुपूर जिला, मीपान	भूखण्ड 968-40 वर्गीकृत		14,40,000/-	स्वयं के नाम दिनांक 30-3-2016 को क्रय किया। वहन की मदद एच. एम. अर्द्ध. जी. जोन लेबर से क्रय किया।	—	NIL	कार्यालय में फ्लॉट क्रय करने की सुझाव दी है।

* जहां लागू न हो वहां खाली रखें।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के अनुसार में सतर्कता मूल्य बतलाया जाए।
 *** इनमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।
 टिप्पणी: मध्यप्रदेश राजस्वीय सेवाएं (आचार्य) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम सेवा, द्वितीय सेवा तथा तृतीय सेवा के प्रत्येक वर्ग में यह अधिष्ठित है कि यह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार पहली की अवधि के पश्चात् यह पौजना-पत्र या का प्रस्तुत की और उसमें यह उसके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अधिष्ठित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित संपत्ति अचल सम्पत्ति के अधीन हैं।

हस्ताक्षर **[Signature]**
 नाम **अंशुया पवार**
 पद **अहायक ग्रेड-3**
 विभाग **उप, नियंत्रक, शांके-कु-मीपान**

Handwritten text block located above the table, containing several lines of notes or instructions.

Table with 8 columns and 2 rows. The columns are labeled (a) through (h). The first row contains handwritten entries, including 'MIL' in column (c) and '17. hours' in column (e). The second row contains more handwritten entries, including '17. hours' in column (e) and '17. hours' in column (h).

Handwritten text on the left side of the page, possibly a note or label.

Handwritten text located below the table, possibly a signature or date.

Handwritten text located below the table, possibly a signature or date.

Handwritten text located below the table, possibly a signature or date.

Handwritten text located below the table, possibly a signature or date.

Handwritten text in a circle, possibly a date or number.

(Date) 12/12/2023 Page No. 10
 Name Mr. Arjun
 Roll No. 123456

(Date) 12/12/2023 Page No. 10
 Name Mr. Arjun
 Roll No. 123456

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

(Date) 12/12/2023 Page No. 10
 Name Mr. Arjun
 Roll No. 123456



Handwritten notes and signatures in the top left corner, including a signature that appears to be 'S. S. S.'.

Handwritten notes and signatures in the top right corner, including a signature that appears to be 'S. S. S.'.

A large table with multiple columns and rows, containing handwritten entries and possibly some printed text. The table is mostly empty with some faint markings.

Handwritten text centered below the table, possibly a title or a specific instruction.

Handwritten text at the bottom of the page, possibly a signature or a note.

Handwritten text at the bottom center of the page.

